

आवास भारती

वर्ष 19 | अंक 72 | जुलाई-सितम्बर, 2019



राष्ट्रीय
आवास बैंक
NATIONAL
HOUSING BANK

बैंक द्वारा दिनांक 09 जुलाई 2019 को बैंक का 31वाँ स्थापना दिवस मनाया गया





संपादक की कलम से...



मुझे आवास भारती का 72वां अंक आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। इस अंक को प्रकाशित करने में अपरिहार्य कारणों से कुछ विलंब हुआ है जिसके लिए हम अपने प्रबुद्ध पाठकों से क्षमा चाहते हैं। हमारा यह प्रयास रहेगा की आगामी अंक सही समय पर निकाले जाएं।

मैं अपने पाठकों को सहर्ष सूचित करना चाहूंगा कि बैंक का वित्त वर्ष जून 2019 को समाप्त हुआ है एवं पूर्व वर्षों की तरह इस वर्ष भी बैंक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक के इतिहास में पहली बार बैंक का पुनर्वित्त संवितरण का आंकड़ा 25,000 करोड़ रुपए को पार करते हुए 25,177 करोड़ रुपए पर पहुंच गया तथा ऋण एवं अग्रिम बकाया 69,805 करोड़ रुपए पर पहुंच गया जोकि अपने आप में एक अभूतपूर्ण उपलब्धि है। बैंक का बकाया उधार बढ़ कर 63,489 करोड़ रुपए पहुंच गया तथा बैंक की आस्तियां 75,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गईं। बैंक के इस बढ़ते कारोबार के बीच बैंक का जीएनपीए केवल 0.01% रहा। इसी क्रम में बैंक की कुल आय बढ़ कर 5,276 करोड़ रुपए हो गई एवं बैंक का कर पश्चात लाभ 733 करोड़ रुपए पर आ गया। बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात सकारात्मक रूप से 16% पर बना रहा तथा बैंक के कर्मियों की कुल संख्या 20 जून, 2019 को 109 थी जिसके हिसाब से प्रति कर्मी कर पश्चात लाभ 6.72 करोड़ रुपए रहा जो अपने आप में वित्तीय सेक्टर में विलक्षण उपलब्धि है।

बैंक में वर्ष 2018-19 में राजभाषा गतिविधि को भी नया आयाम दिया गया एवं दैनिक गतिविधियों में हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से बैंक में प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई हैं। बैंक में कार्यरत अधिकारियों को हिंदी में टिप्पणी लेखन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु हिंदी टिप्पण प्रोत्साहन योजना कार्यावधित की गई है। अधिकारियों को हिंदी में काम करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए हर दो माह में हिंदी प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। इसके अतिरिक्त, बैंक में यूनिकोड के उपयोग को बढ़ावा दिया गया और अधिकारियों को कम्प्यूटर पर हिंदी में कार्य करने के लिए उपलब्ध सॉफ्टवेयर/सुविधाओं का उपयोग करने हेतु प्रशिक्षित किया गया। भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में, बैंक ने अगस्त-सितंबर, 2019 में हिंदी माह मनाया, जिसके दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। "हिंदी मास" के अवसर पर, "चल वैजयंती" ट्रॉफी को प्रधान कार्यालय में विभाग को प्रदान किया जाता है, जो प्रत्येक वर्ष हिंदी के दैनिक उपयोग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है।

बैंक ने राजभाषा के कार्यान्वयन के क्षेत्र में प्रगति की है और वर्ष के दौरान विभिन्न स्तर के पुरस्कार प्राप्त किए हैं। वर्ष 2017-18 हेतु, बैंक की हिंदी गृह पत्रिका 'आवास भारती' को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तृतीय पुरस्कार और दिल्ली नराकास द्वारा प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त, बैंक को दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति से वर्ष 2018-19 के लिए वित्तीय संस्थानों की श्रेणी में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए तृतीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है।

मुझे उम्मीद है कि पूर्व अंकों की तरह पाठकों को यह अंक भी पसंद आएगा एवं आपकी प्रतिक्रिया की हमें प्रतीक्षा रहेगी।

(रंजन कुमार बरुन)
उप महाप्रबंधक एवं संपादक



आप की पाती

महोदय,

राष्ट्रीय आवास बैंक की गृह पत्रिका 'आवास भारती' के अप्रैल-जून, 2019 के 71वें अंक की प्रति प्राप्त हुई, धन्यवाद। पत्रिका के इस अंक में आवास, आवास वित्त, हरित ऊर्जा, साइबर सुरक्षा आदि विषयों के साथ-साथ अपने स्थाई स्तंभ के तहत उपयोगी विषय ज्ञानवर्धक एवं सारगर्भित है। पत्रिका की साज-सज्जा एवं श्रेष्ठ रचनाओं के संकलन के लिए संपादन मंडल को हार्दिक बधाई।

भवदीय,

(विजय पाटनी)

उप प्रबंधक (हिंदी),

दि हैण्डलिंग एण्ड हैण्डलूम्स-
एक्सपोर्ट्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.,
नोएडा, उत्तर प्रदेश

महोदय,

दिनांक 16 अगस्त, 2019 के माध्यम से आपके बैंक द्वारा प्रकाशित तिमाही हिंदी गृह पत्रिका आवास भारती के जून-2019 अंक के 71वें संस्करण को पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। पत्रिका में निहित लेखों में जहां एक ओर 'वित्तीय क्षेत्र में प्रणालीगत जोखिम' के बारे में जानकारी दी गई, वहीं दूसरी ओर 'देश की कुछ प्रमुख योजनाओं' के प्रति सजग किया गया है। जहां लेख एक ओर 'आवास मेरी नजर से', 'किराये का घर - सुलझते मुद्दे', 'हरित ऊर्जा - एक बेहतर विकल्प', 'घटता पानी - घटता विकास' की महत्ता पर गहनता से अपने विचार प्रस्तुत करते हैं वहीं दूसरी ओर 'भारत में 9 सर्वश्रेष्ठ सुरक्षित निवेश विकल्प' एवं 'साइबर सुरक्षा' से संबंधित लेख पाठकों को निवेश के बारे में और साइबर सुरक्षा के बारे में अच्छी जानकारी देते हैं। पत्रिका में 'राष्ट्र भाषा के महत्व' के विषय में सारगर्भित ज्ञान निहित है। काव्य का उचित समावेश एवं उत्तम चित्रांकन पत्रिका को मनोहारी एवं आकर्षक बनाता है। उम्मीद है कि यह पत्रिका आगे भी अपने रोचक विषयों से पाठकों का ज्ञानवर्धन करती रहेगी। पत्रिका के सफल सम्पादन के लिए संपादक मण्डल के सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई एवं अगले अंक हेतु अनेकानेक शुभकामनाएं।

भवदीय,

(नवल किशोर दीक्षित)

सहायक महाप्रबंधक (रा.भा.)

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,

मुंबई



विषय सूची

विषय	पृष्ठ
1 राष्ट्रीय आवास बैंक परिवार समाचार	4
2 रेन वाटर हार्वेस्टिंग.....	5
3 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा)....	7
4 किफायती आवास की खरीददारी	9
5 अपने क्रेडिट स्कोर का ध्यान रखें	11
6 टाइगर जिंदा है!	13
7 प्लास्टिक का प्रयोग : बढ़ता पर्यावरणीय खतरा	15
8 जल संरक्षण शुल्क	18
9 प्राकृतिक आपदा	21
10 प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध	26
11 “कानूनी-जटिलताएँ”	28
12 बिन पानी सब सून	31
13 काठ का सपना	33
14 झारखंड के प्रमुख बांध	36
15 कुछ प्रमुख योग आसन	38
16 किराए पर घर देने में रखें सावधानी	40
17 किराए से चाहिए अच्छी आय तो करें सही अपार्टमेंट में निवेश	42
18 संतुलित आहार	44
19 प्लास्टिक का बढ़ता प्रयोग	46
20 काव्य सुधा	48

कुल तकनीकी लेख	— 9
कुल सामान्य लेख	— 9
कुल योग	— 18

आवास भारती

राष्ट्रीय आवास बैंक की राजभाषा पत्रिका
(केवल आंतरिक परिचालन हेतु)

पंजी. संख्या, दिल्ली इन / 2001 / 6138

वर्ष 19, अंक 72, जुलाई-सितम्बर, 2019

प्रधान संरक्षक

श्री एस. के. होता
प्रबंध निदेशक

संरक्षक

डॉ. अश्वनी कुमार त्रिपाठी
कार्यपालक निदेशक

उप संरक्षक

वी. वैदीश्वरण
महाप्रबंधक

संपादक

रंजन कुमार बरून
उप महाप्रबंधक

सहायक संपादक

शोभित त्रिपाठी
राजभाषा अधिकारी

संपादक मंडल

सुशांत कुमार पाटी, उप महाप्रबंधक
मोहित कौल, सहायक महाप्रबंधक
पीयूष पाण्डेय, क्षेत्रीय प्रबंधक
श्याम सुंदर, क्षेत्रीय प्रबंधक
राम नारायण चौधरी, प्रबंधक
कृष्ण चंद्र मोर्य, सहायक प्रबंधक

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में अभिव्यक्त विचार,
मौलिकता एवं तथ्य आदि लेखकों के अपने हैं।
संपादक या बैंक का इनके लिए
जिम्मेदार अथवा सहमत होना
अनिवार्य नहीं है।



राष्ट्रीय
आवास बैंक
NATIONAL
HOUSING BANK

कोर-5 ए, 3-5 वां तल,
भारत पर्यावास केंद्र
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003



राष्ट्रीय आवास बैंक परिवार समाचार

आवास वित्त में अभिमुखीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा दिनांक 28 एवं 29 अगस्त, 2019 को इंडिया हैबीटेड सेंटर, नई दिल्ली में आवास वित्त में अभिमुखीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिनांक 28 अगस्त, 2019 को प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रतिभागियों का पंजीकरण एवं स्वागत किया गया। कार्यक्रम के प्रथम सत्र शुरुआत में क्षेत्रीय प्रबंधक सुश्री पी श्रीजा ने भारत में आवास वित्त एवं इसमें राष्ट्रीय आवास की क्या भूमिका रही है इस पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने सत्र के दौरान यह बताया कि किस प्रकार से राष्ट्रीय आवास बैंक ने देश में आवास वित्त की पहुंच को और बढ़ाने हेतु आवास वित्त कंपनियों के साथ मिलकर काम किया है। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में श्री मोहर सिंह, फैंकल्टी, निब्सकॉम ने आवास ऋण एवं ऋण मूल्यांकन पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से आवास ऋण हेतु आवेदन किया जाए और किस प्रकार से ऋण राशि और चुकौती क्षमता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि बाद में किसी प्रकार की

जिसके अंतर्गत केवाईसी, एफपीसी, एनडीएमए, आवधिक विवरणी और ऑरमिस, ग्रीड्स तथा अन्य विनियामक पहलुओं के साथ सरफेसी अधिनियम पर विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। चौथे सत्र का संचालन बैंक के उप महाप्रबंधक श्री दीपक बारिक ने किया। इस सत्र के दौरान उप महाप्रबंधक महोदय ने आवास ऋण के कानूनी पहलुओं पर प्रकाश डाला। जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि आवास ऋण हेतु उपयोगी दस्तावेज कौन-कौन से होते हैं। स्वत्व एवं अन्य दस्तावेजों की संवीक्षा किस प्रकार की जानी चाहिए और यह क्यों जरूरी है। आवास ऋण हेतु कानूनी दस्तावेज कौन-कौन से होते हैं एवं विधिक मूल्यांकन रिपोर्ट कैसे तैयार की जानी चाहिए।

अगले दिन अर्थात् 29 अगस्त, 2019 को प्रशिक्षण कार्यक्रम के पाँचवें सत्र की शुरुआत हुई। इस सत्र का संचालन श्री एस. के. शर्मा, फैंकल्टी, निब्सकॉम ने किया। इस सत्र में आवास ऋणों के जोखिमों की पहचान और वर्गीकरण, परिचालन और



राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा दिनांक 28 एवं 29 अगस्त, 2019 को इंडिया हैबीटेड सेंटर, नई दिल्ली में आवास वित्त में अभिमुखीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

दिव्यकत का सामना न करना पड़े। आज के समय में उधारकर्ता की जांच और उनसे पूरी जानकारी लेना भी जरूरी हो गया है यह आज के समय में इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण हो गया है ताकि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचा जा सके। इसी प्रकार ऋण संवितरण से पूर्व संपत्ति की जांच भी करनी चाहिए। उन्होंने निर्माण के आधार पर आवास ऋण का मूल्यांकन तथा भूखंड एवं अपार्टमेंट में तुलनात्मक विश्लेषण भी किया। दूसरे सत्र के बाद प्रतिभागियों को दोपहर के भोजन हेतु आमंत्रित किया गया। भोजनावकाश के पश्चात कार्यक्रम के तीसरे सत्र का प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम के तीसरे सत्र का संचालन सहायक महाप्रबंधक श्री अशोक कुमार ने किया। उन्होंने सत्र के दौरान विनियमन एवं पर्यवेक्षण के बारे में विस्तार से बताया

प्रणालीगत, ट्रिगर और चेक की पहचान तथा आवास ऋणों के जोखिमों को कम करने के संबंध में जानकारी प्रदान की गयी। प्रशिक्षण कार्यक्रम के छठे सत्र का आयोजन बैंक के सहायक प्रबंधक श्री शरत भट्टाचार्य ने किया। सत्र के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना-ऋण आधारित सब्सिडी योजना के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम के सातवें एवं अंतिम सत्र में बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी ने ऋण प्रदान करने में विवेकपूर्ण प्रक्रिया के संबंध में प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान की। विदाई भाषण एवं प्रमाणपत्र वितरण के साथ इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन किया गया।






रेन वाटर हार्वेस्टिंग

शिखर बीर
सहायक प्रबंधक

जल एक मात्र ऐसा कारण है जिसकी वजह से पृथ्वी ग्रह पर जीवन मौजूद है, इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हालांकि, गुजरते समय के साथ-साथ ताजे पानी के स्रोत कम होते जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सहित कई वैश्विक एजेंसियों की रिपोर्ट से यह संकेत मिले हैं कि यदि जल की वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाता है और निवारक उपायों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो 2050 तक दुनियाभर में ताजे पानी के स्रोत समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। वर्षा जल संचयन एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वर्षा जल को संरक्षित करने में मदद करती है। वर्षा जल संचयन विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले वर्षा के जल को इकट्ठा करने और संग्रहित करने की एक विधि है जिसका उपयोग भविष्य में भी किया जा सकता है।

यह एक आश्चर्यजनक सत्य है कि भारत में वर्षा के मौसम में एक क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति होती है जबकि दूसरे क्षेत्रों में भयंकर सूखा होता है। पर्याप्त वर्षा के बावजूद लोग पानी की एक-एक बूँद के लिये तरसते हैं तथा कई जगह संघर्ष की स्थिति

जीवनदायी सम्पदा 'जल' को हमें एक चक्र के रूप में दिया है। मानव इस जल चक्र का अभिन्न अंग है। इस जल चक्र का निरन्तर गतिमान रहना अनिवार्य है। अतः प्रकृति के खजाने से जो जल हमने लिया है उसे वापस भी हमें ही लौटाना होगा, क्योंकि हम स्वयं जल नहीं बना सकते। अतः हमारा दायित्व है कि हम वर्षाजल का संरक्षण करें तथा प्राकृतिक जलस्रोतों को प्रदूषण से बचाएँ और किसी भी कीमत पर पानी को बर्बाद न होने दें।



भी पैदा हो जाती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि हमने प्रकृति प्रदत्त अनमोल वर्षा जल का संचय नहीं किया और वह व्यर्थ में बहकर दूषित जल बन गया। वहीं दूसरी ओर मानवीय लालसा के परिणामस्वरूप भूजल का अंधाधुंध दोहन किया गया परन्तु धरती से निकाले गए इस जल को वापस धरती को नहीं लौटाया। इससे भूजल स्तर गिरा तथा भीषण जलसंकट पैदा हुआ। एक अनुमान के अनुसार विश्व के लगभग 1.4 अरब लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है। प्रकृति ने अनमोल

जल संकट को लेकर पूरा विश्व समुदाय चिन्तित है। परन्तु इस समस्या के हल के लिये सभी स्तरों पर पूरी जिम्मेदारी व ईमानदारी के साथ एकीकृत प्रयास की आवश्यकता है। जलसंकट को लेकर हमें हाथ-पर-हाथ धरकर नहीं बैठ जाना चाहिए। इससे निपटना जरूरी है तभी हमारा आज और कल (वर्तमान एवं भविष्य) सुरक्षित रहेगा। इसके लिये कई वैज्ञानिक तरीके हैं जिनमें सबसे कारगर तरीका है-रेन वाटर हार्वेस्टिंग-अर्थात् वर्षाजल का संचय एवं संग्रह करके इसका समुचित प्रबन्धन एवं आवश्यकतानुसार आपूर्ति। इस प्रक्रिया में सम्पूर्ण सृष्टि का हित है क्योंकि जमीन के भीतर जो पानी संचित किया जाएगा उसका इस्तेमाल हम भविष्य में कर सकेंगे। दूसरे शब्दों में हमने जो प्रकृति से लिया है वह प्रकृति को ही वापस लौटाना भी है।

निसन्देह, वर्षाजल एक अनमोल प्राकृतिक उपहार है जो प्रतिवर्ष लगभग पूरी पृथ्वी को बिना किसी भेदभाव के मिलता रहता है। परन्तु समुचित प्रबन्धन के अभाव में वर्षाजल व्यर्थ में बहता हुआ नदी, नालों से होता हुआ समुद्र के खारे पानी में मिलकर खारा बन जाता है। अतः वर्तमान जल संकट को दूर करने के लिये वर्षाजल संचय



ही एक मात्र विकल्प है। यदि वर्षाजल के संग्रहण की समुचित व्यवस्था हो तो न केवल जल संकट से जूझते शहर अपनी तत्कालीन जरूरतों के लिये पानी जुटा पाएँगे बल्कि इससे भूजल भी रिचार्ज हो सकेगा। अतः शहरों के जल प्रबन्धन में वर्षाजल की हर बूँद को सहेजकर रखना जरूरी है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही जल संचय की परम्परा थी तथा वर्षाजल का संग्रहण करने के लिये लोग प्रयास करते थे। इसीलिये कुएँ, बावड़ी, तालाब, नदियाँ आदि पानी से भरे रहते थे। इससे भूजल स्तर भी ऊपर हो जाता था तथा सभी जलस्रोत रिचार्ज हो जाते थे। परन्तु मानवीय उपेक्षा, लापरवाही, औद्योगीकरण तथा नगरीकरण के कारण ये जलस्रोत मृत प्रायः हो गए। कई जलस्रोत तो कचरे के गड्ढे के रूप में बदल गए। कई जलस्रोतों पर अवैध कब्जे हो गए। मिट्टी और गाद भर जाने से उनकी जल ग्रहण क्षमता समाप्त हो गई और समय के साथ वे टूट-फूट गए। अभी भी समय है कि इनमें से कई परम्परागत जलस्रोतों को पुनर्जीवित करने का प्रयास करके उन्हें बचाया जा सकता है। वर्षाजल के संचय से इन जलस्रोतों को सजीव बनाया जा सकता है।

वर्षाजल संरक्षण (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) का इतिहास काफी पुराना है। विश्व विरासत में सम्मिलित जार्डन के पेट्रा में की गई पुरातात्विक खुदाई में ईसा पूर्व सातवीं सदी में बनाए गए ऐसे हौज निकले जिनका इस्तेमाल वर्षाजल को एकत्र करने में किया जाता था। इसी प्रकार श्रीलंका स्थित सिजिरिया में बारिश के पानी को एकत्र करने के लिये रॉक कैचमेंट सिस्टम बना हुआ था। यह सिस्टम ईसा पूर्व 425 में बनाया



गया था। इसे भी विश्व विरासत में सम्मिलित किया गया है। भारत में राजस्थान प्रदेश के थार क्षेत्र में 4500 वर्ष पूर्व बारिश के पानी को एकत्र करने के प्रमाण हड़प्पा में की गई खुदाई के दौरान पाए गए।

ग्लोबल वार्मिंग दुनिया भर में जलवायु को क्षति पहुंचा रही है। वर्षा का होना प्रकृति में अप्रत्याशित हो गया है जहाँ सामान्य रूप से कुछ क्षेत्र सूखे से पीड़ित हैं, वहीं कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जो लगातार बारिश की मार झेल रहे हैं। वर्षा से प्रभावित क्षेत्र

अतिरिक्त पानी का उपयोग या नियंत्रण करने में असमर्थ हैं, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। वर्षा जल संचयन बाढ़ की समस्या को दूर करने में मदद कर सकता है, जबकि अतिरिक्त जल भंडारण जलीय दुर्लभ क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने में मदद



कर सकते हैं। जल प्रबंधन का यह नवीकरणीय स्रोत जल से संबंधित प्रमुख समस्याओं पर काबू पाने में मदद कर सकता है, जो समस्याएं न केवल अभी के लिए दुनिया को परेशान कर रही हैं बल्कि जो भविष्य में भी वैश्विक आबादी और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव डाल सकती हैं।

इजराइल, सिंगापुर, चीन, आस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग पर काफी समय से काम हो रहा है। अब समय आ चुका है जबकि भारत में भी इस तकनीक को अनिवार्यतः लागू करने के लिये जन-जागरण को प्रोत्साहन दिया जाये। यह अत्यन्त आसान तकनीक है। इसके अन्तर्गत वर्षाजल को व्यर्थ बहने से रोककर इसे नालियों/पाइप लाइनों के माध्यम से इस प्रकार संग्रहीत किया जाता है ताकि इसका उपयोग फिर से किया जा सके। भूजल भण्डारों में वर्षाजल के द्वारा भण्डारण बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान जलसंकट में यह न केवल जरूरी है, बल्कि बेहद सस्ता व फायदेमन्द भी है। कुछ दशक पूर्व तक लोग यह मानते थे कि पानी के भण्डार असीमित हैं और हमें किसी-न-किसी तरीके से मनचाहा पानी हमेशा मिलता रहेगा। परन्तु पानी के लगातार दोहन से भूजल भण्डार खाली हो गए तथा भूजल स्तर निरन्तर नीचे खिसकता रहा। यदि यही स्थिति रही तो जल्दी ही धरती भूगर्भीय जल भण्डारों से खाली हो जाएगी। अतः अब समय आ गया है कि हम जितना पानी धरती से लेते हैं उतना ही पानी धरती को किसी-न-किसी रूप में लौटाएँ। यह रेनवाटर हार्वेस्टिंग से ही सम्भव है। हमारा दायित्व है कि हम पानी की एक बूँद भी बेकार न जाने दें। इससे हमारे जल भण्डार भर जाएँगे तथा जलस्तर भी ऊपर पहुँच जाएगा।





महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा)

दावर हुसैन
उप प्रबंधक

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) दुनिया में अपने किस्म का अनोखा कार्यक्रम है। इसके तहत गाँवों के गरीबों को निश्चित पारिश्रमिक पर वर्ष में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। यदि काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद 25 अगस्त 2005 को यह कानून का रूप ले सका। उस समय इसे नरेगा नाम दिया गया। 2 अक्टूबर, 2009 से इसके साथ महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया।

कानून पारित होने के पांच महीने बाद ही इसे साकार करने का पहला चरण आरंभ हो गया। 2 फरवरी, 2006 को यह कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से आरंभ हुआ। शुरू में यह 200 अत्यंत पिछड़े जिलों में आरंभ किया गया। अगले साल इसमें 130 और जिले जोड़े गए और इस समय यह देश के सभी जिलों में चल रहा है।

एक योजना कई लक्ष्य

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून का लक्ष्य एक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवारों में जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करना चाहते हैं, उन्हें 100 दिनों की पारिश्रमिक आधारित रोजगार की गारंटी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जीवनयापन की सुरक्षा को सशक्त करना है। रोजगार गारंटी के कानून बनने के बाद यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इसके तहत आने वालों को कम से कम 100 दिनों का रोजगार दे या फिर न देने पर भत्ते के रूप में जीवनयापन



के न्यूनतम वित्तीय साधन उपलब्ध कराए। दूसरी ओर यह उन लोगों का कानूनी अधिकार भी है जिन्हें इस योजना के तहत काम मिलना चाहिए। इसमें 33 प्रतिशत कार्य महिलाओं को देने का प्रावधान करके इसे महिलाओं को सबल करने के लक्ष्य से भी जोड़ा गया है।

योजना की विशिष्टता

इसके तहत योग्य व्यक्ति यदि रोजगार की अर्जी देता है तो उसे या तो 15 दिनों के अंदर काम दिया जाएगा या नहीं देने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। दुनिया के किसी देश में ऐसा कानून उपलब्ध नहीं है। यह किसी कार्ययोजना के तहत दिए जाने वाला रोजगार कार्यक्रम नहीं है। यह काम की मांग के अनुरूप दिए जाने वाला रोजगार का कार्यक्रम है। जो किसी व्यक्ति को रोजगार की अर्जी देने के 15 दिनों के अंदर ग्राम पंचायत जॉब कार्ड उपलब्ध कराएगा, जिस पर उसकी तस्वीर लगी होगी। आरंभ में कम से कम उसे 14 दिनों का काम मिलना ही चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो फिर उसे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। आरंभ में मजदूरी दर-औसतन 60 रुपये रखी गई थी। लेकिन इसमें बदलाव होता रहा। अब मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ देने के कारण इसमें परिवर्तन होता रहा है। इस समय यह अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम 117 से लेकर 181 रुपये के बीच है।

मनरेगा का उपयोग नहरों, किसानों को बेहतर जलापूर्ति सुनिश्चित करने तथा जल सम्बन्धी विवादों को कम-से-कम करने के लिये किया जा सका। इसी प्रकार, ग्रामीण सम्पर्क कार्य, जिन्हें बड़े स्तर पर मनरेगा के तहत अंजाम दिया जाता रहा है, के साथ ही सभी के लिये आर्थिक अवसरों में सुधार लाने खासकर बाजारों तक किसानों की पहुँच सुनिश्चित करने, सार्वजनिक परिवहन (जैसे कि साइकिल के टैम्पो) साधनों की शुरुआत को बेहतर बनाने तथा सरकारी सेवाओं (जैसे कि अस्पताल) तक पहुँच को आसान करने के लिये भी मनरेगा का उपयोग किया जाता है।

मनरेगा के तहत चार विभिन्न प्रकार के वनीकरण और पौधरोपण कार्य किये जाते हैं। इनमें सड़कों के किनारों पर, पंचायत या वन विभाग की भूमि पर, सार्वजनिक भवनों के परिसरों और निजी स्वामित्व वाले बागीचों में पेड़ लगाए जाते हैं।

महिलाएं और मनरेगा

जिन राज्यों में गरीबी अधिक है वहां उम्मीद की जा रही थी कि मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोत्तरी होगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि जिन राज्यों में अत्यधिक गरीबी है वहां पर महिलाएं मनरेगा में कम भागीदारी कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर जिन राज्यों में वर्तमान में कुल श्रमशक्ति में महिलाओं की संख्या कम है वहां पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा है।

ग्रामीण समुदाय को रोजगार देने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में पुरुषों की बजाए महिलाएं ज्यादा तादाद में कार्य कर रही हैं। चालू वित्तीय वर्ष में अक्टूबर तक महात्मा गांधी



ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून में महिलाओं ने 50 प्रतिशत से अधिक रोजगार प्राप्त किया। इस कानून के 2006 से लागू होने के बाद से इसमें महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ी है। यह इसलिए भी उल्लेखनीय है क्योंकि वर्ष 2004-05 में हुए अंतिम राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार देश में काम करने वालों में महिलाओं की कुल भागीदारी मात्र 28.7 प्रतिशत ही है।

मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी कई बार अनूठे और अक्सर विरोधाभासी पक्षों की ओर इशारा करती है। पहला यह कि ऐसे राज्य जहां कि श्रमशक्ति में महिलाओं की भागीदारी कमोवेश कम दिखाई देती है वहां पर महिलाएं अधिक तादाद में इस कार्यक्रम में भागीदारी कर रही हैं। केरल का ही उदाहरण लें, यहां पर महिलाएं कुल श्रमशक्ति का मात्र 15 प्रतिशत ही हैं। परंतु इस कानून के अंतर्गत निर्मित कार्यों में से लाभ 79 प्रतिशत महिलाओं ने ही ले लिए।

तमिलनाडु और राजस्थान दो अन्य प्रदेश हैं। जहां कुल श्रमशक्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी कम है लेकिन मनरेगा के अंतर्गत निर्मित कार्यों में इनकी भागीदारी क्रमशः 82 एवं 69 प्रतिशत है। दूसरी ओर उड़ीसा, उत्तरप्रदेश एवं बिहार जैसे गरीब राज्यों में जहां पर छुट्टी मजदूरी की अधिक संभावनाएं हैं वहां पर महिलाओं की भागीदारी बहुत कम अर्थात् मात्र 22 से 23 प्रतिशत ही है। यह प्रवृत्ति उस धारणा की विरोधाभासी है कि गरीबी महिलाओं को छुट्टी या आकस्मिक मजदूरी के लिए बाध्य करती है। तीसरा यह कि ऐसा विश्वास है कि जहां धान की खेती जैसी मानव श्रम आधारित खेती होती है वहां पर महिलाएं श्रमिकों की संख्या अधिक होती है। परंतु मनरेगा के आंकड़े उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ठीक इसके उलट स्थिति प्रस्तुत करते हैं।



वैसे इस कानून के कुछ विशिष्ट पक्ष भी इस विरोधाभासी प्रवृत्ति में योगदान करते हैं। जैसे इस कानून के अनुसार एक परिवार को एक वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी है। सभी वयस्क सदस्य इस गारंटी में हिस्सेदारी कर सकते हैं और महिलाओं और पुरुषों के लिए मजदूरी दर एक सी है। इससे परिवार के स्तर पर मजदूरी का बजट बनाया जाने लगा। अब पुरुष नगरों और शहरों की ओर पलायन

कर जाते हैं और महिलाएं मनरेगा के अंतर्गत कार्य करने हेतु गांव में अपने घरों में रह जाती हैं। कानून के फलस्वरूप परिवारों की आय में वृद्धि भी हुई क्योंकि पहले तो महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम मजदूरी मिलती थी। महिलाओं ने इसे आर्थिक आजादी की तरह से लिया है। कानून में मजदूरी में समानता से भी अधिक



ध्यान जल संरक्षण को दिया है। इससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के सदस्यों को अपने ही खेतों में काम करने को मिला बल्कि उसके बदले में उन्होंने भुगतान भी प्राप्त किया। महिलाओं की भागीदारी से उनके अपने अनुपजाऊ खेतों का पानी एवं अन्य कार्यों के माध्यम से पुनरुद्धार भी संभव हो पाया। तमिलनाडु में हुए अनेक अध्ययनों ने इस प्रवृत्ति की पुष्टि की है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अकाल पीड़ित बुंदेलखंड के कई जिलों में भी अनेक परिवारों ने इसी रणनीति को अपनाया गया है।

देश में 90 प्रतिशत महिला श्रमिक या तो खेतिहर मजदूर हैं या कृषक हैं। उनके द्वारा किए गए कार्य में से अधिकांश का भुगतान भी नहीं होता क्योंकि वे अपने ही खेतों में कार्य करती हैं। मनरेगा ने इस स्थिति को बदला है। अब महिलाओं को भुगतान न किए जाने वाले कार्य जैसे भूमि का समतलीकरण और अपने ही खेतों में तालाब खोदने के लिए भी भुगतान किया जाता है। आंध्र प्रदेश के वारंगल और महाराष्ट्र के अहमदनगर जैसे अकाल प्रभावित क्षेत्रों के समुदायों के सदस्यों का कहना है कि इससे महिलाएं इस कार्यक्रम की ओर आकर्षित हुई हैं।

केरल, तमिलनाडु और राजस्थान में महिलाओं को इन योजनाओं हेतु एकत्रीकरण एवं अभियानों के इतिहास ने मनरेगा में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की है। राजस्थान में सोशल आडिट अभियान, जिसमें महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, ने मनरेगा के अंतर्गत उनकी जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने में योगदान किया है। राज्य में कार्यस्थलों पर महिलाओं और बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्थाएं हैं। केरल में कार्यस्थलों और अन्य आवश्यकताओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी गरीबी निवारण मिशन कुडुम्बश्री के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह के हाथों में दे दी गई है।





किफायती आवास की खरीददारी

शोभित त्रिपाठी
राजभाषा अधिकारी

देश में शहरीकरण तो काफी तेजी से बढ़ी लेकिन यह कुछ खास क्षेत्रों में ही रोजगार सृजन के केंद्र के रूप में उभरी। जिसका नतीजा यह हुआ कि देश की अर्थव्यवस्था जो पहले कृषि पर अधिक निर्भर थी वह कम हुई और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। लेकिन दिक्कत यह हुई कि जिन शहरों में रोजगार सृजन के मौके तैयार किए गए वो सही तौर पर वहां आने वाली भारी जनसंख्या के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे। गांवों से बड़े सतर पर पलायन हुआ और लोग शहरों की ओर आकर्षित होने लगे। इसकी वजह से मैट्रो शहरों में आवासों की मांग में अत्यधिक वृद्धि हुई है। धीरे-धीरे आवास की मांग और आपूर्ति के बीच इतना अधिक गैप हो गया कि मध्यम आय वर्ग हेतु अपना घर खरीदना काफी मुश्किल साबित होने लगा। हालांकि इस दौरान महानगरों एवं बड़े शहरों के विकास प्रधिकरण केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा इस कमी को पूरा करने हेतु विभिन्न प्रकार की आवास योजनाएं चलाई गईं लेकिन ये उस मांग को पूरा करने में उतने सफल नहीं हो पाए। जिस कारण निजी भू-विकासकों ने इस क्षेत्र में रुचि ली लेकिन इसके साथ यह समस्या सामने आई कि वे मनमाने ढंग से लोगों से पैसे इकट्ठा कर उन पैसे का कहीं और उपयोग करने लगे जिस कारण हाल के समय में भी कई आवासीय परियोजनाएं लटकी पड़ी हैं। जिन लोगों को घर मिला भी वे भी उससे संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि उनको जो सपना दिखाया गया था वैसा उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। वहीं दूसरी

किफायती आवासों की कमी देश भर के सभी शहरों में हैं। इसकी वजह इस वर्ग के आवास निर्माण में निजी डेवलपर्स द्वारा कम रुचि लेना है जिन्हें भूमि अधिग्रहण में समस्याओं, वित्त जुटाने, बढ़ती लागत से लेकर कम मुनाफे जैसी विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। किफायती आवास निर्माण में पेश आ रही सबसे बड़ी समस्या महानगरों में जमीन का अत्यधिक महंगा होना है। यही वजह है कि



ओर छोटे कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को कच्ची कॉलोनिनों में नरक से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर होना पड़ा।

किफायती आवासीय परियोजनाएं आमतौर पर उपनगरों तथा महानगरों के बाहरी इलाकों में ही बन रही हैं जहां अपेक्षाकृत सस्ते दाम में जमीन उपलब्ध होती है जिससे किफायती आवास निर्माण से डेवलपर भी मुनाफा कमा सकते हैं। हालांकि, ऐसी लोकेशनों पर उपयुक्त आवास खरीदना एक जटिल काम है। पेश है इसी संबंध में कुछ महत्वपूर्ण टिप्स :-

स्थान सार्वजनिक परिवहन के साधनों की आसान पहुंच में हो

यह बेहद जरूरी है कि जहां आप आवास खरीदना चाहते हैं, उसकी लोकेशन और महानगरों के भीतरी या कारोबारी इलाकों तक सार्वजनिक परिवहन के साधनों की पहुंच हो। ये साधन मैट्रो, रेल, बसें आदि कुछ भी हो सकते हैं। चूंकि परिवहन के ये साधन कम खर्चिले होते हैं, रोजाना आवाजाही पर होने वाला खर्च कम हो जाता है। पहली बार घर खरीद रहे लोग जिनका सीमित बजट हो, के लिए बाद में होने वाले खर्चों में कमी भी महत्वपूर्ण होती है।



सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त वाले स्थान का चुनाव करें

अनेक किफायती आवासीय परियोजनाएं उपनगरों के सुदूरवर्ती स्थानों पर बनाई जाती हैं। इन स्थानों पर स्थानीय गांववासियों का प्रभुत्व होता है और वहां विकास भी अव्यवस्थित होता है। कई किफायती आवासीय परियोजनाएं झुग्गी बस्तियों, फैक्टरियों तथा अन्य किफायती आवासीय परियोजनाओं के निकट बनाई जाती हैं। ऐसे स्थानों पर रहने पर कई सुरक्षा संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

ऐसे में महत्वपूर्ण है जहां भी आप घर खरीदने की सोच रहे हैं, उस इलाके में सुरक्षा के स्तर तथा माहौल पर गौर कर लें। घर हमेशा ऐसी आवासीय परियोजना में हो जहां रहना पूर्णतः सुरक्षित हो। चारदीवारी तथा चौकीदारों की निगरानी वाली आवासीय परियोजनाओं में घर खरीदना ही उपयुक्त होगा।

सामाजिक संरचनाओं की मौजूदगी बेहद महत्वपूर्ण है

आमतौर पर किफायती आवासीय परियोजनाएं शहरों तथा अन्य प्रमुख व विकसित स्थानों से दूर होती हैं। ऐसे में यह सुनिश्चित बनाना महत्वपूर्ण है कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बाजार आदि उस स्थान से करीब हों जहां आपने घर खरीदने का फैसला किया है। वरना इन सुविधाओं का प्रयोग करने या वहां आने-जाने में ही काफी समय तथा पैसा खर्च होता रहेगा।

मूलभूत विकास योजनाएं केवल वायदों तक सीमित न रह जाएं

कई बार उपनगरों एवं शहरों के बाहरी इलाकों के लिए विभिन्न मूलभूत संरचनाओं के विकास का वायदा किया जाता है परंतु बाद में इन प्रस्तावित योजनाओं पर काम

हो सकता है कि सरकार बाद में अन्य स्थानों में विकास को प्राथमिकता देने लगती है। पहली बार घर खरीद रहे लोगों को इलाके में प्रस्तावित मूलभूत संरचनाओं के लिए विकास की विश्वसनीयता की पड़ताल भली प्रकार कर लेनी चाहिए।

डेवलपर की प्रतिष्ठा की स्वयं पड़ताल अवश्य करें

उन्हें केवल डेवलपर्स की बातों पर यकीन नहीं कर लेना चाहिए और बेहतर होगा कि किसी भी प्रस्तावित योजना की गंभीरता का आकलन अपने स्तर पर किया जाए। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस प्रकार के विकास पर ही जहां इलाके में विभिन्न सुविधाएं निर्भर करती हैं वहीं आपके निवेश का मूल्य बढ़ना भी इसी पर आधारित होता है। किसी भी लोकेशन पर परिवहन के सार्वजनिक साधनों की पहुंच, सुरक्षा, मूलभूत संरचनाओं के विकास का आकलन करने तथा इनके आधार पर कुछ उपयुक्त किफायती आवासीय परियोजनाओं की सूची तैयार करने के बाद खरीदारों को चाहिए कि वे प्रत्येक डेवलपर के पिछले कामकाज पर गौर करें। पता करें कि क्या वे समय पर अपनी परियोजनाएं पूरी करते हैं, उनके पिछले ग्राहकों को उनसे किसी तरह की शिकायतें तो नहीं हैं।

कई बार छोटे-मोटे स्थानीय डेवलपर किफायती आवासीय परियोजनाएं शुरू कर लेते हैं जो बाद में ठप्प पड़ जाती हैं या परियोजना लांच करके रातों-रात बुकिंग का पैसा जमा करके गायब होने वाले ठगों की भी कमी नहीं है। ऐसे में मेहनत से कमाई जमा-पूंजी से हाथ धोने के बाद पछताने से बेहतर होगा कि डेवलपर के बारे में अच्छी तरह से पड़ताल कर ली जाए।

हर प्रकार के मासिक खर्चों को ध्यान में रखें

मेंटीनेंस शुल्क, बिजली के बिल आदि विभिन्न मासिक खर्चों का ध्यान रखना भी जरूरी है। पहली बार घर खरीद रहे अधिकतर लोगों का बजट सीमित होता है। जरूरी है कि वे मकान के शुरूआती मूल्य के साथ-साथ खरीदने के बाद होने वाले खर्चों का आकलन करके ही किसी भी किफायती आवासीय परियोजना में घर की खरीदारी का अंतिम फैसला लें। आज के समय में घर खरीदना किसी सपने को खरीदने से कम नहीं है। हालांकि कई सारे किफायती आवासीय परियोजना इस समय बाजार में हैं। अतः आप जब भी घर खरीदने के बारे में सोचें तो सभी पहलुओं पर काफी गंभीरता से विचार करें तभी अपना पैसा लगाएं क्योंकि यह आपके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक होता है। हल्की सी गलती भी आपको काफी नुकसान पहुंचा सकती है। अतः सोच समझकर ही घर खरीदने का फैसला लें।



बहुत धीमी गति से चलता है। इसकी एक वजह है कि जरूरी नहीं किसी नए इलाके को शुरू-शुरू में मिली चर्चा तथा लोकप्रियता बाद में भी कायम रहे। अन्य कारण





अपने क्रेडिट स्कोर का ध्यान रखें

दीपक राठी
सहायक प्रबंधक

आजकल हर व्यक्ति को कभी न कभी लोन की जरूरत पड़ती है। अक्सर लोग होम लोन, कार लोन या दूसरी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्सनल लोन लेते हैं। अगर आप भी किसी तरह के लोन के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो आपको अपना क्रेडिट स्कोर जरूर चेक कर लेना चाहिए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो इस बात की संभावना अधिक होती है कि आपकी लोन एप्लीकेशन मंजूर हो जाएगी। इसके अलावा बेहतर क्रेडिट स्कोर होने पर आपको ज्यादा अमाउंट का लोन मिल सकता है। वहीं अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तो आपको लोन लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि बैंक आपको अधिक ब्याज पर लोन दे। आज व्यक्ति के लिए उसका क्रेडिट स्कोर काफी अहम हो गया है। आपका क्रेडिट स्कोर निर्धारित करता है कि आपको कितना लोन मिलना चाहिए और ब्याज की दर क्या होगी। इसके साथ ही आपकी क्रेडिट हिस्ट्री लोन के आपके आवेदन की मंजूरी में भी बड़ी भूमिका निभाती है। क्रेडिट स्कोर आपके पुराने ऋण व्यवहार का संख्यात्मक प्रतिनिधित्व होता है, जो 300 से 900 की रेंज में हो सकता है। जितना ऊंचा स्कोर होगा उतनी ही आपकी ऋण

आपके ऋण व्यवहार के आधार पर बदलता रहता है। जिन ऋणदाताओं से आपने उधार लिया है, उनके लिए आपकी ऋण राशियों, क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल, पुनर्भुगतानों, चूकों तथा क्रेडिट ब्यूरो की सेटलमेंटों के बारे में रिपोर्ट करना आवश्यक



साख बढ़ने की संभावना होगी। बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों जैसे ऋण दाता उन लोगों को ऋण देने को अधिमान देते हैं जिनका क्रेडिट स्कोर अधिक हो क्योंकि इससे सुनिश्चित होता है कि वे अपना ऋण समय पर चुका देंगे। भारत में क्रेडिट स्कोर 4 ब्यूरोज द्वारा जारी किए जाते हैं जिनके नाम ट्रांसयूनियन सिबिल, इक्वीफैक्स, एक्सपेरियन तथा क्रिफ हार्ड मार्क है। क्रेडिट स्कोर एक गतिशील आंकड़ा है जो

है। अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाए रखने के लिए उन सभी पहलुओं के प्रति दिमाग से काम लेने की जरूरत है, जो इसे प्रभावित करते हैं। हालांकि हम आतमौर पर ऐसे कदम उठा लेते हैं जो हमारे क्रेडिट स्कोर पर असर डालते हैं। यद्यपि हमें ऐसे प्रभावों का एहसास नहीं होता।

बड़े ऋण

एक सुंदर सा घर हो अपना— इस बात का सपना तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन इसे साकार करने के लिए माकूल जुगत बहुत कम लोग ही बिठा पाते हैं। ऐसा इसलिए कि किसी के पास नियमित आय का अभाव होता है तो किसी के पास ऋण जमानत दाता का। लिहाजा, यदि आप अपने सपनों के घर को वित्तपोषित करने के लिए, एक विश्वसनीय ऋणदाता की तलाश करते हैं और इसके लिए आवेदन जैसे ही जमा करते हैं तो सबसे पहले ऋणदाता आपकी आय, नौकरी की स्थिरता, पुनर्भुगतान क्षमता आदि का मूल्यांकन करता है। आवास ऋण आसानी से कुछ लाख तक पहुंच जाते हैं और 10-30 वर्षों के लंबे समय के लिए होते हैं। इससे भी बढ़कर,



चूँकि घर आमतौर पर जीवन में एक बार किया जाने वाला निवेश होते हैं, हर कोई यह चाहता है कि उसे घर, खरीदते समय सब कुछ बेहतरीन मिले। इसके अतिरिक्त इंटीरियरज पर भी भारी भरकम धन राशि खर्च की जाती है। ये सब कुछ मिलकर घर की लागत को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा देते हैं। इन खर्चों को पूरा करने के लिए एक बड़े होम लोन की जरूरत हो सकती है। यदि यह होम लोन कुछ अन्य जारी ऋणों के अतिरिक्त लिया जाता है तो इसी व्यक्ति के लंबित ऋणों की संख्या का बढ़ना जरूरी है। यदि कुल ई.एम.आई आय के अधिकांश हिस्से को खा जाती है तो भविष्य में व्यक्ति ऋणों के लिए अपात्र भी हो सकता है। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में इस बात का भी जिक्र होता है कि पुराने लोन आपने चुकाए हैं या उनका सेटलमेंट किया है। यदि आपने सेटलमेंट किया है, तो इसका अर्थ है कि कर्जदाता का जोखिम बढ़ जाता है। इसी तरह यदि आपके पास लोन सही समय पर चुकाने का प्रमाण है, तो कर्ज आसान हो जाता है।

ई.एम.आई. भुगतान में चूक

होम लोन को स्वीकृत करवाना संभवतः बहुत कठिन नहीं है बशर्ते आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तथा अन्य वांछित मानदंडों को पूरा करता है। हालांकि यदि आपको अपने खर्चों तथा ई.एम.आई समय पर चुकाने में समस्याएं हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर शीघ्र ही नीचे जा सकता है। कुछ ई.एम.आई की तुलना में बढ़ी होती है जैसे कि वाहन अथवा निजी ऋण तथा उनकी ई.एम.आई. निमित्त रूप से चुकाने के लिए किए जाने वाले ठोस प्रयास।



ऋण मिश्रण

एक स्वस्थ ऋण मिश्रण (क्रेडिट मिक्स) सुरक्षित तथा असुरक्षित ऋणों का मिश्रण होता है और यह आपके क्रेडिट स्कोर में शामिल होता है। अत्यधिक संख्या में असुरक्षित क्रेडिट उत्पाद जैसे कि पर्सनल लोन्स तथा क्रेडिट कार्ड्स आपको ऋण साख वाले व्यक्ति के तौर पर नहीं दिखाते बल्कि ऐसे दिखाते हैं कि आप ऋणों के भूखे हैं। यदि आपके असुरक्षित ऋण काफी संख्या में हैं तो होम लोन आपके क्रेडिट प्रोफाइल में एक अच्छी प्रविष्टि हो सकती है क्योंकि यह आपके द्वारा खरीदा गया

घर के खिलाफ सुरक्षित है। यह आपको अपना क्रेडिट स्कोर बनाए रखने के लिए सही ऋण मिश्रण हासिल करने में मदद करेगा।

सख्त जांचें

सख्त जांचें वे हैं जो ऋणदाता द्वारा हर बार आपके द्वारा किसी क्रेडिट प्रोडक्ट के लिए आवेदन करने पर की जाती हैं। क्या आपको पता है कि अतीत में एक वर्ष पूर्व



की जाने वाली सभी सख्त जांचें आपका क्रेडिट स्कोर निर्धारित करने के लिए थीं? और यह इस तथ्य की परवाह न करते हुए है कि अंततः आपका ऋण स्वीकृत किया जाता है या नहीं। यदि आपने स्वयं यथोचित परिश्रम के बिना होम लोन के लिए आवेदन किया है तो आपके सामने आपकी क्रेडिट रिपोर्ट को लेकर सख्त जांच का जोखिम हो सकता है। विभिन्न गतिविधियों में से एक, अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाए रखने में आपकी मदद कर सकती है, वह बार-बार अपना क्रेडिट स्कोर जांचना। आपको 3-6 महीनों के अंतराल में कम से कम एक बार अपना क्रेडिट स्कोर जांचना चाहिए ताकि किसी ऋण के लिए आवेदन करने से पूर्व आपको अपनी स्थिति के बारे में अच्छी जानकारी हो। इस तरह से आपके पास गलतियों को सुधारने के लिए हमेशा समय होगा, यदि आपके क्रेडिट स्कोर में कोई है तो।

एक अच्छा क्रेडिट स्कोर आपकी वित्तीय सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपना क्रेडिट स्कोर नियमित रूप से जांचें तथा अपने वर्तमान ऋण के प्रति जिम्मेदारीपूर्ण कार्यवाई करें ताकि आप हमेशा अपनी ऋण साख बनाए रख सकें। अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाए रखना इतना कठिन नहीं है अगर आप आर्थिक रूप से अनुशासित हैं और एक अच्छा क्रेडिट स्कोर प्राप्त करने के लिए जरूरी तरीकों का पालन करें। लोन का भुगतान करने के लिए आपकी विश्वसनीयता क्रेडिट स्कोर द्वारा निर्धारित की जाती है। इसलिए, आपको अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाए रखने की सलाह दी जाती है। आपको उन खराब चीजों के बारे में पता होना चाहिए जिस से आपके क्रेडिट स्कोर पर गलत प्रभाव पड़ सकता है या वो कम हो सकता है।





टाइगर जिंदा है!

आर. के. अरविंद
क्षेत्रीय प्रबंधक



**निर्वनो वध्यते व्याघ्रः निर्व्याघ्रं छिद्यते वनम् ।
तस्माद्व्याघ्रो वनं रक्षेत् वनं व्याघ्रज्च पालयेत् ॥**

– महाभारत, उद्योगपर्व

ऊपर दिया गया संस्कृत श्लोक बहुत ही आकर्षक ढंग से हमारे राष्ट्रीय पशु बाघ (टाइगर) के संरक्षण के महत्व को व्यक्त करता है। इस संस्कृत श्लोक का अनुवाद है 'बाघ जंगल के बिना जीवित नहीं रह सकते और इसी तरह जंगल बिना बाघ के बरबाद हो जाते हैं। बाघ उन जंगलों का संरक्षण करते हैं जो उनका पोषण करते हैं'। हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 'भारत में बाघों की स्थिति-2018' पर रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तैयार और एकत्रित की गई है। रिपोर्ट में वन्यजीव प्रेमियों को अच्छी खबर प्राप्त हुई क्योंकि यह अनुमान लगाया गया है कि हमारे देश में बाघों की आबादी **2,967** है। यह संख्या वर्ष 2011 में 1706 से तथा वर्ष 2014 में 2226 से 35% बढ़ गई है। भारत में वैश्विक बाघों की आबादी का **60%** हिस्सा है और संख्या में वृद्धि हमारे देश द्वारा बनाए गए इन जानवरों के आवासों के संरक्षण में भारी प्रयासों की ओर इशारा करती है। मध्य प्रदेश और कर्नाटक में बाघों की संख्या सबसे अधिक है और इन राज्यों में बाघों का बड़ी मात्रा में होना भी साल भर पर्यटकों को आकर्षित करता है।



फोटो: आर.के. अरविन्द

बाघ जनगणना रिपोर्ट पारिस्थिति संबंधी प्रक्रियाओं को विनियमित करने और बनाए रखने में एक शीर्ष प्रेडेटर के रूप में बाघों की भूमिका के बारे में बताती है। भारत में, बाघ ऊंचे पहाड़ों, सदाबहार के दलदलों, ऊंचे घास के मैदानों, सूखे और नम

पतझड़ी जंगलों, साथ ही एवरग्रीन और शोला वन प्रणालियों से लेकर विविध प्रकार के पर्यावास में निवास करते हैं। बाघों को लंबे समय तक अपनी व्यवहार्य आबादी को बनाए रखने के लिए पर्याप्त शिकार के साथ निवास के बड़े अबाधित इलाके की आवश्यकता होती है; इस प्रकार भारतीय उपमहाद्वीप में अधिकांश वातावरणीय क्षेत्र के लिए एक छत्र प्रजाति के रूप में कार्य। भारत का राष्ट्रीय बाघ आकलन दुनिया में कहीं भी किया जाने वाला सबसे बड़ा जैव विविधता सर्वेक्षण है। आकलन का चौथा चक्र सर्वोत्तम उपलब्ध विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विश्लेषणात्मक उपकरणों का उपयोग करके वर्ष **2018** और **2019** में किया गया था। इस चक्र में, **M-STrIPES** (बाघों के लिए निगरानी प्रणाली – गहन संरक्षण और पारिस्थितिक स्थिति) जैसे मोबाइल फोन एप्लिकेशन के माध्यम से डिजिटल रूप से प्राथमिक क्षेत्र के डेटा की रिकॉर्डिंग, जो जियोटैग फोटो-साक्ष्य के लिए जीपीएस का उपयोग करता है और सर्वेक्षण की जानकारी ने इस कार्य को मानवीय त्रुटि के छोटे मार्जिन के साथ और अधिक सटीक बना दिया। इसके अलावा, इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता और न्यूट्रल नेटवर्क मॉडल (सॉफ्टवेयर **CaTRAT** – कैमरा ट्रैप डेटा रिपॉजिटरी एंड एनालिसिस टूल) का उपयोग करके प्रजातियों के लिए कैमरा ट्रैप तस्वीरों के स्वचालित वियोजन जैसी नवीन प्रौद्योगिकी का विकास शामिल था। आकलन के इस चक्र की अनोखी विशेषता, "डिजिटल इंडिया" को ध्यान में रखते हुए, मानव त्रुटियों को कम करने के लिए डेटा के संग्रह और प्रोसेसिंग में नवीन तकनीकी उपकरणों का विकास और उपयोग है। (स्रोत: भारत में बाघों की स्थिति – 2018)

वन कर्मचारियों को बाघों की रक्षा एवं संरक्षण में उनके अथक प्रयासों के लिए बधाई दी जानी चाहिये। बाघ परियोजना 9 बाघों के साथ 1973 में शुरू हुई जो बढ़कर 50 हो गई जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 2.21% भाग कवर करती है। वन विभाग द्वारा कई चुनौतियों का सामना किये जाने के बावजूद कई परिणाम प्राप्त हुए हैं जैसे कि श्रमशक्ति की कमी, जंगलों पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव, संगठित गिरोहों और शिकारियों से खतरा तथा भूलत कर्मचारियों के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी।

मुझे महाराष्ट्र में ताडोबा टाइगर रिजर्व और राजस्थान में रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघों को देखने और उनकी तस्वीरें खींचने का अवसर मिला। मेरे लिए जंगल में बाघ देखने का रोमांच बेमिसाल है। रणथंभौर नेशनल पार्क में सुबह का समय था और हम बाघों को देखने के लिये पार्क में घूम रहे थे। अचानक हमारे गाइड ने हमें दूर से आ रहे दो बाघों के बारे में बताया। उन्होंने जिप्सी तेजी से चलायी और एक विशेष स्थान पर खड़ा किया और बस हमें 'चुप रहने और देखने' के लिये कहा। कुछ ही मिनटों में हम दो बाघों को अपने वाहन के पास से जाते हुए देख सकते थे। हमें बाद में बताया गया कि ये **T39** बाघिन के दो मादा शावक थे। मैंने अपना डीएसएलआर निकाला और दो बाघों पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे-जैसे वे करीब आते गए, मैंने अपने शरीर में थोड़ी घबराहट और डर महसूस किया। मैंने कैमरे को



उन्ही पर केंद्रित रखा और चित्रों को क्लिक करते हुए चला गया और एक समय पर बाघिन सीधे कैमरे में दिखी और मैं उस फ्रेम को क्लिक करने में सफल रहा। यह विशेष तस्वीर इस लेख के साथ साझा की जा रही है। मेरे लिए यह तस्वीर इस खूबसूरत जानवर के वैभव को दर्शाती है। इसकी आँखों में अहंकार और घृणा दिख रहा है, जैसे कि यह कह रही हो कि “मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं आ रही हूँ”। फोटो इस खूबसूरत जीव के डर और भय को दर्शाती है। दो मादा शावक हमारी जिप्सी के पास से गुजरीं और मैं पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गया।

बाघों को देखना और उनके साथ फोटो खिंचवाना एक अद्भुत अहसास था और इससे मुझे यह भी एहसास हुआ कि हम इस दुनिया को भगवान की बहुत खूबसूरत रचनाओं के साथ साझा करते हैं। यह पृथ्वी केवल हमारी नहीं है। यह बहुत सारे जीव-जंतुओं की है और उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हालाँकि बाघ अपने अस्तित्व के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। भारत के 50 बाघों में से कम से कम आधे को सड़क, राजमार्ग और रेलवे लाइनों जैसे रैखिक बुनियादी ढांचे से खतरे का सामना करना पड़ रहा है। यह देखा गया है कि बाघों के अधिकांश इलाके खनिजों में भी समृद्ध हैं, जिसके परिणामस्वरूप खनन गतिविधि के लिए वन भूमि के परिवर्तन हेतु इस तरह के इलाकों पर दबाव बढ़ गया है। 2018 की टाइगर (बाघ) जनगणना में यह बताया गया है कि कुछ बाघों के इलाके हैं जहाँ कोई बाघ नहीं गिना जा सकता है। यह एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। बाघों का अवैध शिकार एक बड़ा खतरा है और यह चीन और अन्य देशों में बाघों के हिस्सों की मांग में वृद्धि से प्रभावित हुआ है। जैसे-जैसे बाघों की आबादी बढ़ रही है, हमें जानवरों के कॉरिडोर का विकास और संरक्षण करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि बाघों



और अन्य जंगली जानवरों में विभिन्न वन पैच के माध्यम से निर्बाध आवाजाही हो सके। एक बाघ को बचाना एक जंगल को बचाने के बराबर है जो स्वतः पानी को बचाना और प्रदूषण को कम करना है।

वर्तमान में हमारे देश के विभिन्न भाग पानी के संकट से जूझ रहे हैं। हमारे शहर कंक्रीट के जंगलों में बदल गए हैं और हमने पेड़ों और टैकों जैसी पारंपरिक जल संचयन संरचनाओं को नष्ट कर दिया है। कुछ स्थानों पर हम बाढ़ का सामना कर रहे हैं जबकि कुछ निरंतर वर्षों में सूखे से तबाह हो गए हैं। पुराने समय में हम प्रकृति के साथ सदभाव में रहते थे, लेकिन अब हमने अपने लालच के लिए इस संबंध को नष्ट कर दिया है। हमने अपनी नदियों को बड़े पैमाने पर प्रदूषित किया है और हमारे शहर जहरीली हवा के कारण घुट रहे हैं। जलवायु परिवर्तन की घटना



बहुत कम समय में अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक गर्मी आदि जैसी अत्यधिक घटनाओं का कारण बन रही है। साथ ही, विकास भी आवश्यक है। हम हमेशा के लिए जंगलों में नहीं रह सकते और कोई प्रगति नहीं कर सकते। हमें सड़कों, कारखाने आदि बनाने की जरूरत है। लोगों को रोजगार और सुविधाओं की जरूरत है। हमारे देश में यह देखा गया है कि कभी-कभी लोग बाघ जैसे जंगली जानवरों पर अत्यधिक ध्यान देने से भी नाराज हो जाते हैं और उनका मानना है कि उनकी चिंताओं का समाधान कभी नहीं किया जाता है।

उन्हें आजीविका और अपनी आय में वृद्धि की आवश्यकता है। जब मैं पीड़ित हूँ तो बाघ पर ध्यान क्यों दिया जाता है, यह सवाल बाघों के इलाके के आसपास रहने वाले लोग अक्सर पूछते हैं? इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम संतुलन बनाए रखें। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि जब भी कोई विकास परियोजना हो, तो हमें वन्यजीवों के आवासों को नष्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों को अधिकतम लाभ मिले। हमें बाघों के इलाके के प्रबंधन में यथासंभव स्थानीय आबादी को शामिल करने की आवश्यकता है। हमें प्रकृति और विकास दोनों को समान महत्व देना चाहिए। यह किसी एक को चुनने का मामला नहीं होना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी रिपोर्ट जारी करते हुए टिप्पणी की है कि विकास या पर्यावरण की यह बहस पुरानी है और दोनों पक्ष इस तरह के विचार प्रस्तुत करते हैं जैसे कि यह प्रत्येक पारस्परिक रूप से अनन्य है, लेकिन दोनों के बीच एक ठोस संतुलन बनाना संभव है। उन्होंने यह विश्वास भी जताया कि भारत आर्थिक और पर्यावरण दोनों तरह से समृद्ध होगा।





प्लास्टिक का प्रयोग : बढ़ता पर्यावरणीय खतरा

पंकज चढ़ा
क्षेत्रीय प्रबंधक

आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिका तक हर जगह प्लास्टिक पाया जाता है। यह पृथ्वी के बेहद दुर्गम क्षेत्रों में भी पाया जाता है और माउंट एवरेस्ट पर भी जमा होता है। देश के वुडलैंड्स में समाप्त होने वाले प्रत्येक प्लास्टिक बैग से जीवन और पर्यावरण की प्राकृतिक प्रगति को खतरा है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 1950 से 1970 के दशक में, केवल थोड़ी मात्रा में प्लास्टिक का उत्पादन किया गया था, इसलिए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन योग्य था। 1990 के दशक तक, प्लास्टिक उत्पादन में समान वृद्धि के बाद, प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दो दशकों में तीन गुना से अधिक हो गया था। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि 1950 की शुरुआत के बाद से 8.3 बिलियन टन से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन किया गया है। लगभग 60% प्लास्टिक या तो लैंडफिल या प्राकृतिक वातावरण में समाप्त हो गया है। अभी तक उत्पादित सभी प्लास्टिक कचरे का केवल 9% पुनर्नवीनीकरण किया गया है। लगभग 12% का विस्थापन किया गया है, जबकि शेष – 79% – लैंडफिल, डंप या प्राकृतिक वातावरण में जमा हुआ है। दुनिया के समुद्रों के माध्यम से अनुमानित 270,000 टन प्लास्टिक तैर रहे हैं जो दुनिया के 90% से अधिक समुद्री पक्षियों के पेट में, दुनिया के आधे से अधिक कछुओं के पेट में अपनी जगह पाते हैं। लियो टॉल्स्टॉय ने एक बार कहा था “खुशी की पहली शतां में से एक यह है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच की कड़ी को तोड़ा नहीं जाएगा।”



यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्लास्टिक एक अद्वितीय सामग्री है जिसमें कई लाभ हैं: यह सस्ता, बहुमुखी, हल्का, टिकाऊ और प्रतिरोधी है। यह इसे कई कार्यों के लिए एक मूल्यवान सामग्री बनाता है। हालांकि, वही गुण जो प्लास्टिक को इतना

उपयोगी बनाते हैं – उनका स्थायित्व और गिरावट का प्रतिरोध – उन्हें प्रकृति के लिए पूरी तरह से टूटने के लिए लगभग असंभव बना देता है। जबकि प्लास्टिक के कई मूल्यवान उपयोग हैं, हम गंभीर पर्यावरणीय परिणामों के साथ एकल-उपयोग या डिस्पोजेबल प्लास्टिक के आदी हो गए हैं। दुनिया भर में, प्रति मिनट एक मिलियन प्लास्टिक की पीने की बोतलें खरीदी जाती हैं, जबकि दुनिया भर में हर साल 5 ट्रिलियन एकल-उपयोग प्लास्टिक बैग का उपयोग किया जाता है। कुल में, सभी उत्पादित प्लास्टिक का आधा हिस्सा केवल एक बार उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है – और फिर फेंक दिया गया। प्लास्टिक का कचरा अब प्राकृतिक वातावरण में इतना सर्वव्यापी है कि वैज्ञानिकों ने यह भी सुझाव दिया है कि यह एंथ्रोपोसीन युग के भूवैज्ञानिक संकेतक के रूप में काम कर सकता है। प्लास्टिक में जहरीले प्रदूषक होते हैं जो पर्यावरण को लंबे समय तक नुकसान पहुंचाते हैं और भूमि, जल और वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। मिट्टी पर प्लास्टिक के हानिकारक प्रभाव समुद्री और पानी के संदूषण के समान हैं। मृदा संदूषण भी प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग का परिणाम है। यह न केवल पर्यावरण और महासागरों के लिए हानिकारक है, बल्कि वन्यजीवों के लिए भी हानिकारक है – जहां यह समुद्र में लगभग 700 प्रजातियों को प्रभावित करता है। जहरीले रसायन प्लास्टिक से बाहर निकलते हैं और हम सभी के रक्त और ऊतक में पाए जाते हैं। उनके संपर्क में कैंसर, जन्म दोष, बिगड़ा प्रतिरक्षा, अंतःस्रावी व्यवधान और अन्य बीमारियों से जुड़ा हुआ है। प्लास्टिक में कुछ योजक और उत्पादों द्वारा मिट्टी और भूजल के दूषित होने के दीर्घकालिक जोखिम हैं, जो लगातार कार्बनिक प्रदूषक बन सकते हैं।

प्लास्टिक बायोडिग्रेड नहीं कर सकता; यह छोटे और छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। एक अध्ययन के अनुसार, 10 साल से कम समय में, समुद्र में 2050 तक 250 मिलियन मीट्रिक टन हो जाएगा; महासागरों में मछलियों की तुलना में अधिक प्लास्टिक होगा। फिर भी, दुनिया वर्तमान में हर साल लगभग 300 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन कर रही है, इस तथ्य के बावजूद कि प्लास्टिक सामग्री 2,000 साल और अधिक समय तक पर्यावरण में रह सकती है। 500 बिलियन से अधिक और संभवतः एक ट्रिलियन प्लास्टिक बैग जितना सालाना प्रचलन में है, इससे भयावह कूड़े की समस्या पैदा हो सकती है जो एक बहुत ही गंभीर पर्यावरणीय खतरा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार, “प्लास्टिक प्रदूषण के कारण सब कुछ पीड़ित है, यह पर्यटन, मनोरंजन, व्यवसाय, मनुष्यों, जानवरों, मछली और पक्षियों का स्वास्थ्य है। लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा वित्तीय नुकसान असंगत है। “एक अन्य अध्ययन के अनुसार, दुनिया के केवल नौ प्रतिशत प्लास्टिक को पुनर्नवीनीकरण किया जाता है और इसका अधिकांश हिस्सा लैंडफिल में समाप्त हो



जाता है, जहां अपघटित होने में 1,000 साल तक का समय लग सकता है, संभावित विषाक्त पदार्थों को नष्ट कर सकता है। मिट्टी और पानी। जर्मनी के शोधकर्ता चेतावनी दे रहे हैं कि मिट्टी, तलछट और मीठे पानी में माइक्रोप्लास्टिक्स का प्रभाव ऐसे पारिस्थितिक तंत्र पर दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। जॉन पॉल द्वितीय ने कहा, “हम यह नहीं कह सकते कि हम भूमि से प्यार करते हैं और फिर भविष्य की पीढ़ियों द्वारा इसे नष्ट करने के लिए कदम उठाते हैं।”

जबकि प्लास्टिक की समस्या का एक संपूर्ण समाधान संभवतः वर्षों से दूर है, छोटे परिवर्तन एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यह प्लास्टिक को प्रदर्शित करने के लिए लुभावना है, लेकिन वास्तविक रूप से, प्लास्टिक स्वयं स्वाभाविक रूप से बुराई नहीं है। प्लास्टिक हमारे लिए जीवन को बेहतर और आसान बनाता है। प्लास्टिक की एक किस्म हमारे जीवन को लम्बा खींचने में मदद करती है। वास्तव में, यह प्लास्टिक की अमरता है कुछ उद्यमी शोधकर्ताओं ने “बॉक्स के बाहर” सोचना शुरू कर दिया है ताकि पहले से ही मौजूद प्लास्टिक को फिर से प्रयोजन के लिए नवाचारों को विकसित किया जा सके, शायद जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को भी कम किया जा सके। प्लास्टिक की रासायनिक संरचना में महत्वपूर्ण है। प्लास्टिक लंबी श्रृंखलाओं – पॉलिमर – कार्बन अणुओं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) और मीथेन (CH₄) से बने होते हैं। मूल रूप से, अगर हम CO₂ या CH₄ गैसों के एक हिस्से को प्लास्टिक में सीवेस्ट करके वायुमंडल से स्थायी रूप से निकाल सकते हैं, तो हम इन गैसों को जलवायु को और अधिक नुकसान पहुंचाने से रोकेंगे। इसी तरह, कुछ शोधकर्ता अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों में मीथेन गैस की समस्या को कम करने के लिए काम कर रहे हैं, ताकि मीथेन को पकड़ने के लिए विशेष रूप

मदर नेचर के पास कई तरह के चतुर नवाचार हैं जिन्हें हम केवल खोजने और समझने के लिए शुरू कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, इस बात के सबूत हैं कि कम से कम कुछ जानवर, जैसे कि कैंटरपिलर अपने स्वयं के विशेष गट रोगाणुओं का संग्रह करने के लिए घरों को प्रदान करते हैं जो पारंपरिक रूप से गैर-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को कम से कम कुछ प्रकार से बायोडिग्रेड कर सकते हैं – एक ऐसी खोज जो वास्तव में नवाचारों को जन्म दे सकती है। रीसाइक्लिंग प्लास्टिक। जापानी वैज्ञानिकों के एक समूह ने “म्यूटेंट एंजाइम” विकसित किया है जो परंपरागत रूप से गैर-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, पीईटी को कम कर सकती है, जिसमें प्लास्टिक की पानी की बोतलें शामिल हैं।

एक अन्य तरीका उन सामग्रियों का उपयोग करके टिकाऊ पैकेजिंग हो सकता है जिन्हें आसानी से पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है, या वे प्लास्टिक की तुलना में



से रोगाणुओं की क्षमता का दोहन किया जा सके और उन्हें पॉलिमर बनाने के लिए एक साथ चिपका दिया जा सके और फिर प्लास्टिक के बड़े और अधिक उपयोगी टुकड़ों में निर्मित किया जा सके। कुछ कंपनियों ने पहले से मौजूद प्लास्टिक को पानी की बोतलों की तरह प्लास्टिक फिलामेंट में परिवर्तित करना शुरू कर दिया है, जो 3 डी प्रिंटर द्वारा उपयोग किया जाता है। यह प्लास्टिक के कचरे को समुद्र में डंप करने या इसे जलाने के बजाय अन्य उपयोगी रूपों में पुनर्जीवित करता है, जो तब CO₂ को उस वातावरण में मुक्त करता है जहां यह जलवायु परिवर्तन में योगदान कर सकता है।

अधिक तेजी से विघटित हो सकते हैं। प्लास्टिक बैग के लिए हमेशा विकल्प होते हैं और अधिक विकल्पों की तलाश जारी रहती है। कागज के थैले बनाने के लिए आवश्यक बढ़ी हुई ऊर्जा के साथ संयुक्त पेपर उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पेड़ों के उपयोग का नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव भी होगा।

उम्मीद है कि इन नए नवाचारों और खोजों ने अभी तक अधिक रचनात्मक विचारकों को अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया है, शायद रोगाणुओं की विशाल सेना द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, इसलिए हम सीओ 2 और सीएच 4 को नुकसान से बचाने के लिए जाहिर तौर पर अमर प्लास्टिक को अन्य उपयोगी रूपों में पुनः उद्देश्य दे सकते हैं। वातावरण में। जेन गुडाल के शब्दों में, “आप अपने आस-पास की दुनिया पर प्रभाव डाले बिना एक दिन के माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकते। आप क्या करते हैं इससे फर्क पड़ता है और आपको तय करना होगा कि आप किस तरह का परिवर्तन चाहते हैं।”

हम एक उपभोक्ता के रूप में भी प्लास्टिक कचरे को कम करने का प्रयास करके समस्या को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। हमारे दिन-प्रतिदिन के जीवन में छोटे-छोटे बदलाव भी पर्यावरण में प्लास्टिक कचरे की मात्रा को कम कर सकते



हैं। कचरे को कम करने का एक शानदार तरीका किराने की दुकान के लिए पुनः प्रयोज्य बैग का उपयोग करना है। डिस्पोजेबल के बजाय एक पुनः प्रयोज्य पानी की बोतल से पीने से भी बहुत मदद मिल सकती है। रेस्तरां में प्लास्टिक के स्ट्रॉ का उपयोग करने से बचें। कोशिश करें कि प्लास्टिक की बोतलों की जगह कार्डबोर्ड बॉक्स में कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट जैसे घरेलू उत्पाद खरीदें। जितना संभव हो उतना हमारे प्लास्टिक उपयोग को कम करने के बाद, हम जो कुछ भी कर सकते हैं उसे पुनः चक्रित करें। जार, दूध के जग, बैटरी और यहां तक कि क्रेयॉन और स्याही कारतूस जैसी वस्तुओं को पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है।

अगर हम प्लास्टिक कचरे को कम करने और पर्यावरण में प्रदूषण को कम करने के बारे में सचेत हैं, तो हम अपने समुदाय में एक आदर्श बन सकते हैं। स्थानीय रेस्तरां, दुकानों या अन्य व्यवसायों से पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग और बैगिंग विकल्पों के बारे में बात करें। प्लास्टिक प्रदूषण का पर्यावरण पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, लेकिन प्लास्टिक कचरा अनुपयोगी नहीं होता है। हर बार जब हम प्लास्टिक उत्पादों से बचने या रीसायकल करने का विकल्प चुनते हैं, तो हम पर्यावरण के नुकसान का जोखिम कम करते हैं। हमारी पसंद के बारे में सचेत रहें, और अपने आस-पास के लोगों को प्लास्टिक फेंकने या अनावश्यक प्लास्टिक की चीजें खरीदने से पहले दो बार सोचने के लिए प्रोत्साहित करें।



हमें अपने स्रोत पर प्लास्टिक के प्रवाह को धीमा करने की आवश्यकता है, लेकिन हमें अपने प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के तरीके में सुधार करने की भी आवश्यकता है। प्लास्टिक कचरा – चाहे वह नदी में हो, समुद्र में हो या भूमि पर – सदियों तक पर्यावरण में बना रह सकता है। प्लास्टिक कचरे के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना शायद सबसे बड़ी चीजों में से एक है जो हम कर सकते हैं। किराने का सामान ले जाने के लिए अपना खुद का बैग ले जाना भी एक बहुत ही सरल कार्य है जो लगातार किया जा सकता है। इसके अलावा, ऐसी कई चीजें हैं जो सरकारें भी कर सकती हैं – जन जागरूकता अभियान चलाने से लेकर,

पुनर्चक्रण के लिए प्रोत्साहन की पेशकश करने, लेवीज शुरू करने या यहां तक कि कुछ उत्पादों पर एक समान प्रतिबंध लगाने के लिए। पिछले दशक में, दुनिया भर में दर्जनों राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों ने डिस्पोजेबल प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए नीतियों को अपनाया है और संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अफ्रीका महाद्वीप इस मामले में औरों से अलग है जहां अधिकांश देशों ने प्लास्टिक बैग के उत्पादन और उपयोग पर कुल प्रतिबंध को अपनाया है।

प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई एक कभी खत्म नहीं होने वाली है क्योंकि हम



लगातार हानिकारक सामग्री का उत्पादन कर रहे हैं। हालांकि, किसी भी मामले में यह एक खो कारण नहीं है। कचरे को कम करने के बहुत सारे तरीके हैं, और यदि प्रत्येक व्यक्ति अपना हिस्सा करता है, तो दुनिया को बेहतर के लिए बदला जा सकता है। अन्यथा, यह केवल भूमि, पानी और जानवर नहीं होंगे जो प्लास्टिक के साथ जहर होते हैं, बल्कि हम भी। फिर भी, भले ही हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं, फिर भी हमें उन्हें लागू करने की आदत डालनी होगी। यह केवल उपभोक्ताओं को ही प्रभावित नहीं करता है, जिन्हें खरीदारी करते समय स्थायी पैकेजिंग में उत्पादों को प्राथमिकता देनी चाहिए, बल्कि निर्माताओं और उनके इंजीनियरों को भी। यह एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन यह निश्चित रूप से सार्थक है, और जल्द ही या बाद में बाजार पुराने प्रकार की प्लास्टिक पैकेजिंग को अप्रचलित के रूप में पहचान लेगा। यह महत्वपूर्ण है कि समाज पर्यावरण पर प्लास्टिक की थैलियों के प्रभावों को ठीक से समझना शुरू कर दें और उनसे निपटने के लिए स्थायी तरीके बनाना सीखें। हमने पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारी सकारात्मक कार्रवाई देखी है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम सभी को और अधिक करने की आवश्यकता है। **मदर टेरेसा के शब्दों में "मुझे केवल तब गुस्सा आता है जब मैं बर्बादी देखती हूँ। जब मैं लोगों को उन चीजों को फेंकते देखती हूँ जो हम उपयोग कर सकते हैं।"**





जल संरक्षण शुल्क

अक्षय कुमार
उप प्रबंधक

भू-जल से तात्पर्य उस जल से है जो चट्टानों और मिट्टी से रिस जाता है और भूमि के नीचे जमा हो जाता है। जिन चट्टानों में भूजल जमा होता है, उन्हें जलभृत कहा जाता है। इन चट्टानों से पानी नीचे बह जाता है क्योंकि चट्टानों के बीच में ऐसी बड़ी और परस्पर जुड़ी हुई जगहें होती हैं, जो चट्टानों को पारगम्य (प्रवेश के योग्य) बना देती हैं। जलभृतों में जिन जगहों पर पानी भरता है, वे संतृप्त जोन (सैचुरेटेड जोन) कहलाते हैं। सतह में जिस गहराई पर पानी मिलता है, वह जल स्तर (वॉटर लेबल) कहलाता है।

प्रमुख दिशा-निर्देश

केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन आने वाले केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण ने जल संरक्षण (वाटर कंजर्वेशन) के संबंध में दिशा-निर्देश तैयार कर अधिसूचना जारी कर दी है, जो 1 जून, 2019 से लागू हो जाएगी। नए दिशा-निर्देश में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण योजनाओं के लिए कोष जुटाने के उद्देश्य से भू-जल के इस्तेमाल पर जल संरक्षण शुल्क लगाया जाए। जल संरक्षण शुल्क, भू-जल उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग किये गये भू-जल की मात्रा के आधार पर लगाया जाएगा। वर्तमान समय में भारत में बढ़ते भूमिगत जल के उपयोग के आधार पर नए दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिनमें मुख्य बिन्दु शामिल हैं—

- इंच से अधिक व्यास वाली पाइप का उपयोग करने पर (भू-जल प्राप्त करने हेतु) जल संरक्षण शुल्क देना होगा। प्राधिकरण ने इस नियम से घरेलू जल उपयोग और किसानों को छूट दी है, हालाँकि सभी प्रकार के उद्योगों, खनन और ढाँचागत परियोजनाओं के लिए भू-जल निकालने को सीजीडब्ल्यूए से एनओसी लेनी होगी। एनओसी सिर्फ पाँच साल के लिये वैध होगी।
- प्राधिकरण ने राज्य सरकार को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अतिरिक्त शर्तें लगाने की छूट दी है, जिसकी समीक्षा प्राधिकरण खुद करेगा।
- भू-जल निकासी के आधार पर सरकार के पास भू-जल ब्लॉक की एक सूची होती है, जिसे मूल्यांकन ब्लॉक कहा जाता है।
- जो लोग पानी निकालने के लिये विद्युत का उपयोग नहीं करते हैं, उन्हें एनओसी और जल संरक्षण शुल्क से मुक्त रखा गया है।
- सरकारी जलापूर्ति एजेंसियों ने सशस्त्र सेनाओं, रक्षा और अर्द्धसैनिक बलों के प्रतिष्ठानों के लिए रणनीतिक और सामरिक बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को छूट प्रदान की गई है।

- आवासीय परियोजनाओं के लिये जल संरक्षण शुल्क की सीमा 1 से 2 रुपये प्रति घन मीटर है, परन्तु आवासीय निकायों को जल संरक्षण शुल्क के अलावा एनओसी के लिये भी आवेदन करने की आवश्यकता है।
- एक कम्पनी को एक दिन में 5000 क्यूबिक मीटर या उससे अधिक जल निकालने पर उसे 'अत्यधिक शोषित' ब्लॉक में शामिल किया जाएगा, लेकिन 'सुरक्षित ब्लॉक' में एक दिन में 20 घन मीटर जल निकालने पर एक कम्पनी को प्रति घन मीटर पर 3 रुपए खर्च करने पड़ेंगे।

इन दिशा-निर्देशों को लागू करने से होने वाले लाभ

- जल संरक्षण शुल्क के माध्यम से जो औद्योगिक इकाईयाँ पानी का दुरुपयोग करती हैं, उन्हें हतोत्साहित किया जा सकेगा।
- इस शुल्क से उन क्षेत्रों को भी सुरक्षित किया जा सकेगा, जहाँ जमीन से अत्यधिक मात्रा में पानी निकाला जा चुका है और सूखा प्रभावित क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में नये उद्योगों को लगाने से रोका जा सकेगा।
- जल संरक्षण शुल्क श्रेणी, उद्योग के प्रकार तथा भूमि से जल निकालने की मात्रा के आधार पर लगाया जाएगा, जिसके फलस्वरूप भूमिगत जल के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा।
- प्रदूषण फैलाने तथा जल को दूषित करने वाले उद्योगों पर कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।
- उद्योगों से निकलने वाला जल, जिसका पुनर्चक्रण हो चुका है और शोधित सीवेज जल के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जायेगा।
- छत पर वर्षा जल संचय प्रणाली को अनिवार्य रूप से स्थापित करना।
- भू-जल स्तर की निरंतर निगरानी करना और केन्द्रीय भू-जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) को रिपोर्ट सौंपना है साथ ही अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण कर उसका पुनः उपयोग करना।
- डिजिटल प्रवाह मीटरों की पीजो मीटर और डिजिटल स्तर रिकॉर्डरों की अनिवार्यता।
- जल संरक्षण शुल्क लागू होने से भूमिगत जल को दूषित होने से रोकने हेतु अपनाने वाले उपायों को प्रोत्साहित करना।



दिशा-निर्देशों की कमियाँ

इन नये दिशा-निर्देशों में विशेषताओं के साथ-साथ कुछ कमियाँ भी दिखाई पड़ती हैं, जैसे-

- इसमें सिंचाई के पानी को किफायती और जरूरत के अनुसार इस्तेमाल सुनिश्चित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।
- जल संसाधन की स्थिति को लेकर कोई व्यापक नजरिया न होने के कारण यह माना जा सकता है कि नगर निकाय इसके वाणिज्यिक उपयोग को लेकर शिथिलता बरतेंगे।
- गौरतलब है कि भू-जल निकासी का 90 प्रतिशत हिस्सा सिंचाई के काम में प्रयोग किया जाता है। घरेलू क्षेत्र में इसका 5 फीसदी इस्तेमाल किया जाता है लेकिन उसे किसी भी तरह की रोक-टोक से छूट प्रदान की गई है।
- ऐसे में वह 5 फीसदी जल बचता है जिसका इस्तेमाल औद्योगिक इकाइयों द्वारा किया जाता है। इसी पानी का सावधानीपूर्वक इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाए जा सकते हैं, परन्तु कुछ प्रावधानों को शिथिल किया गया है जो पहले से अस्तित्व में है।
- पानी की निकासी को लेकर कोई सीमा तय नहीं किये जाने से यह कदम भी पैसे वाले उपभोक्ताओं द्वारा पानी बर्बाद करने की प्रवृत्ति पर कोई रोक/अंकुश नहीं लगा पाएगा।
- भारत पहले से ही दुनिया में भू-जल के प्रयोग के मामले में शीर्ष पर है। हमारे यहाँ सालाना करीब 253 अरब घन मीटर पानी निकाला जाता है। यह दुनियाभर की वार्षिक जल निकासी के 25 फीसदी के बराबर है।
- कई वाणिज्यिक उपक्रम मसलन पेय पदार्थ और बोटलबंद पेयजल के उद्यम न केवल ढेर सारा पानी लेते हैं, बल्कि बहुत बड़ी मात्रा में पानी बर्बाद भी करते हैं।

भारत में भू-जल की निकासी और उपयोग

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत भू-जल के अत्यधिक उपयोग और संदूषण के संकट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भू-जल का अत्यधिक उपयोग या अतिदोहन उस परिस्थिति को कहते हैं जब एक समयावधि के बाद जलभृतों की औसत निकासी दर, औसत पुनर्भरण की दर से अधिक होती है।

भारत में भू-जल की अपेक्षा सतही जल की उपलब्धता अधिक है। फिर भी भू-जल की विकेंद्रित उपलब्धता के कारण यह आसानी से प्राप्त किया जा सकता है और भारत की कृषि और पेयजल आपूर्ति में उसकी हिस्सेदारी बहुत बड़ी है। निष्कर्षित भू-जल का 89: हिस्सा सिंचाई क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद घरेलू उपयोग का स्थान आता है जो कि निष्कर्षित भू-जल का 9% है। भू-जल का 2% हिस्सा उद्योगों में उपयोग किया जाता है। शहरों में जल की 50% और गाँवों में जल की 85% घरेलू आवश्यकता भू-जल से पूरी होती है।

भू-जल के माध्यम से सिंचाई: भू-जल का सबसे अधिक उपयोग सिंचाई के लिए होता है। देश में सिंचाई के मुख्य साधनों में नहरें, टैंक और कुएँ तथा ट्यूब वेल हैं। इन सभी जल स्रोतों में भू-जल की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। कुएँ, खास तौर से खुदाई किए गए कुएँ, उथले ट्यूब वेल और गहरे ट्यूब वेल सिंचाई के लिए 61.6% जल उपलब्ध कराते हैं जबकि नहरें 24.5% जल उपलब्ध कराती हैं।

पिछले कुछ वर्षों में सिंचाई के लिए सतही जल के उपयोग में लगातार गिरावट आई है और भूजल उपयोग निरंतर बढ़ा है।

ट्यूब वेलों की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है जिससे संकेत मिलता है कि किसानों द्वारा सिंचाई के लिए ट्यूब वेलों का अधिक प्रयोग किया जा रहा है। हरित क्रांति की शुरुआत ने सिंचाई के लिए भूजल पर निर्भरता बढ़ाई क्योंकि यह स्वयं कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए जल और उर्वरकों जैसे आगंतों के अत्यधिक उपयोग पर निर्भर थी। सिंचाई उपकरणों के लिए ऋण और बिजली आपूर्ति के लिए सब्सिडी जैसे प्रोत्साहनों ने स्थिति को बदतर किया। बिजली की दरों में कमी आने से जल उपयोग तेजी से बढ़ा जिसका परिणाम यह हुआ कि जल स्तर गिरता चला गया।

भू-जल संदूषण: भू-जल संदूषण तब होता है जब पानी में प्रदूषकों की उपस्थिति निर्धारित मात्र से अधिक होती है या कह सकते हैं कि यह मात्र पेयजल में निर्धारित प्रदूषकों की मात्र से अधिक होती है। सामान्य तौर पर पाए जाने वाले संदूषकों में आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट और आयरन शामिल हैं जो प्रकृति से भूआनुवंशिक होते हैं। अन्य संदूषणों में बैक्टीरिया, फॉस्फेट और भारी धातुएं आती हैं जिनके कारण घरेलू सीवेज, कृषि कार्य और औद्योगिक अपशिष्ट सहित अन्य मानव गतिविधियाँ हैं। 10 संदूषण के स्रोतों में कचरा भरावों, सैप्टिक टैंकों और लीकेज वाले भूमिगत गैस टैंकों से होने वाला प्रदूषण और उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग शामिल है। इस बात का संकेत मिलता है कि देश के लगभग 60: जिलों में भूमिगत जल को लेकर कोई न कोई समस्या है या तो जल उपलब्ध नहीं है या उसकी गुणवत्ता में कमी है। कहीं-कहीं ये दोनों समस्याएँ एक साथ मौजूद हैं। भू-जल में आर्सेनिक की उच्च मात्र की मौजूदगी की समीक्षा करने वाली आकलन समिति ने यह पाया कि देश के 10 राज्यों के 68 जिलों में भू-जल में आर्सेनिक की उच्च मात्र मौजूद है। ये 10 राज्य हैं- हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर और कर्नाटक।

वर्तमान स्थिति चिंताजनक

भारत विश्व में भू-जल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता वाला देश है जो प्रतिवर्ष लगभग 250 क्यूबिक मी. (अमेरिका से दुगुने से भी अधिक) भू-जल का इस्तेमाल करता है। केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण के नवीनतम आँकड़ों के अनुसार वर्ष भर में 447 बिलियन क्यूबिक मीटर भू-जल में से 228 बिलियन क्यूबिक मीटर भू-जल का प्रयोग सिंचाई में किया जा रहा है, जबकि 25 बिलियन क्यूबिक मीटर भू-जल का प्रयोग घरेलू, पेय और उद्योगों के कार्यों में किया जा रहा है।

देश के 661 जिलों में लगभग 13 मीलियन खोदे गए कुओं और उथले ट्यूबवेल तथा



5 मिलियन मध्यम ट्यूबवेल एवं गहरे ट्यूबवेल मिलकर क्रमशः 38 मिलियन हैक्टेयर और 23 मिलियन हैक्टेयर जमीन की सिंचाई करते हैं।

इसके अलावा वर्ष 2017 में जल संसाधन की स्थायी समिति ने अपनी 23वीं रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला है कि पानी के वाणिज्यिक दोहन के कारण स्थिति और चिंताजनक हो गयी है। समिति ने बताया है कि देश की लगभग 17.14 लाख बस्तियों में 85 प्रतिशत ग्रामीण पेयजल योजनाएँ भू-जल आपूर्ति द्वारा संचालित हैं।

इसके अलावा भू-जल पर आधारित पैकेज्ड जल संयंत्रों को लगभग 7426 लाइसेंस प्रदान किये गये हैं। इनमें से कुछ राज्य (आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु) ऐसे हैं जहाँ भू-जल संकट विद्यमान है। इतना ही नहीं विभिन्न राज्यों में कई बहुराष्ट्रीय पेय और पैकेज्ड पेयजल कंपनियाँ तय सीमा 2.4 लाख लीटर से ज्यादा लगभग 6.5-15 लाख लीटर तक भू-जल का दोहन करती हैं। विश्लेषकों के अनुसार अधिकांश महानगरीय शहरों में टैंकर माफिया रोजाना 50 लाख लीटर भू-जल अवैध रूप से निकाल रहे हैं।

नासा के अनुसार भारत में भू-जल निष्कर्षण की दर इतनी खतरनाक है कि यह प्रतिवर्ष 0.3 मीटर की दर से घट रहा है। केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के एक ताजा सर्वेक्षण के अनुसार भू-जल के संबंध में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की स्थिति काफी बदतर है।

जल संसाधन की स्थायी समिति ने अपनी 23वीं रिपोर्ट (2017-18) में रेखांकित किया कि 2020 तक दिल्ली, बंगलुरु, हैदराबाद सहित 21 प्रमुख शहरों में 100 मिलियन लोगों को भू-जल उपलब्ध नहीं हो पाएगा अर्थात् इन शहरों में भू-जल लगभग समाप्ति की कगार पर है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट जल प्रबंधन सूचकांक में खुलासा किया कि देश के अधिकांश कुओं के जल में लगभग 54 फीसदी की कमी आई है और अधिकांश राज्यों ने भू-जल संसाधनों के संवर्धन की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अगर स्थिति यही बनी रही तो 2030 तक देश में जल की माँग आपूर्ति के मुकाबले दोगुनी होने और देश के जीडीपी में 6 प्रतिशत की कमी होने का अनुमान है। इसके अलावा भूजल स्तर गिरने से सिंचाई लागत में वृद्धि होगी जिससे खेती की लागत में बढ़ोत्तरी होगी। इसके अतिरिक्त अन्य चुनौतियाँ आज भी बनी हुई हैं जैसे-

- देश के कुल 6,584 भू-जल ब्लॉक में से 1,034 को पहले ही अत्यधिक दोहन वाला घोषित किया जा चुका है, शेष में से 253 ब्लॉक गम्भीर और 681 ब्लॉक अर्द्धगम्भीर स्थिति में पहुँच चुके हैं।
- करीब 96 ब्लॉकों में तो केवल खारा पानी है जिसका बहुत अधिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
- रीचार्ज के लिए प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरीके इस्तेमाल किये जा सकते हैं। इन हालात में जल संसाधन की अत्यधिक देख-रेख की आवश्यकता है साथ ही वर्षा जल से इसे दोबारा भरने को भी प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।

- सरकार को कृषि क्षेत्र में भू-जल का इस्तेमाल नियंत्रित करने के लिए टपकन सिंचाई जैसे उपायों को बढ़ाना चाहिये, किन्तु ऐसा नहीं हो पा रहा है।

सरकारी प्रयास

- अटल भू-जल योजना को 5 जून, 2018 को लागू किया गया था। इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने 6000 करोड़ रुपये का बजट प्रदान किया है। केंद्र सरकार द्वारा लगातार घटते भूजल के संकट का सामना करने हेतु जल संरक्षण की महत्वाकांक्षी योजना 'अटल भू-जल योजना' तैयार की गई है इस योजना का उद्देश्य भूजल का पुनर्भरण करना और कृषि क्षेत्र के लिए पर्याप्त जल भंडारण करना है।
- साथ ही सतही जल निकायों का पुनरुद्धार करना ताकि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में भू-जल स्तर बढ़ाया जा सके। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रतिवर्ष लगभग 245 बिलियन घन मीटर भू-जल का दोहन किया जाता है जो कि सकल वैश्विक भू-जल दोहन का लगभग 25 प्रतिशत है।
- विगत 4-5 दशकों में भारत में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र अपनी जलापूर्ति के लिए 80 प्रतिशत भू-जल पर निर्भर है।

आगे की राह

वर्तमान समय में भू-जल के उचित मूल्य निर्धारण के अलावा सरकार को ऐसी नीतियों को बनाने की आवश्यकता है, जो कृषि में भी भू-जल के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दे। भू-जल निष्कर्षण को कम करने के लिए सरकार को नयी सिंचाई तकनीकों जैसे- ड्रिप और स्प्रिंकलर तकनीक को प्रोत्साहित करना चाहिए। जहाँ पारंपरिक तरीके से सिंचाई करने पर जल की काफी ज्यादा बर्बादी होती है, वहाँ ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई से लगभग 50 प्रतिशत पानी की बचत की जा सकती है।

स्वामीनाथन कमेटी ने भी इस प्रकार के तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया था। इसके अलावा समिति ने समुदाय अधि शरित भू-जल प्रबंधन को संस्थागत बनाने एवं अन्य पर्यावरण हितैषी उपायों को अपनाने पर जोर दिया था। स्थानीय भू-जल संसाधनों की स्थिति एवं उसकी समीक्षा, शिक्षा, जागरूकता के कार्यक्रमों में वृद्धि करने की आवश्यकता है जो कुशलतापूर्वक जल संसाधनों का प्रबंधन, रखरखाव और वितरण को सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त भू-जल के अतिदोहन के परिणामों को लेकर भी लोगों के बीच साक्षरता आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक राज्य सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि वे भू-जल का अवैध व्यापार करने वाले भू-जल माफियाओं पर कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें।





प्राकृतिक आपदा

रंजन कुमार बरुन,
उप महाप्रबंधक

कुछ वर्षों पहले भारत के एक राज्य में आई भारी तबाही ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अभी यहां पर बचाव एवं रात का कार्य पूरा भी नहीं हुआ था कि पूर्वोत्तर भारत में पुनः बाढ़ ने भारी जान-माल का नुकसान किया। भारत की तरह दुनिया भर के अनेक देशों में कहीं न कहीं प्राकृतिक आपदा आती रहती है। इनमें सबसे ज्यादा तबाही भारी वर्षा, समुद्री तूफानों, भूकंपों के कारण होती है जिसके परिणाम स्वरूप अनेक क्षेत्रों में बाढ़ एवं जल प्रलय जैसी भयानक परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। बाढ़ एवं बरसात का प्रभाव बहुत ही दूरगामी एवं व्यापक होता है इसमें ज्यादा तबाही फसलों, जंगलों की बरबादी के रूप में होती है और सबसे ज्यादा जन-धन की हानि पहाड़ों के खिसकने अर्थात् भू-स्खलन से न केवल पहाड़ी मार्ग अवरुद्ध होते हैं बल्कि नदियों का प्रवाह रुक जाता है, फलतः कृत्रिम झीलें बन जाती हैं और उनके अचानक टूटने से निचले इलाकों में बाढ़ एवं जल प्रलय की स्थितियां बन जाती हैं।

पूरी दुनिया भर में, खासकर सभी पहाड़ी इलाकों में भारी बरसाती तूफान, बादलों के फटने, भूकंप, बाढ़, चक्रवात और बेतरतीब मानव गतिविधियों जैसी अनेक स्थितियों और चालक प्रक्रियाओं की विस्तृत विविधता से भूस्खलन क्रिया होती है। सीआरडीडी के डाटा बेस के अनुसार 1990 और 1999 के बीच भूस्खलन और हिमस्खलन की वजह से मानव हताहतों की संख्या 8658 रही है, लेकिन यह अनुमान काफी कम प्रतीत होता है। अक्सर भूस्खलन बड़े पैमाने पर होते रहे हैं, इनकी वजह से दुनिया



भर में संपत्ति, पर्यावरणीय नीति, मरम्मत, रखरखाव के कार्यों और बचाव के उपायों में वार्षिक संचयी नुकसान दसियों अरब अमरीकी डालर का होता है भूस्खलन की आवृत्ति भीषण वर्षा और भूकंप जैसी कारक घटनाओं से प्रभावित है।

हर वर्ष भूस्खलन की वजह से दुनिया भर में 5000 से अधिक लोक जिंदा दफन हो जाते हैं और 40 लाख (4 मिलियन) अमरीकी डालर का आर्थिक नुकसान होता है।

महाद्वीपों में, भूस्खलन के कारण एशिया को अधिकतम क्षति होती है और एशियाई देशों में दक्षिण एशियाई देश सबसे बुरी तरह प्रभावित होते हैं तथा दक्षिण एशियाई देशों में भारत भूस्खलन से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देशों में से एक है। भारत का लगभग 15 प्रतिशत (लगभग 0.49 लाख वर्ग किमी.) क्षेत्र विभिन्न स्तरों के भूस्खलन के लिए खतरा जोखिम नाजुक क्षेत्र है, जहां मानव जीवन, आजीविका,, आवास स्थान, संरचनाएं, बुनियादी सुविधाएं और बड़े पैमाने पर प्राकृतिक संसाधन अक्सर प्रभावित होते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान के अलावा, भूस्खलन महत्वपूर्ण पर्यावरणीय क्षति, सामाजिक विघटन और सामरिक चिंता का कारण बनते हैं। भूस्खलन जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान एवं निकोबार और पुडुचेरी सहित 22 राज्यों और दो केन्द्र शासित प्रदेशों में होते रहते हैं। हिमालय बेल्ट, नीलगिरी, पश्चिमी और पूर्वी घाट सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र हैं। भूस्खलन एक गंभीर खतरा उत्पन्न करता है जो देश में मानव और वित्तीय नुकसान का कारण बनता है। अनुमान है कि हर वर्ष औसतन लगभग 500 जानें जाती हैं और लगभग 300 करोड़ रुपये का नुकसान होता है। इस वर्ष कश्मीर में आई प्राकृतिक आपदा का तो अभी तक ठीक से आकलन भी नहीं हो पाया है। कई हजार लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है।

भूस्खलन हमेशा केवल अकेले ही नहीं होते, बल्कि भूकंप, बाढ़, चक्रवात, बिजली, मूसलधार बारिश, जंगल की आग, बांध/झील आदि टूटने जैसी अन्य आपदाओं के साथ या इनके परिणाम के रूप में भी हो सकते हैं। ऐसे मामलों में भूस्खलन के नुकसान को सामान्य तौर पर प्राथमिक आपदा के भीतर शामिल कर लिया जाता है और इसलिए, इन्हें अलग से नहीं दर्शाया जाता। इस प्रकार, भूस्खलन नुकसान के अधिकांश अधिसूचित अनुमान पूरे समाज पर भूस्खलन के वास्तविक प्रभावों की तुलना में काफी कम पाए जाते हैं।

बढ़ती हुई जनसंख्या, शहरीकरण और अस्थिर ढलानों पर विकासात्मक गतिविधियों के संदर्भ में मानव हस्तक्षेप के साथ, भूस्खलन मानव जीवन, भवनों, संरचनाओं, बुनियादी संरचनाओं और पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। बदलती पर्यावरण ग्लोबल वार्मिंग हिमनदों के तेजी से पिघलने, अनिश्चित और असमान बारिश, अत्यधिक तापमान की स्थिति आदि भी अप्रत्याशित क्षेत्रों में इसके खतरे का विस्तार कर रहे हैं। दोषपूर्ण प्रबंधन के साथ-साथ बड़े पैमाने पर वनों की कटाई ने भी देश के कई क्षेत्रों में भूस्खलन के खतरे में वृद्धि की है। असुरक्षित स्थानों में



विस्तार, अवैज्ञानिक खनन, सड़कों, असुरक्षित बांधों का निर्माण और नदी प्रशिक्षण के काम में प्राकृतिक विशेषताओं की अनदेखी करने से संबंधित मानव गतिविधियों भूस्खलन की तीव्रता में वृद्धि करने में योगदान देते हैं। बड़े पैमाने पर भूस्खलन जोखिम नकशों के अभाव से लोग असतर्कता की हालत में, विशेष रूप से पहली बार भूस्खलन हाने पर, इस आपदा के शिकार हो जाते हैं। आमतौर पर एक अकेले भूस्खलन के सीमित क्षेत्र और लोगों को प्रभावित करने की वजह से, भूस्खलन खतरों से होने वाले नुकसान के परिणाम को राष्ट्रीय महत्व की समस्या के रूप में नहीं देखा जाता है और इसे राष्ट्रीय आधार पर संबोधित नहीं किया जा रहा है। भूस्खलन के हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए समन्वित राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अभाव का परिणाम अक्सर अधिक कीमत पर, सीखे गए महत्वपूर्ण सबक को लागू करने में राज्यों और स्थानीय सरकारी एजेंसियों की कम क्षमता के रूप में दिखाई देता है। परिणाम स्वरूप, एक राष्ट्रीय रणनीति की अत्यावश्यकता को महसूस किया गया और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति के माध्यम से भूस्खलन एवं हिमस्खलन पर दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए काम किया गया।

राष्ट्रीय भूस्खलन की समस्या से जुड़े मुद्दों की विविधता की जानकारी के लिए क्षेत्रीय विचार और संस्थागत क्षमता की महत्वपूर्ण विविधताओं एवं स्थानीय और क्षेत्रीय स्तरों पर जवाबदेही दोनों से उत्पन्न, हितधारकों की एक विस्तृत विविधता से प्राप्त जानकारी आवश्यक है। भूस्खलन मूल्यांकन, जांच, मानचित्र और प्रबंधन की प्रक्रिया को मजबूत बनाने का भूस्खलन के नुकसान को कम करने में उल्लेखनीय प्रभाव होगा। आपदाओं से निपटने का केन्द्रीय संस्थान, एनआईडीएम, देश भर में आवश्यक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और भूस्खलन जोखिम प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण देने के लिए एक प्रमुख मंच बनाने तथा ऐसे संसाध्य व्यक्तियों/विशेषज्ञों (जो इस का एक नेटवर्क बनाने के लिए ऐसी परियोजनाओं को शुरू करने की योजना बना रहा है, गतिविधि में योगदान दे सकते हैं)। यह प्रभावी निर्णय लेने और पहाड़ी इलाकों में विभिन्न विकास और नियामक गतिविधियों के लिए सूक्ष्म स्तर के मानचित्र की योजना बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

भारत सरकार के इन संस्थानों का उद्देश्य पहाड़ी इलाकों और तटीय क्षेत्रों में भूस्खलन आपदा मुक्त बनाने के लिए निम्नलिखित दिशाओं में काम करना है :

भूस्खलन जोखिम विश्लेषण तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य और स्थानीय स्तर पर नुकसान में कमी के प्रयासों को निर्देशित करना।

विधियों के मूल्यांकन, मानकों की स्थापना और भूस्खलन खतरा नकशे और आंकलन के लिए प्रक्रियाओं एवं दिशा निर्देशों को उन्नत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना।

भूस्खलन खतरों के शमन के लिए उपकरण उपलब्ध कराना और निगरानी तकनीकों एवं भूस्खलन प्रक्रिया की यांत्रिकी के पहलुओं पर बुनियादी अनुसंधान को बढ़ावा देना।

शिक्षा, प्रशिक्षण और भूस्खलन खतरों की जागरूकता में सुधार और निर्णायकों, पेशेवरों और आम जनता के लिए शमन विकल्प।

अतः विषय और पारक्षेत्रीय भागीदारी दृष्टिकोण को शामिल कर एक बहुजोखिम परिप्रेक्ष्य में विकास और पर्यावरण परिवर्तन के साथ भूस्खलन जोखिम प्रबंधन का एकीकरण करना एवं उसे मुख्यधारा में लाना।

कार्यान्वयन और प्रबंधन की योजनाएं बनाना जिन्हें एक प्रभावी राष्ट्रीय रणनीति के लिए व्यावहारिक आधार प्रदान कर स्थानीय स्तर पर लागू किया जा सके।

भूस्खलन जोखिम प्रबंधन के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच विभिन्न स्तरों पर वकालत, नीतियों, दिशा निर्देशों और योजना का समर्थन।

राज्यों, जिलों और स्थानीय स्तर की सरकारों और गैरसरकारी संगठनों के साथ-साथ पेशेवर और अन्य हितधारकों के साथ व्यावहारिक साझेदारी विकसित करना।

भारत में भूस्खलन परिदृश्य

भूस्खलन हमारी बस्तियों और बुनियादी ढांचों, खेतों और मैदानों, सीमा सड़कों और रेल पटरियों के बड़े हिस्सों, पनबिजली, पानी की आपूर्ति और संचरण, लाइन परियोजनाओं, हवाई रोपवे, खुली खदानों, सुरंगों, ऐतिहासिक इमारतों और पूजा/पवित्र स्थानों, तीर्थ स्थानों, तीर्थ मार्गों और पर्यटन स्थलों के लिए खतरा है। सार्वजनिक जागरूकता लाने और भूमि उपयोग की सावधानी पूर्ण योजना के द्वारा सुरक्षा की संस्कृति के प्रसार, समय पर और उचित इंजीनियरिंग हस्तक्षेप, ढलान और संबंधित उपयोगिताओं के सतर्कतापूर्ण रखरखाव, पूर्व चेतावनी, जन जागरूकता और तैयारियों के माध्यम से भूस्खलन के जोखिम को और कम किया जा सकता है। आपदाओं के प्रबंधन और प्रभावों को कम करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया की संस्कृति विकसित करने की सख्त जरूरत है।



पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में कर्सियांग नगर के आसपास सुरम्य पहाड़ी ढलानों पर स्थित चाय बागानों में जो भूस्खलन हुआ वह एशिया में होने वाला सबसे बड़ा स्खलन था। जनसंख्या के तेजी से बढ़ते दबाव में मानव बस्तियों, सड़कों, बांधों, सुरंगों, जलाशयों, टावरों और अन्य सार्वजनिक उपयोगिताओं में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई



है। आज हिमालय क्षेत्र में सड़कों का नेटवर्क की लम्बाई 50,000 कि.मी. से अधिक है। हिमालय क्षेत्र में अनेक बांध बनाए गए हैं। पहाड़ियों में अकेले गंगा और उसकी सहायक नदियों पर दो दर्जन से अधिक बांध परियोजनाएं हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में अनेक सुरंगें तथा माइक्रोवेव, टीवी, प्रसारण और संचार टावर भी हैं। उदाहरण के लिए, उत्खनन और खनन तथा वनों की कटाई दून घाटी को वृक्षरहित क्षेत्र बनाने के लिए जिम्मेदार हैं, इससे झिरौली (अल्मोड़ा) और चांडक (पिथौरागढ़) में ढलानों और उनसे जुड़े पर्यावरण को भारी क्षति हुई है।

जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड हिमालय में ऋषिकेश-बद्रीनाथ तीर्थयात्रा मार्ग पर, राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-1ए और एनएच-1बी पर, हिमालय में दार्जिलिंग और सिक्किम के कई क्षेत्रों, उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में दीमापुर-इम्फाल और शिलांग-सिलचर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन होते रहते हैं। ये विनाशकारी रहते हैं और भारी आर्थिक नुकसान का कारण बनते हैं और एक लंबे समय से इस क्षेत्र के सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित किया है।

भूस्खलन आपदाओं के परिणाम

भूस्खलन आपदाओं का समाज और पर्यावरण पर अल्पकालिक और दीर्घकालिक परिणाम होता है। पहले वर्ग में स्थल पर होने वाले जीवन और संपत्ति के नुकसान, दूसरे में कृषि योग्य भूमि की क्षति और कटाव तथा मिट्टी के क्षय के संदर्भ में पर्यावरण के परिदृश्य में बदलाव के स्थायी परिणाम को, जो जनसंख्या और प्रतिष्ठानों के स्थानांतरण का कारण बनता है शामिल किया जा सकता है। किसी भी अन्य आपदा की तरह, समाज में सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो संवेदनशील क्षेत्रों में निवास करते हैं सबसे अधिक प्रभावित होता है। उसके पास आजीविका का अल्प स्रोत ही होता है, जो एक खतरे की वजह से समाप्त हो चुका होता है और ये भोजन और आश्रय रहित हो जाता है। इसके अलावा, घायलों और हताहतों की संख्या, प्रभावित परिवारों के संकट को और बढ़ा देती है। सबसे बड़ा नुकसान व्यक्तियों को संपत्ति का और सरकार के लिए ऐतिहासिक संरचनाओं के क्षति/विनाश के रूप में होता है।

देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में और विशेष रूप से हिमालय के क्षेत्र में अक्सर बरसात के मौसम में भूस्खलन से अवरोधों के कारण, एक साथ कई दिनों के लिए यातायात का रुकना, भूस्खलन प्रवण पहाड़ी इलाकों के गांवों और शहरों में रहने वाले लोगों के लिए अकथनीय परेशानी लाता है। भूस्खलन जलाशयों में गाद की भारी राशि पनबिजली और बहुउद्देशीय परियोजनाओं की प्रभावी आयु और क्षमता में भी कमी लाता है। भूस्खलन बांध बड़ी धाराओं वाले क्षेत्रों में बाढ़ लाते हैं। जब यह बांध टूटता है, यह बहाव के क्षेत्रों में बाढ़ और बड़े पैमाने पर तबाही का कारण बनता है। इसके अलावा, भूस्खलन मलबे से सामान्य धारा प्रवाह में रुकावटें और विचलन की वजह से बाढ़ या स्थानीय कटाव की स्थित पैदा हो जाती है। भूस्खलन बाढ़ और/या जलाशयों में पानी की क्षमता को भी कम करता

है जिसके परिणामस्वरूप बांधों के ऊपर से पानी के बहाव की स्थिति पैदा कर सकता है, उदाहरण के लिए गौहाना और परेचु झील का फटना।

भारत में भूस्खलन जोखिम प्रबंधन

अब तक भारत में भूस्खलन खतरा प्रबंधन स्थान विशिष्ट समस्याओं और मलबे को हटाने और उन्हें ढलान पर या नीचे नदी में निष्पादन के तत्काल उपचारात्मक उपायों के कार्यान्वयन के तदर्थ समाधान तक सीमित था। वर्तमान प्रशिक्षण का उद्देश्य एक संस्थागत तंत्र के माध्यम से भूस्खलन खतरे का प्रबंधन और बाद में एक व्यवस्थित दृष्टिकोण द्वारा उनका अनुसरण करना है, जिसमें जोखिम, अरक्षितता और खतरे के आंकलन के तरीके सहित भूस्खलन समस्याओं के अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाएं और उपचार शामिल हैं।

भूस्खलन खतरा प्रबंधन में भूस्खलन से उत्पन्न खतरे को कम करने या उससे बचने के उपाय शामिल हैं। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमि स्थानीय सरकारी तंत्र द्वारा निर्भाई जाती है। एक बार जब इस निकाय को अपने क्षेत्राधिकार के भीतर भूस्खलन घटना की संभावना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो यह उस क्षेत्र में रहने वाले समुदायों का संभावित खतरों के बारे में सचेत करने और जमीन मालिकों और इमारतों के दखलकारों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने के लिए कदम उठाने की दिशा में कार्य करता है। इसके अलावा, इस उच्च जोखिम क्षेत्रों में आगे विकास से बचा जाना चाहिए। क्षेत्र में भूमि की उच्च कीमत और जनता के उदासीन रवैये से हर भूस्खलन खतरा प्रवण क्षेत्र में शमन रणनीतियां संभव नहीं हो पाती हैं। सड़क निर्माण और रखरखाव एजेंसियों द्वारा भी उपचार के उपायों को लागू कर जोखिम को कम करने के प्रयास किए गए हैं। तथापि, किसी आपदा के आक्रमण से पहले उपलब्ध जानकारी का प्रसार करने की पूर्व कार्रवाई की जरूरत है और सभी राज्यों, विशेष रूप से नियमित रूप से बहुखतरों से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों पर जोर दिया जाना चाहिए।

अच्छे भूस्खलन प्रबंधन-पालन के लाभ

सच तो यह है कि भू-स्खलन के लिए नाजुक क्षेत्रों में मानव बस्तियों को नहीं बसाया जाना चाहिए। जिन पर्वतीय क्षेत्रों में आवास बने हों या बनाए जाने हों, उन क्षेत्रों में भारी मात्रा में वृक्षा रोपण किया जाना चाहिए। पर्वतीय इलाकों में बनाए जाने वाले मकान/आवास पहाड़ी ढलाव, जल बहाव को ध्यान में रखते हुए स्टील की छड़ी से युक्त मजबूत पिलर के साथ नींव डालकर बसाया जाना चाहिए। इन बस्तियों में पानी एवं कीचड़ व मिट्टी के बहाव को पर्याप्त जगह दी जानी चाहिए। यदि हम आवास बनाने समय निर्माण सामग्री की गुणवत्ता, विन्यास स्वरूप एवं स्थानीय भूमि की बनावट आदि को ध्यान में रखकर आवास निर्माण करें तो कुछ हद तक ऐसी घटनाओं से होने वाले नुकसान एवं जानमाल को बचा सकते हैं।





बैंक के प्रधान कार्यालय एवं अन्य कार्यालयों द्वारा आयोजित हिंदी मास/पखवाड़ा/सप्ताह की झलकियां





बैंक के प्रधान कार्यालय में आयोजित हिंदी मास समापन समारोह की झलकियां





प्रस्तावना

वजन में हल्के होने और आसानी से उपयोग आने के कारण प्लास्टिक बैग लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। इसके अलावा सामान खरीदते समय हमें इन्हें कपड़े और कागज के बैगों की तरह खरीदना भी नहीं पड़ता है क्योंकि यह काफी किफायती होते हैं इसलिये सामान खरीदने पर दुकानदारों द्वारा मुफ्त में दे दिये जाते हैं। इन्हीं सब कारणों से दुकानदारों और खरीददारों द्वारा प्लास्टिक बैगों को अधिक पसंद किया जाता है। हालांकि हमें अपने तत्काल के सहूलियतों को भूलकर भविष्य के बड़े प्रभावों को देखने की आवश्यकता है।

प्लास्टिक बैगों को प्रतिबंधित करने के कारण

वैसे तो इसके कई कारण हैं कि आखिर प्लास्टिक बैगों को क्यों प्रतिबंधित किया जाये और इसी वजह से कई देशों ने प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिये सख्त कदम उठाये हैं, इन्हीं में से कुछ कारणों के विषय में नीचे बताया गया है:

- प्लास्टिक बैगों से फैलने वाले कचरे से लगातार भूमि और जल प्रदूषित होते रहते हैं।
- प्लास्टिक के वजह से पृथ्वी पर रहने वाले जीव-जन्तुओं के साथ-साथ समुद्री जीवों पर भी खतरा मंडराने लगा है।
- अपशिष्ट प्लास्टिक बैगों से मुक्त रसायन भूमि में प्रवेश कर जाते हैं और उसे बंजर बना देते हैं।
- प्लास्टिक बैगों का मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है।
- प्लास्टिक बैगों द्वारा नालियों और सीवरों के जाम होने की भी समस्या उत्पन्न होती है।

प्लास्टिक बैगों के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याएं

यहां प्लास्टिक बैगों के द्वारा उत्पन्न होने वाली कुछ प्रमुख समस्याओं के बारे में बताया गया है।

1. नॉन-बायोडिग्रेडेबल

प्लास्टिक बैग एक नॉन-बायोडिग्रेडेबल वस्तु है। इसलिये इनका निस्तारण एक प्रमुख समस्या है। यह छोटे-छोटे कणों में टूट जाते हैं और जमीन तथा पानी के स्रोतों में प्रवेश कर जाते हैं, परन्तु यह विघटित नहीं होते हैं। जिससे यह भूमि और

प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध

मनोज कुमार,
उप प्रबंधक

पानी में सैकड़ों वर्षों तक रहते हैं और जहरीले रसायनों का उत्सर्जन करके हमारे इस सुंदर तथा समृद्ध पृथ्वी को काफी क्षति पहुंचाते हैं।

2. पर्यावरण स्तर में गिरावट

आज के समय में प्लास्टिक बैग भूमि प्रदूषण का प्रमुख कारण बन गया है। इनके वजह से प्रकृति पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लैंडफिलों में फेंके जाने वाले प्लास्टिकों को विघटित होने में लगभग 500 वर्ष का समय लगता है। यह बैग वजन में काफी हल्के होते हैं जिसके कारण यह हवा के झोंकों द्वारा उड़ाकर दूर पहुंचा दिये जाते हैं। इनके एकत्रित कूड़े के ढेर से भूमि प्रदूषण फैलता है, इसके अलावा जब यह पानी के स्रोतों में मिल जाते हैं तो यह जल प्रदूषण का मुख्य कारण बनते हैं। इस प्रकार से यह हर संभव तरीके से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है।

3. पशुओं और समुद्री जीवों के लिये हानिकारक

पशुओं और समुद्री जीवों के द्वारा अपने भोजन के साथ ही प्लास्टिक को भी खा लिया जाता है। क्योंकि प्लास्टिक को पचाया नहीं जा सकता इसलिये यह उनके आंतों में फंस जाता है। इस प्रकार से विभिन्न पशुओं और समुद्री जीवों के आंतों में काफी मात्रा में प्लास्टिक जमा हो जाता है, जिससे यह उनके स्वास्थ्य के कई



समस्याओं का कारण बनती है। कई बार पशुओं के द्वारा पूरे प्लास्टिक बैग को निगल लिया जाता है और यह उनके आंत या गले में फंस जाता है, जिसके चलते दम घुटने से उनकी मौत हो जाती है। इस तरह की घटनाओं का सबसे ज्यादा शिकार समुद्री कछुए होते हैं, जिनके द्वारा प्लास्टिक बैग को भ्रमवश जेलीफिश समझकर



खा लिया जाता है। अनुसंधानों द्वारा पता चला है कि प्लास्टिक बैगों के द्वारा उत्पन्न कचरा पशुओं के असमय मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है।

4. मनुष्यों में बीमारियों का कारण

प्लास्टिक बैगों के उत्पादन से कई प्रकार के जहरीले रसायन उत्पन्न होते हैं, जो उनके निर्माण करने वालों के लिए गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती हैं। इसके अलावा खाद्य पदार्थों के पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक बैग भी कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि पहले ही बताया गया है कि प्लास्टिक बैगों के कारण पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न होता है और यह तो हम सब जानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण मनुष्यों को होने वाली कई बीमारियों का मुख्य कारण है।

5. क्लौड सीवेज

फेंके गये खराब प्लास्टिक बैग पानी और हवा द्वारा बहा लिये जाते हैं और नालियों और सीवरों में फंस जाते हैं। इस प्रकार से रुका हुआ सीवेज सिस्टम मनुष्यों और जीव-जन्तुओं के लिये खासतौर से बरसात में एक गंभीर संकट बन जाता है। सीवर और नालियों में प्लास्टिक फंसने के कारण इनमें पानी का बहाव रुक जाता है और जल जमाव होने लगता है। जिससे बाढ़ जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है और सामान्य जन जीवन में बाधित हो जाता है।

वे देश जिन्होंने प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाया

दुनिया भर के कई सारे देशों ने प्लास्टिक बैगों को या तो प्रतिबंधित कर दिया या फिर उनके उपयोग को कम करने के लिये उन पर कर लगा दिया। इसमें तंजानिया, केन्या, युगांडा, दक्षिण अफ्रीका, मोरक्को, मलेशिया, बांग्लादेश, ताइवान, इंग्लैंड, जर्मनी, हवाई, न्यूयॉर्क, इटली, स्कॉटलैंड, रोड आइलैंड और मेन जैसे देश शामिल हैं। इन उपायों के द्वारा काफी हद तक प्लास्टिक बैगों की समस्या से निजात पाने में मदद मिली है।

जनता को प्लास्टिक प्रतिबंध का समर्थन करना चाहिये

हालांकि भारत सरकार द्वारा कई राज्यों में प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया जा चुका है, फिर भी लोग इनका उपयोग करते हुए देखे जाते हैं। दुकानदार कुछ दिन के लिये खरीददारों को प्लास्टिक बैग देना बंद कर देते हैं और कुछ दिन बाद फिर से इनका उपयोग चालू कर देते हैं क्योंकि सरकार द्वारा प्लास्टिक बैगों के उत्पादन और वितरण को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। यह वह समय है, जब हमें भी इस प्रतिबंध को सफल बनाने के लिये अपना योगदान देने की आवश्यकता है।

हम जैसे समाज के पढ़े-लिखे लोगों को इस संदर्भ में अपनी जिम्मेदारी का वहन करते हुए प्लास्टिक के उपयोग को बंद करने के साथ दूसरों को भी इसके लिये

प्रेरित करना होगा। नीचे दिये गये कुछ तरीकों से हम इस विषय में सरकार का समर्थन कर सकते हैं:

● उपयोग पर नियंत्रण करना

क्योंकि हम प्लास्टिक बैगों का उपयोग करने के आदी हैं, इसलिये एका-एक इनका उपयोग बंद कर देना हमारे लिये थोड़ा कठिन है। इस योजना में सफल होने के लिये हमें पर्यावरण पर होने वाले इसके दुष्प्रभावों को समझना होगा और इनके उपयोग पर नियंत्रण करना होगा। जिससे कुछ दिनों में हमारी प्लास्टिक बैग उपयोग करने की आदत छूट जायेगी।

● विकल्पों को अपनाना

प्लास्टिक के अलावा पर्यावरण के अनुकूल ऐसी अन्य कई वस्तुएं हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। किराने के दुकान से सामान लाने के लिये प्लास्टिक बैग के जगह, हम बाजार जाते वक्त कपड़े या जूट का बैग लेकर जा सकते हैं जिनका बार-बार इस्तेमाल किया जा सकता है।

● पुनःउपयोग

हमे हमारे घर में पड़े प्लास्टिक बैगों को फेंकने से पहले जितने बार संभव हो सके उनका उतने बार उपयोग करना चाहिये।

● जागरुकता फैलाकर

इसके अलावा सरकार द्वारा भी लोगों में प्लास्टिक बैगों के नकरात्मक प्रभाव को लेकर लोगों में जागरुकता फैलानी चाहिये और प्रचार-प्रसार तथा लोगों के मध्य मौखिक रूप से इसके विषय में जानकारी फैलाकर इसे प्रतिबंधित करना चाहिए। हम स्वयं भी अपने घरों में काम करने वालों को, कार साफ करने वालों और बच्चों को पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के विषय में जागरुक कर सकते हैं। जिससे हम उन्हें प्लास्टिक बैग के उपयोग को बंद करने के लिये प्रेरित कर सकते हैं।

निष्कर्ष

हमें प्लास्टिक के उपयोग से होने वाली समस्याओं पर गंभीरता से विचार के साथ तत्काल रूप से इनका उपयोग बंद करने की आवश्यकता है। हालांकि इस विषय को लेकर कुछ राज्यों द्वारा सकारात्मक पहल की गयी है और प्लास्टिक बैगों को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है, परन्तु यह वह समय है जब हमारे देश के विभिन्न राज्य की सरकारों को साथ मिलकर इस मामले पर सख्त रवैया अपनाते हुए प्लास्टिक बैगों को पूर्णतः प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है।

हिमाचल प्रदेश का भी उदाहरण हमारे सामने है, जहाँ केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मदद से पत्तियों को चक्रित करके सड़क निर्माण में उपयोग में लाया जा रहा है।





“क़ानूनी-जटिलताएँ”

डॉ. जी.एन. सोमदेवे
उप महाप्रबंधक (से.नि.)

1. रेरा :- मध्य प्रदेश में रेरा ने सख्त कदम उठाए हैं। जो डेवेलपर बिना पंजीकरण के कोई परियोजना प्रारंभ करता है, उसका विज्ञापन देता है या प्लैट/प्लॉट आदि की बिक्री प्रारंभ करता है तो उन पर प्रतिदिन रु. 10000/- का जुर्माना किया जा सकता है। इसके साथ-साथ ऐसे डेवेलपर की सूचना देने वाले को भी रेरा द्वारा उचित इनाम दिया जाएगा। मध्य प्रदेश रेरा का यह अत्यंत सराहनीय कदम है। हम देखते हैं कि कोई बड़े-बड़े होर्डिंग खड़े कर विज्ञापन देता है तो कोई सस्ते प्लैट/प्लॉट के घर-घर पेंपलेट बांटता है। इनमें से अधिकतर रेरा से पंजीकृत नहीं होते। अखबारों में विशेषकर यदि रविवार को अखबारों का प्रापर्टी पेज देखें तो छोटे-छोटे विज्ञापन आपको मिल जाएंगे। ऐसे सारे विज्ञापन काफी लुभावने होते हैं। नागरिकों का कर्तव्य है कि ऐसे प्रकरण/विज्ञापन रेरा के संज्ञान में लाएं। यह जान लेना बहुत ही जरूरी है कि रेरा एक 'कोर्ट' है और कार्रवाई विलंब से ही सही मगर होगी अवश्य। जनता को जागरूक रहना चाहिए तथा अपने संपर्क में आने वाले लोगों को- सगे संबंधियों को सावधान करना चाहिए। प्रापर्टी के नाम पर बेचने वाले गली मुहल्ले में उग आए हैं।

2. वयस्कता :- मध्य प्रदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक अच्छा निर्णय दिया गया। कोर्ट के अनुसार लड़की बालिग है तो अपने निर्णय ले सकती है। उसने शादी



की है या नहीं इससे कोर्ट को मतलब नहीं। यदि वह बालिग है और अपने कथित पति के साथ रहना चाहती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। वह अपने मां-बाप

से अलग रहकर अपने पति के साथ जा सकती है। इस प्रकार के निर्णय से समाज में बढ़ रही मूढ़ता एवं दकियानुसी परंपरा पर रोक लगेगी। शिक्षित समाज में लड़कियों का सम्मान बढ़ेगा। उनकी अपनी इच्छाओं का/फैसलों का दमन न हो सकेगा। भारतीय समाज में पुत्री के प्रति माता-पिता-भाई का कर्तव्य शादी से पहले और शादी के बाद तक होता है अर्थात हमेशा के लिए मायके के लोग बंधे होते हैं। परंतु यह उत्तर दायित्व लड़की के लिए एक बोझ की तरह नहीं होना चाहिए। विवाह के फैसले लेने का लड़की को हक है बशर्ते की वह 18 साल की हो। 18 वर्ष से कम पर किसी भी तरह की छेड़छाड़, कुकर्म या प्रताड़ना पर "पॉक्सो" एक्ट एवं "जेजे एक्ट" के अंतर्गत दंडनीय कार्रवाई का प्रावधान है। प्रताड़ना/उत्पीड़न के चालान के लिए जरूरी नहीं कि विशेष कायदा हो। हमारे दंड विधान (आईपीसी) के प्रावधानानुसार चालान किया जा सकता है, दंड दिया जा सकता है। जनता को इसकी जानकारी कर लेना अति आवश्यक है। कायदे की जानकारी न होना क्षमादान का कारण नहीं हो सकता। इन सब मामलों में ग्रामीण क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि वहां के अधिकतर अपराध पंजीबद्ध नहीं होते। पोलिस ठाने भी काफी दूर-दूर होते हैं। मामलों को दबाने की कोशिश की जाती है। बदनामी का डर दिखाकर उत्पीड़न जारी रखा जाता है।

3. बैंक होम लोन :- साधारणतः बैंक या वित्तीय संस्थाएं ठोस एवं विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन करती हैं। जैसे लोन की अर्जी पश्चात सर्च रिपोर्ट प्राप्त कर लेना मंजूर कर मंजूरी की सूचना देना। यह सूचना परिपूर्ण होती है। जैसे लोन की राशि, ब्याज दर, अन्य शर्तें, अवधि आदि सब कुछ स्पष्ट होता है जिसे हम नियम एवं शर्तें कह सकते हैं। इसे ऑफर लेटर कहा जाता है। इस पर कर्ज लेने वाले के अपनी एक स्वीकृति देनी पड़ती है। इसे एक्सपटंस कहेंगे। कुछ वित्तीय संस्थान तथा बैंक इस प्रक्रिया को पूरा तो करते-करवाते हैं मगर बड़ी चालाकी से। कर्ज लेने वालों को ये सिर्फ मंजूर हुई राशि से अवगत कराते हैं वह भी डॉकुमेंटेशन के वक्त। बाकि सारी शर्तें पढ़कर सुना देते हैं। चूंकि डाकुमेंटेशन के वक्त 25-50 हस्ताक्षर करने होते हैं बहस करने का समय नहीं होता। कर्जदार अपना भाग्य समझता है कि कर्ज मंजूर हो गया। प्रक्रिया ऐसी या वैसी उस पर वह ध्यान नहीं देता। उसे तो डाकुमेंटेशन के वक्त पता चलता है कि निर्धारित ब्याज दर के अलावा भी थोड़ा सा ब्याज दर कुछ अवधी के लिए और जोड़ दिया गया है। दूसरी ओर रजिस्टर्ड मॉटगेज कराया जाता है। 10 लाख रुपये के कर्ज के लिए सर्च रिपोर्ट 3000 रुपये, साइट विजिट और जांच 3000 रुपये, डॉकुमेंटेशन 3000 रुपये तथा रजिस्टर्ड मॉटगेज 5000



रुपये कुल 14000 का खर्च। ऊपर तुरा यह कि कहा जाता है, प्रोसेसिंग फीस नहीं लेते। न जांच के लिए 3000/- लेते हैं न सर्च रिपोर्ट के लिए। कमाल है कर्ज लेने से पहले कर्ज शुरू हो जाता है। लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए दवाब अलग से जिसके प्रीमियम की अच्छी खासी राशि कर्ज में जोड़ दी जाती है। यानि की उस पर भी कमाई जबकि लाइफ इंश्योरेंस लेना जरूरी नहीं है। प्रॉपटी का जनरल इंश्योरेंस करना पर्याप्त है। यह बहुत जरूरी है कि अपने एकाउंट की जांच परख करते रहना। क्योंकि न जाने कब कर्जदाता कर्ज की रकम में कुछ न कुछ जोड़ता ही चला जाए। प्रत्येक एंट्री की निगरानी जरूरी है। कर्ज वितरण में भी स्टेज के अनुसार कर्ज वितरित नहीं किया जाता। जैसे पहले स्टेज में दीवारे तथा छत को रखा जाता है। यह गलत है पहली स्टेज दीवारें, दूसरी स्टेज छत एवं तीसरी स्टेज फिनिशिंग। परंतु ऐसी डिसबर्समेंट नहीं हो रही है। नतीजा यह है कि कर्जदार को स्टेज पूरी करने के लिए बाहर से अतिरिक्त कर्ज लेना पड़ता है।

4. लैंगिक शोषण :- "आयफोप" इस संस्थान ने फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और स्पेन में सर्वेक्षण किया। 21 प्रतिशत महिलाओं ने पिछले एक वर्ष में लैंगिक शोषण होने की बात कही। 40 प्रतिशत महिलाएं 30 वर्ष से कम उम्र की थी। कार्यस्थल पर 15 प्रतिशत महिलाओं को जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के लिए बाध्य किया गया। 18 प्रतिशत महिलाओं ने जबरदस्ती आलिंगन, चुंबन लेने की शिकायत दर्ज की। बुरी नजर से देखना, सीटी बजाकर ध्यान आकृष्ट करना, असभ्य टिप्पणी करना तथा इशारे करना संबंधी मामलों में मगर 46 प्रतिशत महिलाओं ने इसके विरुद्ध शिकायत की। प्रतिकार करने का धाड़स बहुत कम महिलाओं ने दिखाया। इस



मामलों में महिलाएं अपने वरिष्ठ तथा कामगार संगठनों को भी शिकायत नहीं करती। हमारे देश में हालात इससे बेहतर नहीं है। चिंता का विषय है। सही सर्वेक्षण की प्रतीक्षा है। सही सर्वेक्षण हृदय विदारक होंगे। हाल के समय में समाज सुधारकों

का स्थान राजनीतिज्ञों ने अपने जिम्मे ले लिया। बस गड़बड़-झोल इसी में हो गई। पहले समाज सेवकों का राजनीति से वास्ता नहीं होता था। राजनीतिक पार्टियों ने समाज सेवकों राजनीति में प्रवेश दिलाया। समाज सेवा का एक नया ही रूप सामने आया। प्रश्न किसी को दोष देने का नहीं है। सामाजिक ढांचा किस और मोड़ना है कौन तय करेगा?

5. अंतरजातीय विवाह :- देश में अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया जाता है। कई राज्य सरकारों ने इसके लिए कई योजनाएं भी लागू की हैं। अंतरजातीय विवाह हो भी रहे हैं किन्तु अधिकांश मामलों में दोनों पक्षों के पालकों के मन की गांठ खुल नहीं रही है। 7-8 साल हो जाते हैं मगर कोई एक पक्ष दूसरे से मन मिलाप नहीं कर पाता। इसमें हमेशा टसल बनी रहती है। कई ऐसे भी प्रकरण हैं कि विवाह पश्चात लड़का-लड़की तो मजे से रहते हैं लेकिन दोनों के पालक एक-दूसरे से संबंध या बोलचाल नहीं रखते। यह सिलसिला कई-कई वर्ष चलता है। शायद पालकों के अंत तक। इस तरह का मनमुटाव घातक है। यह टेंशन पैदा करता है तथा बच्चों के जीवन में जहर घोल सकता है। इसे समझदारी नहीं कहते। कौन मरता है कौन जीता है भगवान को मालूम है। समय रहते हम संबंध सुधार लें यह जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि बाद में संबंध सुधारने की गुंजाइश ही न रहे और पालकगण आपस में कभी मिलना ही न चाहें।

6. भवनों में वॉटर हार्वैस्टिंग - नगरीय क्षेत्रों में भवनों का नक्शा पास करते वक्त जमानत के तौर पर कुछ राशि (लगभग 10,000) जमा करवाली जाती है ताकि भवन




मालिक वॉटर हार्वैस्टिंग सिस्टम लगा सकें। न लगाने पर धनराशि जब्त की जाती है तथा भवन का नक्शा अस्वीकृत किया जाने की धमकी दी जाती है। यदि वॉटर हार्वैस्टिंग सिस्टम लगा लिया तो धनराशि वापस कर दी जाती है। प्रश्न यह है कि वॉटर हार्वैस्टिंग सिस्टम कैसा हो, कहां लगा हो तथा उसमें आने वाला खर्च आदि के बारे में कोई नगर निगम/नगर पालिका तकनीकी जानकारी उपलब्ध नहीं कराती। यदि आप अपनी मर्जी से सिस्टम लगा लें तो उसमें निगम द्वारा मीनमेख निकाली जाती है और भवन मालिक का खर्च व्यर्थ हो जाता है। वॉटर लेवल बढ़ाने



के लिए वॉटर हार्वैस्टिंग सिस्टम जरूरी है ताकि वर्षा का पानी व्यर्थ न हो और धरती में समा जाएं। परंतु यह देखा गया कि छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए ही इसमें ज्यादा जोर दिया जा रहा है मगर बड़े महानगरों तथा गांवों में नहीं। मध्यम दर्जे के शहरों के लिए तो कोर्ट तक निगमों तथा नगर पालिकाओं को निर्देश देते हैं। इस विषय में राज्य सरकारों की दुलमुल नीति है। अब चाहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय दखल दें एवं माह-वार समीक्षा होती रहे तथा समस्या का समाधान हो सकता है वरना पानी की गंभीर समस्या से देश को जूझना पड़ेगा। समय रहते स्थिति पर नियंत्रण पा लें इसी में समझदारी है। राष्ट्रीय नीति शीघ्र घोषित हो।

7. पुराने फ्लैटों/भवनों का पुनःनिर्माण – मध्य प्रदेश में यह जानकारी उन फ्लैट मालिकों के लिए सुखद हो सकती है, जो 25 साल पुराने अपार्टमेंट में रह रहे हैं और वह जर्जर स्थिति में हैं। अब वे किसी बिल्डर से मुफ्त में अपने अपार्टमेंट को नए सिरे से बनवाकर रह सकेंगे। इसके एवज में राज्य सरकार संबंधित बिल्डर को 50 फीसदी अधिक एफएआर देगी। पुराने फ्लैट को तोड़कर मुफ्त में नए फ्लैट देंगे बिल्डर। सरकार ने इसका प्रावधान नई रियल एस्टेट पॉलिसी में कर दिया है। महाराष्ट्र की तरह शीघ्र ही नए नियम बनाएं जाएंगे। इन नियमों को भवन री-डेवलपमेंट नियम कहा जाएगा। इसका फायदा विकास प्राधिकरणों तथा हाउसिंग बोर्डों को भी होगा। बिल्डर को प्राइम लोकेशन पर नया प्रोजेक्ट बनाने को मिलेगा। 100 वर्ग फीट रोड पर अपार्टमेंट को हाईराइज बिल्डिंग का 2.0 एफएआर मिलेगा।



बाजार भाव से फ्लैट मालिकों को किराया दिया जाएगा। लागत की भरपाई के लिए नए फ्लैट्स की डिमांड निकाली जाएगी। ये फ्लैट्स पुराने के मुकाबले बड़े आकार के होंगे। नया फ्लैट बनने पर इनकी बाजार कीमत भी दुगुनी हो जाएगी। पुराने

फ्लैट की जगह नए फ्लैट हाइराइज स्टाइल में आफिसों के साथ बनाए जाएंगे। फ्लैट मालिकों से बकायदा अनुबंध किया जाएगा। री-डेवलपमेंट स्कीम में पुरानी ईमारत के फ्लैट्स मालिकों को मुफ्त में नए फ्लैट्स दिए जाएंगे। यह योजना सराहनीय है तथा प्रत्येक राज्य में इस प्रणाली से भवनों का स्टॉक बढ़ाया जा सकता है जिसकी जरूरत है।

8. बिल्डरों का दिवालिया हो जाना :- घर खरीदने वालों को बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में दिवालिया एवं ग्रहण शोधन अक्षमता संशोधन कानून को बरकरार रखा है। अब यदि कोई रियल एस्टेट कंपनी खुद को दिवालिया घोषित करती है तो उसकी संपत्ति को नीलामी में घर खरीदारों को हिस्सा भी मिलेगा इनसॉल्वेंसी एवं बैंक करप्सी कोड (आईबीसी) में संशोधन कायम रहने से मकान ग्राहकों को भी फाइनांशियल क्रेडिटर्स के बराबर का दर्जा बरकरार रहेगा। यानि कि घर खरीदने वालों की अहमियत बिल्डर को लोन देने वाले बैंकों के बराबर होगी इस कानून के खिलाफ करीब 200 रियल एस्टेट कंपनियों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे खारिज कर दिया गया। अब मकान खरीदारों को प्रोजेक्ट पूरा न होने की स्थिति में राहत मिलेगी। ऐसे मामलों में उन्हें दिए गए बैंकों के बराबर अधिकार बरकरार रखा गया है। आईबीसी के प्रावधानों को यथावत रखना एक ऐतिहासिक कदम है। देश में ऐसी कई कंपनियां हैं, जिन्होंने लोगों को मकान देने का वादा तो किया परंतु बीच राह में हाथ खड़े कर दिए। ऐसी कंपनियों ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। ऐसी स्थिति में कंपनियों तथा उनके मालिकों की संपत्तियां जब्त की जाती हैं। पहले जब्त संपत्ति का पूरा पैसा बैंकों को मिलता था, लेकिन अब घर खरीदने वालों को भी इसमें हिस्सा दिया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में आम्रपाली के ग्राहकों को राहत देते हुए इसी तरह माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एनबीसीसी द्वारा मकान बनवाकर देने संबंधित निर्देश देकर खरीदारों को राहत प्रदान की। माननीय सुप्रीम कोर्ट का कोटिश धन्यवाद!

9. रजिस्ट्री शुल्क :- मध्य प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब बहु, बेटे या पत्नी के नाम घर खरीदने पर मात्र 1100 रुपये रजिस्ट्री शुल्क देय होंगे। इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। यह एक बड़ा कदम है। रजिस्ट्री शुल्क कम करने हेतु अनेक स्तर पर प्रयास किए गए मगर बहुत कम राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने साहस दिखाया। जनता को बड़ी राहत दी। इसके साथ-साथ छोटे प्लाटो को नक्शा स्वीकृति के झंझट से मुक्त किया गया। भ्रष्टाचार का एक और रास्ता बंद किया गया। साधारण व्यक्ति के लिए मकान का नक्शा पास करा लेना टेढ़ी खीर है। बिना दान-दक्षिणा के कुछ नहीं होता। अब उन्हें राहत मिलेगी। ऐसी व्यवस्था एवं व्यवस्थापकों को साधुवाद।





बिन पानी सब सून

सिद्दीक खान
उप प्रबंधक

**रहीमन पानी राखिए! बिन पानी सब सून।
पानी गए न ऊबरे! मोती मानुष चून।**

रहीम दास जी ने अपने उक्त दोहे के माध्यम से पानी की कीमत और महत्ता को बखूबी समझाया है। पानी जीवन का आधार है जिसके बिना जीवन की कल्पना कर पाना असंभव है। पानी के महत्व को शब्दों में वर्णित कर पाना वैसे तो आसान नहीं है, किंतु उसके महत्व को समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। पानी के महत्व को समझने के साथ-साथ इसकी कमी से होने वाले दुष्प्रभावों को भी समझना उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक हम पानी की कमी के दुष्प्रभावों को नहीं समझेंगे, तब तक हम उसकी उपयोगिता और महत्व को सही से नहीं समझ पाएंगे। इसके साथ-साथ पानी के संरक्षण और उसके तरीकों को सीखना भी हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि साफ और शुद्ध पानी को जल संरक्षण के माध्यम से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।

सर्वप्रथम हम मानव जीवन में पानी की उपयोगिता को समझेंगे, तत्पश्चात पानी की कमी से होने वाले दुष्परिणामों को वर्णित करेंगे और अंत में जल संरक्षण के तरीकों एवं महत्व को व्यक्त करेंगे।



1. मानव जीवन में पानी का महत्व – वैज्ञानिकों द्वारा की गई ग्रहों की खोज में पृथ्वी ही एक मात्र ऐसा ग्रह है, जहां पानी उपलब्ध है और इसी कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। इसके अलावा आज तक जितने भी ग्रहों की खोज हुई है

और ये कोई संयोग की बात नहीं है। बल्कि ये इस बात को प्रमाणित करता है, कि पानी और जीवन का आपस में बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि वैज्ञानिक प्रमाणों से ये बात साबित हो चुकी है कि जीवन की शुरुआत जल से ही हुई थी। सर्वप्रथम एक




कोशिकीय जीवों के अस्तित्व के प्रमाण जल में ही मिलते हैं जोकि बाद में जटिल बहु कोशिकीय जीवों में विकसित हुए और जिनसे ही मनुष्य का विकास हुआ। मनुष्य के शरीर का 70 प्रतिशत से भी ज्यादा भाग पानी का होता है। पानी की कमी से मानव शरीर में कई बीमारियां हो जाती हैं। मनुष्य खाने के बगैर तो हफ्तों जीवित रह सकता है, किंतु पानी के बिना 2 दिन से ज्यादा जीवित रह पाना भी मुश्किल है। इतना ही नहीं हमारे भोजन के उत्पादन के लिए भी पानी अति महत्वपूर्ण है क्योंकि जल की कमी से भूमि की उर्वरता और उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, अगर भूमि को पर्याप्त मात्रा में जल ना मिले तो एक समय के बाद वह बंजर हो जाती है और उत्पादन के लायक नहीं रह जाती। इन सब से हम समझ सकते हैं कि क्यों जल को जीवन कहा जाता है।

2. जल की कमी से होने वाले दुष्परिणाम – पानी की जरूरत हमें अपने जीवन के हर पल हर क्षण पड़ती है। चाहे वो हमारे जीवित रहने के लिए हो या फिर जीवन यापन के लिए। निम्न बिन्दुओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि अगर पानी की कमी होती है तो उसके क्या-क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं।



- (क) जब-जब पानी की कमी होती है, तो कृषि उत्पादन में भी कमी हो जाती है क्योंकि कृषि उत्पादन के लिए पानी की बहुत जरूरत होती है, पानी की कमी से न सिर्फ भूमि की उत्पादकता कम हो जाती है बल्कि भूमि पूरी तरह से बंजर तक हो सकती है।
- (ख) पानी की कमी से और कम वर्षा होने से जल वायु परिवर्तन का खतरा रहता है जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है जिससे ऋतु परिवर्तन होता है और प्राकृतिक आपदाएं आती हैं।
- (ग) हमारी दिनचर्या के लिए भी पानी महत्वपूर्ण है, चाहे हमारी नित क्रियाओं के लिए हो या अन्य क्रियाकलापों के लिए। जल के बिना ये कर पाना असंभव है।
- (घ) औद्योगिक उत्पादन के लिए और कारखानों में उत्पादन के लिए भी जल महत्वपूर्ण है, जल की कमी से हमारे उद्योगों पर बहुत बुरा परिणाम पड़ता है।
- (ङ) जल मानव जीवन में जितना महत्वपूर्ण है उससे इस बात का खतरा बना रहता है कि जब जल संकट होगा तो लोग आपस में इसके लिए लड़ेंगे और कई विद्वानों ने लिखा भी है कि अगला विश्व युद्ध जल के लिए ही होगा।

को खोजना चाहिए और उनको उपयोग में भी लाना चाहिए। कुछ आसान जल संरक्षण के तरीके हैं जो कि हम अपना सकते हैं और जल को संरक्षित कर सकते हैं।



3. जल संरक्षण के महत्व एवं तरीके – उपर्युक्त वर्णन से हम ये तो समझ गए हैं कि जल हमारे लिए कितना जरूरी है। इसलिए इसके महत्व को समझते हुए, हमें जल संरक्षण पर विचार करना चाहिए साथ ही साथ जल संरक्षण के नए-नए तरीकों

(क) वर्षा के जल को बड़े-बड़े तालाबों में संरक्षित करके हम जल इकट्ठा कर सकते हैं जोकि बाद में उपयोग में लाया जा सकता है, हमारे पूर्वजों ने इस तरीके के माध्यम से पूर्व में जल संरक्षण किया है और जल को उपर्युक्त तरीके से इस्तेमाल भी किया है, हांलाकि आज हम शहरीकरण की इस दौड़ में अपने पूर्वजों द्वारा इस्तेमाल किए गए इस तरीके को भूलते जा रहे हैं। जिसके दुष्परिणाम भी हमें भुगतने पड़ रहे हैं।

(ख) जल का इस्तेमाल हम सावधानी और समझदारी से करके भी जल संरक्षण और जल की बचत कर सकते हैं। हम अपने नित जीवन में छोटी-छोटी बातों को ध्यान देकर जल का उपयोग करें, स्नानागार में पानी ज्यादा न बहाएं, कपड़े धोते समय, बर्तन धोते समय, गाड़ी आदि धोते समय जल का सही तरीके से उपयोग करें तो इससे भी जल को बचाया जा सकता है।

(ग) इसके अलावा हम एक और तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिससे जल का उचित उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि हम इस्तेमाल किए गए जल को एक टंकी में इकट्ठा कर लें और उसको शौचालय में इस्तेमाल करके साफ पीने योग्य पानी को बचाया जा सकता है।





काठ का सपना

गजानन माधव मुक्तिबोध
जन्मतिथि: 13 नवंबर, 1917

भरी, धुआँती मैली आग जो मन में है और कभी-कभी सुनहली आँच भी देती है। पूरा शनिश्चरी रूप।

वे एक बालिका के पिता हैं, और वह बालिका एक घर के बरामदे की गली में निकली मुँडेर पर बैठी है, अपने पिता को देखती हुई। उन्हें देख उसके दुबले पीले चेहरे पर मुस्कराहट खिलती है और वह अपने दोनों हाथ आगे कर देती है जिससे कि उसके काका उसे अपने कंधों पर ले लें।

उसके पिता अपनी बालिकाओं को देख प्रसन्न नहीं होते हैं। विक्षुब्ध हो जाता है उनका मन। नहीं बालिका सरोज का पीला उतरा चेहरा, तन में फटा हुआ सिर्फ एक 'फ्राक' और उसके दुबले हाथ उन्हें बालिका के प्रति अपने कर्तव्य की याद दिलाते हैं; ऐसे कर्तव्य की जिसे वे पूरा नहीं कर सके, कर भी नहीं सकेंगे, न ही कर सकते थे। अपनी अक्षमता के बोध से ये चिढ़ जाते हैं और वे उस नहीं बालिका को डाँट कर पूछते हैं, 'यहाँ क्यों बैठी है? अंदर क्यों नहीं जाती।'



बालिका सरोज, गंभीर, वृद्ध दार्शनिक-सी बैठी रहती है। अपने क्रोध पर पिता को लज्जा आती है। उनका मन गलने लगता है। उनके हृदय में बच्ची के प्रति प्यार उमड़ता है। वे उसे अपने कंधे पर ले लेते हैं। ऊँचे उठने का सुख अनुभव कर बच्ची मुस्करा उठती है।

पिता बच्ची को लिए घर में प्रवेश करते हैं तो एक ठंडा सूना, मटियाली बास-भरा अँधेरा प्रस्तुत होता है, पिछवाड़े के अंतिम छोर में आसमान की नीलाई का एक छोटा चौकोर टुकड़ा खड़ा हुआ है! वह दरवाजा है।

घर में कोई नहीं है।

सिर्फ दो साँसें हैं,

एक पिता की।

दूसरी पुत्री की।

वे एक अँधेरे कोने में बैठ जाते हैं और उनके घुटनों में वह बालिका है। उसका चेहरा पिता को दिखाई नहीं देता। फिर भी वह पूरा-का-पूरा महसूस होता है। वे चुपचाप उसके गाल पर हाथ फेरते जाते हैं और सोचते हैं कि वह लड़की मेरे समान ही धैर्यवान है, सब कुछ पहचानती है। बड़ी प्यारी लड़की है। उन्हें लगता है कि उनकी आँखें तर हो रही हैं।

एकाएक खयाल आता है कि अगर घर में बड़ा आईना होता तो अच्छा होता; अपनी बड़ी आँसू-भरी सूरत की बदसूरती देख लेते। उन्हें उमर रसीदा आदमियों का रोना अच्छा नहीं लगता।

सामने, अँधेरे में, रंग-बिरंगी पर धुँधली आकृतियाँ तैर जाती हैं। सुंदर चेहरेवाली एक लड़की है, वह उनकी सरोज है! नारंगी साड़ी है, सुनहली किनारी है सफेद ब्लाउज है! गले में हार है। हाथों में रंग-बिरंगी चूड़ियाँ हैं – एक-एक दर्जन! पति के घर से वापस लौटी है। खुश है, दामाद मैकेनिकल इंजीनियर है जिसकी गरीब सूरत है और वह बाहर बरामदे में कुरसी पर बैठा है; क्या करे सूझता नहीं!

घर में उनकी स्त्री पूड़ी बना रही है। पकौड़ियाँ बन रही हैं। बहुत-बहुत-सी चीजें हैं। भाग-दौड़ है। हल्ला-गुल्ला है। शोर-शराबा है। लोग आ-आ कर बैठ रहे हैं – आ रहे हैं, जा रहे हैं। पास-पड़ोस की लुगाइयाँ चौके में मदद कर रही हैं और उनके दिल में... क्या करें, क्या न करें, सब कुछ कर डालें! क्या ही अच्छा होता कि उनमें यह ताकत होती कि वे सबको प्रसन्न कर सकते और सारी दुनिया को खुश देख सकते। ...कि इतने में सपना टूट जाता है।

बरामदे का दरवाजा बज उठता है। पैरों की आवाज से साफ जाहिर होता है कि स्त्री, जो कहीं गई थी लौट आई है।

अंदर आ कर देखती है। उसे अचंभा होता है। 'यहाँ क्या कर रहे हो?'



उसकी आवाज गूँजती है। जैसे लोहे की साँकल बजती है। जैसे ईमान बजता है!

'सरोज कहाँ है?'

कोई आवाज नहीं! सरोज और उसके पिता स्तब्ध बैठे हैं।

पिता बोलते हैं मानो छाती के कफ को चीरती हुई घरघराती आवाज आ रही हो। कहते हैं, 'कहाँ गई थी? घर बड़ा सूना लग रहा था।'

स्त्री कोई जवाब नहीं दे कर वहाँ से चली जाती है। आँगन में पहुँच कर, जमीन में गड़ा हुआ एक पुराना पेड़, जो कट चुका है और जिसकी झिल्लियाँ बिखरी हैं, उस पर पैर रख कर खड़ी होती है। जमीन में उस कटे पेड़ में से जमीन की तहें छूते हुए नए अंकुर निकले हैं। बाद में उन पर से उतर कर वह झिल्लियाँ बीनती है। पड़ोस से लाई हुई कुल्हाड़ी चला कर उन अधकटे टूटों से लकड़ी निकालने का



खयाल आता है। लेकिन काटने का जी नहीं होता। इसलिए झिल्लियाँ बीन कर वह उनका एक ढेर बना देती है और फिर आँगन की दीवार की मुँडेर पर चढ़ जाती है, क्योंकि उस मुँडेर के एक ओर नीम की एक सूखी डाल निकल आई है।

उसे वह तोड़ती है। ऊँची मुँडेर पर चढ़ कर नीम की सूखी डाल तोड़ लाने का जो साहस है, उस साहस से दीप्त हो कर वह प्रफुल्ल हो जाती है। सारी लकड़ी उँडे चूल्हे के पास लाती है, जमा कर देती है।

सरोज पिता की गोद से उठ आई है। वह देखती है कि चूल्हे में सुनहली ज्वाला निकल रही है! वह देखती है, और देखती रह जाती है। उसे उस ज्वाला का रंग अच्छा लगता है। वह चूल्हे के पास जा कर बैठ गई है। उसकी रीढ़ की हड्डी दुःख रही है, पर चूल्हे में जलती हुई ज्वाला उसे अच्छी लग रही है।

सारा चौका सुहाना हो उठता है – भूरा-मटियाला, साफ-सुथरा! भीत की पटिया पर रखी पीतल की एक भगोनी, छोटे-छोटे दो गिलास और दो कटोरियाँ, कैसी चमचमा रही हैं, कितनी सुंदर! उन पर माँ का हाथ फिरा है। तभी तो... तभी तो...।

सुबह के पकाए भात में पानी डाला जाता है और नमक! चूल्हे पर चढ़ गया है भात! सुबह का बेसन भी है। उसमें पानी मिला दिया जाता है। उसे भी चूल्हे के दूसरे मुँह पर रख दिया गया है, सीझता रहेगा!

सरोज बोलती नहीं, माँ बोलती नहीं, पिता बोलते नहीं!

जब वह नन्ही बालिका भोजन कर चुकी तो उसकी जान में जान आई। बोरे पर बिछे, माँ के चिथड़े से बने, अपने मुलायम बिस्तर पर वह सो गई। पिताजी के बिस्तर से सटा हुआ उसका बिस्तर है! वे उसे अपने पास नहीं लेते। रात को वह बिस्तर गीला करती है, इसलिए!

दोनों तथाकथित बिस्तरों पर लेट गए हैं! दोनों को नींद नहीं! दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हैं, कहना आवश्यक है। उस पूर्व-ज्ञान को वे कहना-सुनना नहीं चाहते। वह पूर्व-ज्ञान वेदनाकारक है, इसलिए उसे न कहना ही अच्छा! फिर भी न कहने से काम नहीं बनता, क्योंकि कह-सुन लेने से अपने-अपने निवेदनों पर सील लग जाती है, व्यक्तिगत मुहर लग जाती है। वह व्यक्तिगत मुहर अभी लगी नहीं है। हर एक उत्तर हर एक ज्ञान है। फिर भी बहुत कुछ अज्ञात छूट जाता है!

वे नहीं चाहते थे कि रात में नींद के पहले के ये कुछ क्षण खराब हो जाएँ, मनःस्थिति विकृत हो और दुर्दमनीय चिंता से ग्रस्त हो कर वे रात-भर जागते-कराहते रहें। नहीं, ऐसा नहीं! चिंता सुबह उठ कर करेंगे। रात है। यह रात अपनी है। कल की कल देखी जाएगी!

किंतु इन खयालों से माथे का दुखना नहीं थमता, देह की थकान दूर नहीं होती, असंतोष की आग और बेबसी का धुआँ दूर नहीं होता।

नहीं, उसका एक उपाय है! जबरदस्ती नींद लाने के लिए आप एक से सौ तक गिनते जाइए! इस तरह, आप कई बार गिनेंगे, दिमाग थक जाएगा और आप ही आप भीतर अँधेरा छा जाएगा। एक दूसरा तरीका है! रेखागणित की एक समस्या ले लीजिए। मन-ही-मन चित्र तैयार कीजिए। उसके कोणों को नाम दीजिए और आगे बढ़ते जाइए। अंत तक आने के पहले ही नींद घेर लेगी। एक और भी मार्ग है, जिसे



इस लेख का लेखक अपनाया करता है! मस्तिष्क की सारी नसें ढीली कर दीजिए। आँखे मूँद कर पलकें बिल्कुल बंद करके, सिर्फ अँधेरे को एकाग्र देखते रहिए। तरह-तरह की तस्वीरें बनेंगी। पेड़दार रास्ते और उस पर चलती हुई भीड़ अथवा पहाड़ और नदियाँ जिनकों पार करती हुई रेलगाड़ी... भक-भक-भक ।

अँधेरा जड़ हो गया और छाती पर बैठ गया। नहीं, उसे हटाना पड़ेगा ही – सरोज के पिता सोच रहे हैं! और उनकी आँखे बगल में पड़े हुए बिस्तर की ओर गईं।

वहाँ हलचल है। वहाँ भी बेचैनी है। लेकिन कैसी?

...लेकिन उन दोनों में न स्वीकार है न अस्वीकार! सिर्फ एक संदेह है, यह संदेह साधार है कि इस निष्क्रियता में एक अलगाव है – एक भीतरी अलगाव है। अलगाव में विरोध है, विरोध में आलोचना है, आलोचना में करुणा है। आलोचना पूर्णतः स्वीकरणीय है, जिसे इस पुरुष ने कभी पूरा नहीं किया। वह पूरा नहीं कर सकता।

कर्तव्य कर्म को पूरा करना केवल उसके संकल्प-द्वारा ही नहीं हो सकता। उसके लिए और भी कुछ चाहिए! फिर भी, वह पुरुष मन-ही-मन यह वचन देता है, यह प्रतिज्ञा करता है कि कल जरूर वह कुछ-न-कुछ करेगा; विजयी हो कर लौटेगा।

पुरुष में भी आवेश नहीं है। वह भी टंडा है, सिर्फ गरमी लाने की कोशिश कर रहा है।



वह उसकी बाँहों में थी। निश्चेष्ट शरीर! फिर भी, उसमें एक उष्मा है, जो मानो सौ नेत्रों से अपने पुरुष को देख रही हो, निर्णय प्रदान करने के लिए प्रमाण एकत्र कर रही हो। फिर भी निश्चेष्ट और सक्रिय!

पुरुष संवेदनाओं के जाल में खो गया। उसे स्त्री के होठ गुलाब की सूखी पंखुरियों-से लगे, जिससे उसे सूरज की गरमी की याद आई। उसके कपोल मिट्टी-से थे – भुसभुसी, नमकीन, शुष्क मृत्तिका! उसका हृदय एक अनजानी गूढ़

करुणा की सूचना से भर उठा। ...हाँ, उसका पेट, उसकी त्वचा में तो घरेलू बास थी। उसने उसे अपनी बाँहों में भर लिया और वह, मन-ही-मन, उस पूरी गरम चिलकती हुई पृथ्वी को याद करने लगा जिस पर वह बेसहारा मारा-मारा फिरता है। क्या यह पृथ्वी उतनी ही दुःखी रही है जितना कि वह स्वयं है!

एक उर्जा उठी और गिर गई। पुरुष निश्चेष्ट पड़ा रहा। मन जाग्रत था।

...दोनों स्त्री-पुरुष के जीवन पर विराम का पूर्ण चिह्न लग गया है, काठ हो गए हैं।



बाढ़ आती है। किनारे पर पड़े हुए काठों को बहा कर ले जाती है। जल-विवल में। काठ बहते जाते हैं, फिर भी वे प्राणहीन काठ, आपस में गुँथे हुए बहे जा रहे हैं।

बादल-तूफान के कारण, पेड़ तिरछे हो रहे हैं। पर वे गुँथे-बँधे बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं... और, हाँ गुँथे-बँधे काठ खाली नहीं हैं। उन पर एक बालिका बैठी हुई है। हाँ, वह सरोज है। अपने नन्हे दो हाथ उसने दोनों के काठों पर टेक दिए हैं, जिनके सहारे वह स्वयं चली जा रही है।

सरोज की उस बाल मूर्ति की रक्षा करनी ही होगी! उन दो निष्प्राण काठ-लड्डों का यही कर्तव्य है।

पुरुष इस स्वप्न को देखता ही रहता है। बारह का गजर होता है। रात और आगे बढ़ती है। सप्तर्षि, जो अब तक कोने में थे, सामने आ कर साफ दिखाई देते हैं।





झारखंड के प्रमुख बांध

सौरभ शेखर झा
पूर्व अनुबंधित अनुवादक

भारत को हमेशा से कृषि प्रधान देश माना गया है। ऐसे में स्वभाविक है कि इनके राज्यों में भी अधिक से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है। अगर हम इतिहास की बात करें तो प्राचीन काल में महाराज युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद से प्रश्न किया कि क्या हमारे राज्य में कृषक सुखी एवं समृद्ध हैं? क्या उनके जलाशय जल से परिपूर्ण हैं? तथा, क्या हमारे राज्य में कृषि वर्षा पर पूर्ण रूपेण आश्रित तो नहीं है? इससे यह निष्कर्ष निकलता है, कि कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार भारत में बाँध अभियांत्रिकी का उदगम ईसा से 1500 वर्ष पूर्व ढालू भूमि पर तटबन्धों के विकास द्वारा हो चुका था। गुजरात के जूनागढ़ में सुदर्शन नाम के एक बाँध के अवशेष पाये गए हैं जिसका निर्माण गिरनार पर्वत श्रृंखला के निकट किया गया था। इस बाँध का निर्माण सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन काल में किया गया तथा सम्राट अशोक के शासन काल में इस बाँध का जीर्णोद्धार किया गया। ऋग्वेद (2000-1500 ईसा पूर्व) भी सिंचाई उद्देश्यों के लिये बाँध निर्माण का पक्षधर है।



उपरोक्त वर्णन से प्रतीत होता है कि भारत में बाँधों का निर्माण प्राचीन काल से ही आरम्भ हो गया था। अत्यधिक प्राचीन काल में दक्षिण भारत में मध्यम ऊँचाई के मिट्टी के बाँधों का निर्माण किया गया। इनमें से अधिकांश बाँधों का निर्माण 500 ईस्वी एवं

1500 ईस्वी के मध्य कराया गया। बाँध प्रौद्योगिकी तकनीकों के विकास से बाँध निर्माण कार्यों में अधिक विश्वास एवं सुदृढ़ता का अनुभव किया गया। सन् 1213 में आन्ध्र प्रदेश में रामादा झील, महाराष्ट्र में सन् 1514 में केरला एवं सन् 1860 में बिहार झील, तथा राजस्थान में सन् 1671 में राजसमन्द एवं 1730 में जयसमन्द बाँध प्राचीन काल में इस क्षेत्र में किये गए बाँध निर्माण सम्बन्धी कार्यों के प्रमुख उदाहरण हैं।

झारखंड भी एक जंगल बहुल, पहाड़ी क्षेत्रों एवं आदिवासी जनजातियों की अधिकता और कृषि पर आधारित राज्य है। यहां की नदियों की बात करें तो ये ज्यादातर बरसाती नदियां हैं जिनमें बारिश के समय तो पानी रहता है लेकिन साल के शेष माह में कई नदियों में इतना भी पानी नहीं रहता है कि वह उस क्षेत्र को पेय जल भी उपलब्ध करा सके। ऐसे में उस क्षेत्र के खेतों में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता एक बड़ी समस्या हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर भी कई बांधों का निर्माण किया गया है। जो सिंचाई के साथ-साथ मछली पालन और पर्यटन के केंद्र भी बन गए हैं। इन्हीं में से कुछ बांधों के बारे में हम यहां चर्चा कर रहे हैं।

मैथन डैम: मैथन ने अपना नाम "माँ का स्थान" से लिया है, जिसका अर्थ है हिंदू देवी माँ कल्याणेश्वरी के लिए जगह। यह बाराकर नदी के तट पर स्थित है। मैथन डैम धनबाद के कोयला शहर से लगभग 48 किमी दूर स्थित है। अंडरग्राउंड पावर स्टेशन वाला बांध पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में अद्वितीय है। जिस झील पर यह बनाया गया है वह 65 वर्ग किलोमीटर से अधिक फैला हुआ है। यह वर्ष 1948 में दामोदर घाटी निगम (डीवीसी लिमिटेड) द्वारा विकसित किया गया था। बांध लगभग 15712 फीट लंबा और लगभग 165 फीट लंबा है। भूमिगत पावर स्टेशन में बिजली की लगभग 60,000 किलोवाट बिजली उत्पादन क्षमता है।

मैथन डैम स्वयं एक खूबसूरत झील और खूबसूरत हरे जंगलों के बीच स्थित है। आप झील पर दोस्तों और परिवार के साथ नौकायन का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा आप झील के चारों ओर खूबसूरत हरे जंगलों में भी चल सकते हैं। यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त देखना पर्यटकों के लिए दर्शनीय है, जिसे अगर आप मैथन में हैं तो इस अवसर को खोना नहीं चाहेंगे। यदि आप आध्यात्मिक मानसिकता के हैं तो आपको माता देवी कल्याणेश्वरी के प्राचीन मंदिर भी जाना चाहिए।

पतरातू बांध: रामगढ़ के पश्चिम में 30 किमी इस बांध का निर्माण पतरतू थर्मल पावर स्टेशन को पानी की आपूर्ति के उद्देश्य से किया गया था। नलकार्नी नदी से और



इस बांध के आस-पास की पहाड़ियों के झरने से पानी इस बांध में जमा किया जाता है। इस बांध की कुल भंडारण क्षमता 81 वर्ग मील है। यह एक सुंदर पर्यटन स्थल है और पूरे वर्ष विशेष रूप से सर्दियों के मौसम के दौरान लोगों का एक बड़ा सदस्य पिकनिक के लिए यहां जाता है। बांध के बगल में एक सर्किट हाउस है। बांध के नजदीक पंचवाहिनी मंदिर एक प्राचीन मंदिर है और इसके धार्मिक मूल्य के लिए महत्वपूर्ण है। इस बांध को नलकार्नी बांध भी कहा जाता है जो पहाड़ों पर बने खूबसूरत स्केनेरी और सर्पिन तरीके के कारण सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है जो बांध को 3 तरफ से सीमा से बांधता है।

तिलैया डैम: तिलैया डैम दामोदर घटी निगम द्वारा निर्मित यह पहला बांध और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर स्टेशन है जो की बराकर नदी पर बनाया गया है। यह बांध 1200 फीट लम्बा और 99 फीट ऊंचा है जो की 36 वर्ग किमी के क्षेत्र में एक सुन्दर और आदर्श झील से घिरा हुआ है। इसके निर्माण का मुख्य उद्देश्य बाढ़ को नियंत्रित करना है और साथ ही यहाँ निर्मित 4 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। इसका सुन्दर प्राकृतिक परिवेश पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यह स्थान बरही से मुख्य सड़क के द्वारा जलाशयों और पहाड़ियों से हो कर जाता है।


मसनजोर बांध: मसनजोर बांध दुमका से 31 किमी दूर है। दुमका-सिउरी रोड पर स्थित होने के कारण यहां बस के जरिए आसानी से पहुंचा जा सकता है। पश्चिम



बंगाल का सिउरी इस बांध से 45 किमी दूर है। इस बांध का निर्माण मयूराक्षी नदी पर किया गया है। कनाडा की वास्तुशिल्पीय शैली में बने होने के कारण इस बांध को कनाडा बांध या पीयरसन बांध भी कहा जाता है। यह बांध 16650 एकड़ में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 155 फीट और लंबाई 2170 फीट है। इसकी भंडारण क्षमता 5 लाख एकड़ फीट है। सिउरी के पास स्थित तिलपारा बैराज भी एक आकर्षक पर्यटन स्थल है। इसकी लंबाई 1013 फीट है। मसनजोर बांध पहुंचने के लिए आप निजी वाहन का सहारा ले सकते हैं। यहां नदी और पहाड़ होने के कारण यह और

भी खूबसूरत हो उठता है। आप यहां तैराकी और रॉक क्लाइंबिंग का आनंद ले सकते हैं। अगर आप यहां रुकना चाहें तो इसके लिए मयूराक्षी भवन बंगला और इंस्पेक्शन बंगला में रुक सकते हैं।

चांडिल बांध: स्वर्णरेखा नदी पर स्थित चांडिल बांध सुंदर सुंदरता का एक स्थान है। यह बांध झारखंड की सबसे ज्यादा देखी गई जगहों में से एक है। चांडिल बांध के पास स्थित संग्रहालय में चट्टानों पर लिखी गई लिपियां हैं, जो 2000 वर्ष पुरानी हैं।



बहुउद्देश्यीय चांडिल बांध दोनों नदियों की बैठक के दौरान बनाया गया था। बांध ऊंचाई 220 मीटर है और इसके पानी के स्तर की ऊंचाई अलग-अलग जगहों से 190 मीटर है जो देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले पर्यटकों को नौकायन और बांध के आसपास और आसपास की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेती हैं। चांडिल अपने क्षेत्र के महत्व के लिए प्रसिद्ध है पर्यटन। स्वर्णरेखा नदी इस क्षेत्र के माध्यम से बहती है। हुंडरू से होने वाली काकोरी नदी चांडिल में स्वर्णरेखा नदी के साथ मिलती है।

इनके अलावा भी कई और बांध हैं झारखंड में। जिन्हें हम उन जगहों की जीवनरेखा कह सकते हैं। तो यदि आप भी झारखंड के प्राकृतिक सौंदर्य और यहां के पर्यटन स्थलों को देखने के शौकीन हैं तो एक बार जरूर इन बांधों को भी देखें जो आज केवल सिंचाई के लिए पानी ही नहीं बल्कि इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं।






कुछ प्रमुख योग आसन

आशीष जैन
प्रबंधक



1. तितली आसन :- किसी समतल स्थान पर दरी या कंबल बिछाकर उस पर बैठ जाएं। दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें और दोनों तलवों को आपस में मिला लें। अपने दोनों हाथों से पैरों की अंगुलियों को पकड़ें और एड़ी को शरीर के पास लाने का प्रयास करें। आपके हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए और शरीर को भी पूरी तरह सीधा रखें। जिससे रीढ़ की हड्डी भी सीधी हो जाए। सामान्य गति से सांस लें और दोनों पैरों के घुटनों को एक साथ ऊपर की ओर लाएं फिर नीचे की ओर लाएं। ऐसा करते हुए कोशिश करें कि पैर जमीन को न छूने पाए। इस तरह अपने पैरों को लगातार 20 से 25 बार ऊपर-नीचे की ओर ले जाएं, ध्यान रखें की झटका न लगे। इसके बाद पैरों को धीरे-धीरे सीधा कर लें और कुछ समय तक शरीर को ढीला छोड़ दें।



लाभ :- इस योग से हमारा शरीर लचीला बनता है और हमें अन्य योग करने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती है। बहुत लोगों को अपने पैरों को मोड़कर बैठने में समस्या आती है। इस आसन को करने से पैर की मांसपेशियां लचीली व मजबूत होती हैं और आप आसानी से पैर मोड़कर बैठ सकते हैं। इस आसन से जांघों की मांसपेशियों में आया तनाव या खिंचाव कम होता है। अधिक देर तक खड़े रहने या चलने के बाद तितली आसन करने से थकान दूर हो जाती है। इससे पैरों में खून का बहाव ठीक रहता है। गठिया व जोड़ों के दर्द में इस आसन को करने से काफी आराम मिलता है।

सावधानियां :- इस आसन को करते समय पैरों को ज्यादा जोर से नहीं हिलाएं। बताई गई विधि अनुसार ही आसन करें। ध्यान रहें जिन लोगों को कमर के नीचले हिस्से में दर्द हो वे लोग तितली आसन का अभ्यास न करें।


2. जानुसिरासन :- पैरों को सामने की ओर सीधे फैलाते हुए बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। बाएँ घुटने को मोड़े, बाएँ पैर के तलवे को दाहिनी जांघ के पास रखें,

बायाँ घुटना जमीन पर रहे। साँस भरें, दोनों हाथों को सिर से ऊपर उठाएँ, खींचे ओर कमर को दाहिनी तरफ घुमाएँ। साँस छोड़ते हुए कूल्हों के जोड़ से आगे झुकें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए, टुड्डी को पंजों की ओर बढ़ाएँ। अगर संभव हो तो अपने पैरों के अंगूठों को पकड़े, कोहनी को जमीन पर लगाएँ, अंगुलियों को खींचते हुए आगे की ओर बढ़ें। साँस रोकें। (स्थिति को बनाए रखें) साँस भरें, साँस छोड़ते हुए ऊपर उठें, हाथों को बगल से नीचे ले आएँ। पूरी प्रक्रिया को दाएँ पैर के साथ दोहराएँ।

लाभ :- पीठ के निचले हिस्से का व्यायाम हो जाता है। उदर के अंगों व कन्धों का व्यायाम हो जाता है।

सावधानियां :- पीठ के निचले हिस्से, घुटने में दिक्कत हो तो यह आसन नहीं करें।

3. पश्चिमोत्तानासन :- टांगें सीधी रखकर बैठें, हाथ जांघों पर रहें। पूरक करते हुए बाजू सीधे रखें और उनको सिर के ऊपर ले जायें। रेचक करते हुए पीठ को सीधी



रखें, कूल्हों से आगे की ओर यथा संभव झुकें और पैरों की अंगुलियों को पकड़ें। घुटने सीधे रहेंगे। सिर को आगे लाने की कोशिश करें जिससे वह घुटनों को छू जाए। सामान्य श्वास में इसी स्थिति में रहें। पूरक करते हुए शरीर को सीधा करें जिसमें बाजू सीधे रहें। रेचक करते हुए हाथों को जांघों पर रख लें। प्रारम्भ में प्रत्येक दोहरान संक्षेप में करते हुए आसन को 3 बार करें। कुछ समय तक इस प्रकार अभ्यास करने के बाद सामान्य श्वास के साथ कुछ मिनट के लिए इसी मुद्रा में बने रहते हुए इस अभ्यास को बढ़ाना शुरू कर दें।


लाभ:- यह आसन मणिपुर चक्र और जीवन ऊर्जा को प्रोत्साहित करता है। पीठ के रक्त संचरण में वृद्धि करता है। यह पीठ और टाँगों की पिछली माँसपेशियों को



खींचता है। यह गुर्दा और अग्नाशय की कार्य क्षमता को सक्रिय करता है और शरीर को इकहरा बनाने में सहायता करता है।


4. वक्रासन :- वक्रासन करने के लिए किसी समतल स्थान पर दरी बिछाकर दोनों पैरों को सामने फैलाकर बैठ जाइये। इसके पश्चात अपने दोनों हाथों को बगल में रखिये। इसे करते वक्त आपकी कमर सीधी और निगाह सामने की तरफ होनी चाहिए। उसके बाद दाहिने पैर को घुटने की तरफ से मोड़कर ठीक बाएं पैर के घुटने की सीध में रखिये। अब अपने दाएं हाथ को पीछे की ओर ले जाये, जो कि मेरुदंड के समांतर होना चाहिए। थोड़े समय इसी स्थिति में रहने के बाद बाएं पैर को घुटने से मोड़कर इस आसन को कीजिए। अब बाएं हाथ को दाहिने पैर के घुटने के ऊपर से क्रॉस करके जमीन के ऊपर रखे। फिर गर्दन को धीरे-धीरे पीछे की ओर ले जाने की कोशिश करे, अर्थात ज्यादा से ज्यादा पीछे की ओर देखने की कोशिश कीजिए।

लाभ :- नियमित वक्रासन करने से स्पाइनल कार्ड मजबूत होती है। इस आसन को नियमित करने से पेट संबंधी कई रोग स्वतः ही दूर हो जाते हैं। शरीर की अकड़न और गर्दन की समस्या ठीक करने के लिए यह एक रामबाण इलाज है। हर्निया के रोगियों को भी वक्रासन करने से बहुत लाभ मिलता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। वक्रासन का अभ्यास से कमर की चर्बी घटाने में सहायक है, साथ ही यह यकृत और तिल्ली के लिए लाभदायक है।



सावधानियां :- जिन लोगों को गर्दन में दर्द है या फिर वे किसी हृदय रोग से पीड़ित हैं तो वक्रासन का अभ्यास न करें। पेट और कमर के रोगी भी बिना योग चिकित्सक की सलाह से इसे न करें, अन्यथा उन्हें समस्या हो सकती है। इस आसन को सावधानी पूर्वक करना जरूरी है। इसलिए दाएं पैर को जब घुटने से मोड़कर लाये, तो बायां पैर घुटने की सीध में होना जरूरी है। पीछे रखा गया हाथ कोहनी से सीधा रखते हुए मेरुदंड से 6 से 9 इंच के बीच में ही रखिये।

5. वज्रासन :- घुटनों के बल बैठ जाइए तथा पंजों को पीछे फैलाकर एक पैर के अंगूठे को दूसरे अंगूठे पर रख दीजिए। ये ध्यान रखें आपके घुटने पास-पास और एड़ियां अलग-अलग रहनी चाहिए। इसी दौरान अपने नितंबों को पंजों के बीच रखिए तथा आपकी एड़ियां कूल्हों की तरफ रखिए। और अंत में इस अवस्था में बैठते समय हथेलियों को घुटनों पर रखिए। वज्रासन को जितना संभव हो सके उतने समय तक



अभ्यास कीजिए। भोजन के पश्चात खास तौर पर कम से कम पांच मिनट तक इस आसन को करना चाहिए।

लाभ:- जो लोग अपचन की समस्या से ग्रसित हैं उन्हें वज्रासन करना चाहिए। भोजन करने के बाद यह आसन शरीर को फायदा पहुंचाता है। यह आसन पाचन प्रणाली की कार्य-कुशलता को बढ़ाता है। यह आमाशय (पेट) और गर्भाशय की मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करता है। यह आसन महिलाओं के शिशु जन्म में सहायक है। हर्निया के रोगों के लिए यह आसन बहुत ही उपयोगी है। साइटिका और रीढ़ के नीचले भाग तथा पैरों के तनाव को इस आसन के जरिए दूर किया जा सकता है। नियमित तौर पर वज्रासन का अभ्यास वेरिकोज वेन्स, ज्वाइंट पेन और गठिया जैसे रोगों से दूर रखने में मददगार है। वजन को कम और शरीर को सुडौल बनाने में यह आसन मदद करता है। पेशाब की समस्या का उपाय है वज्रासन। इसके अलावा इससे यौन अंगों को शक्ति मिलती है। ध्यान और सांस लेने के व्यायाम आम तौर पर वज्रासन की अवस्था में किया जाता है। इस अवस्था में आप सांस भी गहरी ले सकते हैं और अच्छी तरह से ध्यान भी लगा सकते हैं।





किराए पर घर देने में रखें सावधानी

पीयूष पांडे
क्षेत्रीय प्रबंधक



अक्सर लोगों को शिक्षा या रोजगार के मकसद से अपने टीयर-2 और टीयर-3 शहरों के खूबसूरत और बड़े घरों से निकलकर मेट्रो शहरों में किराये पर आकर रहना पड़ता है। इतना ही नहीं, उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा घर किराये पर लेने में खर्च होता है, क्योंकि मेट्रो शहरों के मकान मालिकों की किराये की मांग काफी ज्यादा होती है। सुरक्षा कारणों के मद्देनजर मकान मालिक भी अनजान लोगों को घर किराये पर देने में हिचकते हैं। साथ ही वह इस बात का भी फैसला नहीं कर पाते कि वह जो प्रापर्टी किराये पर दे रहे हैं, उसका उन्हें सही दाम मिल रहा है या नहीं। अगर आपने गत कुछ वर्षों के दौरान नया घर खरीदा है या आपको विरासत में मिला है अथवा आपने सम्पत्ति का नवीकरण करके उसे बड़ा किया है और निवेश के उद्देश्य से इस आशा में अपने पुराने घर को अपने पास रखना चाहते हैं कि रियल एस्टेट की कीमतें बढ़ेगी तो आपको निराशा हुई होगी। गत कुछ वर्षों के दौरान या तो कीमतें स्थिर रही है या देश भर के प्रमुख बाजारों में इनमें कमी आई है और इस बात के कोई संकेत नहीं है कि शीघ्र इस रुझान में कोई बदलाव आएगा। इस परिदृश्य में केवल दो विकल्प बचे हैं : प्रापर्टी को बेच देना या उसे किराए पर दे देना चाहिए। यदि आप घर को बेचना चाहते हैं तो विशेषज्ञों की सलाह के बारे में पढ़ें। हालांकि वर्तमान बाजार स्थिति में प्रापर्टी को आपके मनचाहे दामों पर बेचे जाने के अवसर बहुत कम हैं तथा उसे किराए पर देना कुछ लाभकारी लगता है। इससे आपको प्रति माह थोड़ा-बहुत धन (आमतौर पर प्रापर्टी की कीमत पर वार्षिक 2-3 प्रतिशत) प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

हैं तो भावनात्मक तौर पर उसे किराए पर देना कठिन हो सकता है। इसके साथ ही इसमें काफी समय भी लगता है। किराएदार खोजने की शुरुआत करने से पहले आपको घर की मरम्मत तथा रख-रखाव के पहलुओं पर नजर डालनी होगी। हो सकता है आपके द्वारा कुछ वर्ष पूर्व खरीदा गया घर किराए पर देने की स्थिति में न हो। फिर किसी किराएदार को खोजने के लिए विज्ञापन देना अथवा किसी एजेंट



की मदद लेनी पड़ती है बात इतने में ही समाप्त नहीं होती, किराए तथा कानूनी व अन्य औपचारिकताओं के बारे में पहले से ही बात करनी पड़ती है।

यहां तक कि किराएदार रखने के बाद भी आपको किराए तथा अन्य मुद्दों, मेंटेनेंस तथा मरम्मत और किसी भी समय सामने आने वाली आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए उससे निरंतर सम्पर्क रखना पड़ता है। यदि आप ये सब कुछ तथा अधिक करने के लिए तैयार हैं तो अपना घर किराए पर देने से पहले इन पांच बिन्दुओं पर ध्यान दें

किराया निर्धारित करें

सबसे पहला निर्णय इस बारे लेने की जरूरत है कि आप कितने किराए की आशा करते हैं। एक प्रापर्टी ब्रोकिंग फर्म एनारॉक प्रापर्टी कंसल्टेंट्स लि. के चेयरमैन अनुज पुरी ने बताया कि किराया बाजार कीमत को लेकर काफी संवेदनशील है। किसी मकान मालिक को प्रापर्टी की जगह तथा किस्म को लेकर किराए की कीमतों के रुझानों के बारे में अवश्य शोध करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रापर्टी का किराया बाजार कीमत से अलग न हो।

याद रखें कि बहुत से ऐसे कारक हैं जो किसी घर के किराए का निर्धारण करते हैं, जैसे कि इसकी लोकेशन, वहां मिलने वाली सुविधाएं, पड़ोस तथा आधारभूत ढांचा।



किराए पर देना चाहते हैं या नहीं

खुद से पहला प्रश्न यह पूछें कि क्या आप अपनी सम्पत्ति को किराए पर देना चाहते हैं या नहीं। अपने घर को किराए पर देने का निर्णय लेना हमेशा आसान नहीं होता। जैसे कि, यदि आपको विरासत में घर मिला है या आप पहले से ही घर में रह रहे



मगर सबसे महत्वपूर्ण कारक खुद घर की स्थिति है। पुरी कहते हैं कि नए घरों के लिए अधिक किराया मिलता है लेकिन पुरानी परियोजनाओं में रैनोवेट किए गए फ्लैट्स भी नए जितना किराया प्राप्त कर सकते हैं। मगर घर को रैनोवेट करने से पहले यह विचार अवश्य करें कि क्या इसका आपको लाभ मिलने वाला है।

किराएदार व अवधि

आप किस तरह का किराएदार चाहते हैं, उसे लेकर भी स्पष्टता होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको यह भी निर्णय लेना होगा कि आप कितने समय के लिए अपनी सम्पत्ति किराए पर देना चाहते हैं। नोब्रोकर डॉट कॉम के सह संस्थापक तथा सी. बी.ओ सौरभ गर्ग का कहना है कि इससे यह पहचान करने में मदद मिलेगी कि आपको किस तरह के किराएदार चाहिए। उदाहरण के लिए, गर्ग के अनुसार जिन मकान मालिकों ने उच्च वृद्धि वाले क्षेत्रों में सम्पत्तियां खरीदी हैं, उनकी इच्छा विद्यार्थियों तथा/या वर्किंग प्रोफेशनल्स को कुछ वर्षों के लिए किराए पर देने की होगी, जबकि जो लोग अपनी सम्पत्ति को निजी इस्तेमाल के लिए एक घर के तौर पर देखते हैं, वे आमतौर पर लंबे समय के लिए परिवारों को किराए पर देने को अधिमान देते हैं। यह इस मामले में भी सच है जब आप घर में उस फ्लोर को किराए पर दे रहे हैं जिसमें आप खुद रहते हैं।

रेंट एग्रीमेंट बनाएं

बहुत से मकान मालिक इसलिए अपनी सम्पत्ति को किराए पर देने में हिचकिचाते हैं क्योंकि एक मामूली रिटर्न के लिए उनकी सम्पत्ति जोखिम पर होती है। आमतौर पर भारत में आवासीय सम्पत्ति से प्रतिवर्ष मिलने वाला किराया उसकी कीमत के 2 से 3 प्रतिशत के बीच होता है। गर्ग के मुताबिक एक बिल्कुल अंजान व्यक्ति को घर किराए पर देना निश्चित तौर पर जोखिमपूर्ण व परेशानियां पैदा करने वाला है, जैसे




कि सम्पत्ति को नुकसान, किराए में देरी अथवा भुगतान न होना तथा पहले से ही निर्धारित समय सीमा पूरी होने के बाद घर खाली करने से इंकार। पुरी ने बताया कि ऐसी समस्याओं से बचने तथा जोखिम कम करने के लिए मकान मालिक को एक ठोस रेंट एग्रीमेंट बनाना चाहिए। इससे मकान मालिक तथा किराएदार दोनों के अधिकार तथा जिम्मेदारियां स्पष्ट हो जाती हैं। गर्ग के अनुसार मकान मालिकों को

रेंटल एग्रीमेंट में उचित धाराएं शामिल करने तथा सिक्योरिटी डिपोजिट लेना चाहिए।

शर्तों आदि के बारे में बात

एक बार उचित या अनुकूल किराएदार मिलने के बाद उसके साथ शर्तों आदि पर बात करें और इस बात पर जोर दें कि वह आपके द्वारा तैयार रेंट एग्रीमेंट में दर्ज विभिन्न धाराओं को ध्यानपूर्वक पढ़े। यदि जरूरत पड़े तो आपसी समझ के साथ इसमें बदलाव करें और पंजीकरण के लिए एक अंतिम रेंट एग्रीमेंट बनाएं। पुरी ने बताया कि एक वैध कानूनी दस्तावेज बनाने के लिए अपने रेंट एग्रीमेंट को हमेशा स्थानीय प्रशासन के पास पंजीकृत करवाना चाहिए। यदि किराएदार किराया न देकर



और जब आप चाहें घर खाली न करके आपको परेशानी देने लगे तो एक पंजीकृत रेंट एग्रीमेंट एकमात्र हथियार होगा जो आपकी मदद करेगा। इसके अतिरिक्त अपने किसी जानकार व्यक्ति से किराएदार के बारे में पहले से पूरी जानकारी हासिल करें और पुलिस जांच करवाना समझदारीपूर्ण होगा।

नियमित जांच करें

जैसे ही आप अपना घर किराए पर देते हैं तो आपका काम समाप्त नहीं हो जाता। यह जांचने के लिए कि किराएदार ने आपके घर को ठीक-ठाक रखा है या नहीं, आपको कभी-कभार (एक महीने में या 3 माह बाद एक बार) वहां जरूर जाना चाहिए। किराएदार के बारे में फीडबैक लेने के लिए पड़ोसियों के साथ बातचीत करना भी लाभदायक रहता है। आपको इस बात पर भी नजर रखने की जरूरत होती है कि क्या किराएदार युटिलिटी बिल्स, सोसाइटी के मेंटेनेंस शुल्क अथवा अन्य खर्च समय पर चुका रहा है या नहीं। आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपको कई बार मुसीबत में डाल सकती है। इसलिए किराएदार को रखने से पहले उसकी पूरी जांच कर लें और आगे भी उनकी गतिविधियों में ध्यान रखें। इससे आप आने वाली मुसीबतों से खुद को भी बचा सकते हैं और आपकी यह सजगता कई बार दूसरों के लिए भी लाभदायक साबित हो सकती है।



किराए से चाहिए अच्छी आय तो करें सही अपार्टमेंट में निवेश

विजय कुमार
क्षेत्रीय प्रबंधक

यदि आपके पास कुछ अतिरिक्त धन है और आप उसे ऐसी सम्पत्ति में निवेश करना चाहते हैं जिससे किराए के रूप में आपको नियमित आय होती रहे तो जरूरी है कि आप सही विकल्पों के बारे में जान लें और गलत विकल्पों से पूर्णतः बच कर रहें। अन्य बातों के अलावा इस बात पर भी ध्यान दें कि अलग-अलग रेंटल मार्केट्स (यानी शहरों) किस तरह का प्रदर्शन कर रही हैं और आप कैसे किराए से अधिकतम आय प्राप्त कर सकते हैं।

पारंपरिक रूप से भारतीय सम्पत्ति को परिवार के लिए जायदाद बनाने या पूंजी जमा करने के एक स्रोत के रूप में देखते रहे हैं, न कि एक सक्रिय निवेश के तौर पर। अनेक सालों से और अभी भी कई मामलों में, लोग रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत आने वाले मकानों में रह रहे हैं तथा किराए से होने वाली आय को हमारे यहां अभी तक अधिक तवज्जों नहीं दी जाती थी।

हालांकि जब सम्पत्ति की कीमतों के साथ-साथ किराए भी, खासकर मेट्रो शहरों में, काफी तेजी से बढ़े हैं। अब एक औसत भारतीय भी सम्पत्ति केवल रहने या जायदाद बनाने भर के लिए ही नहीं खरीद रहा है, वह इसे निवेश का एक अहम जरिया भी



मानने लगा है। फिर भी किराए से हो सकने वाली आय यानी रेंटल यील्ड पर लोग अधिक ध्यान नहीं देते हैं।

यदि आप दीर्घकालीन पूंजी सृजन के मकसद से रियल एस्टेट में निवेश कर रहे हैं तो किराए से हो सकने वाली आय को ध्यान में रखना और भी जरूरी हो जाता है। कुछ समय बाद सम्पत्ति को बेचने से होने वाले पूंजीगत लाभ के साथ-साथ किराए से हो सकने वाली आय के अतिरिक्त लाभ पर गौर करना बेहतर रहता है।

क्या है रेंटल यील्ड

रेंटल यील्ड से मतलब किसी सम्पत्ति से मिलने वाला वार्षिक किराया तथा सम्पत्ति की कुल लागत का अनुपात है। यदि किराए से वार्षिक आय 1 लाख 20 हजार रुपए



है और मकान की कीमत 50 लाख रुपए तो रेंटल यील्ड दोनों को विभाजित करने पर 2.4 प्रतिशत बनती है। हालांकि रेंटल यील्ड दुनिया भर में अलग-अलग है लेकिन देश में आवासीय प्रॉपर्टी के लिए औसतन 2 प्रतिशत रेंटल यील्ड अच्छी मानी जाती है।

स्थान का चुनाव

सम्पत्ति को किराए पर देकर आय का जरिया बनाने की रणनीति में एक महत्वपूर्ण फैसला है उपयुक्त शहर का चुनाव। देश में सबसे ज्यादा किराया महानगरों जैसे मुंबई, पुणे, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद आदि में हैं। इन शहरों में रेंटल यील्ड अधिक है और इल्मीनान रखा जा सकता है कि निकट भविष्य में औसत किराया कम नहीं होने वाला है।



ऐसे शहरों में रेंटल यील्ड अधिक होने के कारण हैं कि यहां रोजगार के मौके अधिक हैं, सम्पत्ति की कीमत इतनी ज्यादा है कि अधिकतर लोग अपना आवास खरीदने में सक्षम नहीं हैं, वहां मांग की तुलना में सम्पत्तियों की आपूर्ति भी कहीं कम है।

व्यावसायिक सम्पत्ति से रेंटल यील्ड की संभावनाएं

यदि रिहायशी नहीं तो आप व्यावसायिक सम्पत्ति से अच्छी रेंटल यील्ड हासिल करने की अपेक्षा कर सकते हैं। हालांकि इस संबंध में विचारों में अंतर है और इसमें जोखिम भी थोड़ा अधिक है परंतु प्री-लीस्ड व्यावसायिक सम्पत्तियों में निवेश करके अच्छी रेंटल यील्ड हासिल की जा सकती है।

प्री-लीस्ड सम्पत्तियां वे सम्पत्तियां होती हैं जहां पर कुछ स्थान पहले से ही किराए पर चढ़े होते हैं। इस प्रकार आप किराए से हो सकने वाली आय के बारे में पहले से ही अवगत होते हैं। आप जान जाते हैं कि वहां पर आपको किराए से कितनी आय होगी और आप पहले से सोच-विचार कर निवेश की योजना तैयार कर सकते हैं। आमतौर पर 8 प्रतिशत तक होने वाली रेंटल यील्ड अच्छी मानी जाती है।

कैसे मिलेगा अधिक किराया

जब सम्पत्ति को किराए पर देना हो तो यह बात भी अच्छी है कि उसका आकार-प्रकार कोई मुद्दा नहीं होता। शहरी इलाकों में जगह की कमी है इसलिए



तमाम तरह के फ्लैट्स की मांग हमेशा रहती है। इसके बावजूद कुछ बातों का ध्यान रख कर हम अपनी सम्पत्ति के लिए अधिक से अधिक किराया प्राप्त कर सकते हैं :

- सम्पत्ति की लोकेशन उपयुक्त होनी चाहिए। करीब ही जरूरत की सभी सुविधाएं हों। स्कूल व अस्पताल जैसी मूलभूत सुविधाओं से निकटता होने से उसका किराया स्वतः बढ़ जाता है।



- सम्पत्ति किसी बिल्डिंग में है तो मंजिल और खिड़कियों से दिखाई देने वाले नजारे पर भी किराया निर्भर करेगा। किराए पर देने के लिए सम्पत्ति खरीदते समय इन अहम पहलुओं को ध्यान में रखना जरूरी है।
- सम्पत्ति के रख-रखाव पर भी किराए की रकम निर्भर करती है। सुनिश्चित बनाएं कि मकान की प्लंबिंग और पेंटिंग में कोई कमी न हो। साफ-सुथरे व सुसज्जित मकानों के लिए लोग ज्यादा खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं।
- मोटे तौर पर याद रखें कि किराए की दर तय होने में किराएदार को मकान में मिलने वाली सुविधाओं की अहम भूमिका होती है। अधिक सुविधाओं के लिए वे अधिक जेब ढीली करने को तैयार रहते हैं।





संतुलित आहार

राकेश कुमार चुग
भूतपूर्व सहायक महाप्रबंधक

सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।

वह भोजन जिसमें शरीर की वृद्धि एवं स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ एवं तत्व निश्चित अनुपात में उपस्थित हों, संतुलित आहार कहलाता है। प्रत्येक मनुष्य के लिए उसकी आयु, वातावरण एवं उसके कार्य की प्रकृति के अनुसार संतुलित भोजन के पदार्थों और तत्वों की मात्रा अलग-अलग होती है। सामान्यतः एक सामान्य कार्य करने वाले औसत युवा मनुष्य को 3,000 से 3,500 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करने लायक भोजन की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन में लगभग 90 ग्राम प्रोटीन, 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 50 से 70 ग्राम वसा तथा अन्य आवश्यक तत्वों का होना आवश्यक है। बचपन में जब वृद्धि तेजी से होती है तब अपेक्षाकृत अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। प्रौढ़वस्था में अपेक्षाकृत कम भोजन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार ठंडी जलवायु में अथवा शीतकाल में गर्म जलवायु तथा ग्रीष्म काल की तुलना में अधिक मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है। शरीर में भोजन की प्रमुख भूमिका ईंधन के रूप में होती है। पाचन के पश्चात पोषक तत्वों के कारण ऊर्जा और ताप निवृत्त होता है, जिससे शरीर का तापक्रम उचित बना रहता है तथा विभिन्न कार्यकलाप संभव होते हैं।

विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों में ऊर्जा उत्पादन की क्षमता समान नहीं होती। इन भोज्य पदार्थों के ऊर्जा मूल्य की माप की जा सकती है। कैलोरी वह इकाई है जिसमें इसे मापा जाता है। ताप ऊर्जा की वह मात्रा है जो एक ग्राम जल के तापक्रम को एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाए। वसा, कार्बोहाइड्रेट तथा फालतू प्रोटीन (जिनकी ऊत्तकों के निर्माण हेतु आवश्यकता नहीं होती), वे भोज्य पदार्थ हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। एक ग्राम शुद्ध वसा में ऊर्जा 9 कैलोरी होती है। इसी प्रकार एक ग्राम शुद्ध कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी तथा एक ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होती है। संतुलित भोजन की दृष्टि से भोजन की मात्रा तथा उसकी गुणता दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। इनके बारे में संक्षिप्त आवश्यक जानकारी इस प्रकार है :

कार्बोहाइड्रेट

स्रोत :

अनाज वाले खाद्य पदार्थ, आलू तथा कंद, जातीय सब्जियां।

न्यूनता के लक्षण

सुस्ती, थकावट, दुर्बलता, वजन कम होना।

कार्य :

1. ये ऊर्जा प्रादन करने वाले प्रमुख स्रोत होते हैं।
2. मण्ड (starch) के रूप में 'संचित ईंधन' का कार्य करते हैं।
3. वसा में बदलकर 'संचित ईंधन' का काम करते हैं।
4. RNA तथा DNA के घटक होते हैं।
5. ये ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन का काम करते हैं।

प्रोटीन

स्रोत :

सभी प्रकार की दालें, दूध, पनीर, मांस, मछली, अण्डा, सूखे मेवे आदि।

न्यूनता के लक्षण

दुर्बलता, वजन कम होना, मानसिक/शारीरिक वृद्धि में कमी, बार-बार बीमार होना, दृष्टि का कमजोर होना।

कार्य :

1. ये जीवनद्रव्य की भौतिक दशाओं (सॉल-Sol तथा जैल-gel) का नियंत्रण करती हैं।
2. कोशिकाओं के विभिन्न अंगकों (Organelles) की रचना में प्रमुख भाग लेते हैं।
3. वृद्धि तथा मरममत् के लिए (Anabolism) आवश्यक होती है।
4. हॉर्मोन्स के संश्लेषण में भाग लेती हैं।
5. उपापचयी प्रतिक्रियाओं में रासायनिक उत्प्रेरक का कार्य करती हैं।
6. हीमोग्लोबिन के रूप में ये शरीर में गैसीय संवहन करती हैं।
7. एण्टीबॉडीज के रूप में शरीर की सुरक्षा करती हैं।
8. न्यूक्लियोप्रोटीन्स आनुवंशिक लक्षणों के विकास और वंशागति का नियंत्रण करती हैं।



वसा (Fat):

स्रोत :

घी, तेल, मछली के यकृत का तेल, चरबी, मूंगफली, मक्खन, दूध, दही, क्रीम, सूखे मेवे आदि।

न्यूनता के लक्षण :

सुस्ती, थकावट, दुर्बलता, वजन कम होना।

कार्य :

1. ऊर्जा उत्पादन के लिए ये भी ईंधन का कार्य करती है।
2. इनका महत्व 'संचित भोजन' के रूप में अधिक होता है।
3. वसीय ऊतकों के रूप में ताप-नियंत्रण और सुरक्षा में सहायता करती है।
4. आवश्यकता पड़ने पर यह कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तित हो जाती है।
5. कुछ वसाएं कोशिकाकला तथा अन्य झिल्लियों की रचना में भाग लेती है।
6. उत्पन्न वसाएं विटामिन 'D' तथा अनेक हॉर्मोन्स के संयोजन में भाग लेती है।

जल

स्रोत :

जो तरल पदार्थ हम पीते हैं और ठोस पदार्थ हम खाते हैं उससे ही शरीर जल प्राप्त करता है।

न्यूनता के लक्षण :

आम्लरक्तता (Acidosis), निजलीकरण (dehydration), क्षारमयता, अपच (Constipation), आघात, शोफ (Oedema)

कार्य :

1. जल आहार का महत्वपूर्ण घटक है तथा भोजन के पाचन क्रिया के लिए आवश्यक है।
2. शरीर में यह घोलक का कार्य करता है जिसमें जीवद्रव्य के अधिकांश पदार्थ घुले रहते हैं, जिसमें शरीर की रासायनिक प्रतिक्रियाएं घटित होती हैं।
3. जल सभी कोशिका और शरीर पदार्थ का वाहक है।
4. यह शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है।
5. यह शरीर में अत्यधिक शोधन करने वाला साधन है और अश्रु, श्वेद, मूत्र और

मल के रूप में अवशिष्ट द्रव्य को बाहर निकालता है।

6. यह शरीर के जोड़ों के स्नेहक का काम करता है।

लवण (Salts) (ये मुख्यतः कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा लौह के क्लोराइड्स, फॉस्फेट्स, कार्बोनेट्स, तथा सल्फेट्स आदि होते हैं):

स्रोत :

अनाज, सब्जियां, फल, सूखे मेवे आदि।

न्यूनता के लक्षण :

आम्लरक्तता (Acidosis), क्षारमयता (Alkalosis), निजलीकरण (dehydration), शोफ (Oedema), अपच (Constipation), हाथ-पैर कांपना, घेंघा रोग (Goitre disease)

कार्य :

1. लवणों के आयनों के कारण जीवद्रव्य में विद्युत-चालकता होती है। इसी जीवद्रव्य में संवेदनशीलता होती है।
2. कई ऊतक, रक्त, हड्डियों, दांतों आदि की रचना में भाग लेते हैं।
3. हृदय स्पंदन, पेशी संकुचन आदि में महत्वपूर्ण भाग लेते हैं।

विटामिन (Vitamins) :

स्रोत :

अनाज, फल, सब्जियां, सूखे मेवे आदि।

न्यूनता के लक्षण :

अनेक प्रकार के न्यूनताजन्य रोग (Deficiency diseases)

कार्य :

1. उपापचय में विटामिन आवश्यक सहकारी है।
2. विटामिन विभिन्न ऑक्सीकारी एन्जाइम के भागों के रूप में विशिष्ट प्रोटीनों को संयोजन करते हैं।
3. इनका संबंध शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा के भंजन से होता है।
4. ये उपापचय के अंतिम उत्पाद के रूप में ऊर्जा, कार्बन-डाइऑक्साइड व जल का मोचन करते हैं।





प्लास्टिक का बढ़ता प्रयोग

अतिथि लेख - मनीषा पाण्डेय, राजभाषा अधिकारी,
बैंक ऑफ बड़ोदा,
जुनागढ़ क्षेत्रीय कार्यालय

पिछले कुछ वर्षों में प्लास्टिक उत्पादों का चलन काफी तेजी से बढ़ा है। चूंकि अन्य धातुओं आदि की तुलना में प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण करना आसान एवं सस्ता है, प्लास्टिक का उत्पादन कच्चे तेल के उत्पादों द्वारा किया जाता है और एक बार इस्तेमाल करने के बाद उनका फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है, इस कारण अनेकों कंपनियों प्लास्टिक उत्पादों से जुड़े उद्योग-धंधों में शामिल हो रही हैं। आजकल प्लास्टिक से अनेकों किस्म की वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है। उपभोक्ताओं को भी अन्य पैकेजिंग की तुलना में प्लास्टिक की पैकेजिंग आकर्षक, आसान एवं वजन में भी हल्की लगती है।

किन्तु इन सब तथ्यों के बावजूद भी इस तथ्य को नहीं नकारा जा सकता कि प्लास्टिक का बढ़ता प्रयोग पर्यावरण के लिए खतरा बनता जा रहा है। जिस प्लास्टिक पैकेजिंग का उपयोग हम बड़ी सरलता से अपने दैनिक के कार्यों में करते हैं वह हमारे स्वास्थ्य, जीव-जंतुओं के साथ ही पर्यावरण के लिए भी खतरा है। इन पैकेजिंग उत्पादों का ठीक से निपटान न होने के कारण जब वे पानी के

जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव प्लास्टिक के उपयोग में भी पाया गया है। पानी की बोतल, कैन, बर्तन, पैकेजिंग आदि में प्लास्टिक का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। आज हर छोटे-बड़े शहर में पैक किए हुए खाने को खाने का चलन काफी बढ़ गया है जिनकी पैकेजिंग, कटलरी में प्लास्टिक का ही प्रयोग किया जाता है। अधिकांशतः इस प्लास्टिक को ऐसे ही कूड़ेदान में डाल दिया जाता है



स्रोत में मिलते हैं तो नॉन-बायोडीग्रेडेबल होने की वजह से इनके नष्ट होने में हजारों साल तक लग जाते हैं जिस कारण पर्यावरण को भी लंबे समय तक इसके बुरे प्रभाव का सामना करना पड़ता है।

जिसका सही ढंग से निपटान न होने के कारण इस प्लास्टिक से होने वाले नुकसान का प्रभाव भूमि, जलमार्ग एवं महासागर तक में देखा जा सकता है। विश्व की 10 नदियाँ ही 90% से अधिक प्लास्टिक कचरे के साथ बह रही हैं जो महासागर में जाकर मिलती है। एक अनुमान के मुताबिक हर वर्ष 1.1 से 8.8 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक तो समुद्र के किनारे बसे शहरों से ही समुद्र में प्रवेश कर रहा है जिसके कारण समुद्री जीव-जंतुओं की अनेक प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी है और अनेकों प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार पर है। एक अध्ययन के मुताबिक 90% समुद्री पक्षियों के मृत शरीर में प्लास्टिक का कचरा पाया गया। प्रत्येक वर्ष लगभग 380 मिलियन टन प्लास्टिक उत्पाद तैयार किए जाते हैं जो कि पूरी मानव जाति के वजन के बराबर है। जिसमें से लगभग 9-12% प्लास्टिक का ही पुनः इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार इतनी बड़ी संख्या में प्लास्टिक का कचरा पर्यावरण में ही मौजूद रहता है। अधिकांश प्लास्टिक उत्पाद कभी भी नष्ट नहीं हो पाते हैं, केवल उनका आकार ही छोटा होता है। ऐसे कई छोटे



प्लास्टिक या तो मछली एवं अन्य पशुओं द्वारा खा लिए जाते हैं या वे नदी आदि की माध्यम से हमारे नल में आने वाले पानी में मिल जाते हैं।

प्लास्टिक सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने के कारण अत्यधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है किन्तु यह प्लास्टिक न केवल हमारे महासागरों को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि कूड़े में फेंके गए प्लास्टिक उत्पाद के कारण भू-जल स्रोत भी नष्ट हो रहे हैं। इसके साथ ही जब खुली हवा में प्लास्टिक को जलाया जाता है तो भारी मात्रा में प्लास्टिक से उत्पन्न जहर हवा में ही घुल जाता है और जैसा कि हम सभी जानते हैं जब वह जहरीली हवा साँस द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो साँस की समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। प्लास्टिक से होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव के कारण पर्यटकों की संख्या में भी कमी देखी गई है जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है।

पर्यावरण पर बढ़ते इस खतरे को रोकने के लिए आजकल कई गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। 'अर्थ चार्टर' जैसी पहल द्वारा विभिन्न समूहों के लोगों से बातचीत के माध्यम से अनेकों अन्य मुद्दों के साथ ही पर्यावरण को लेकर भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए जाते हैं ताकि सभी देश एकजुट होकर पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान निकाल सकें।



इसके साथ ही सरकार ने घरों से निकलने वाले प्लास्टिक कचरे के लिए लोगों से प्लास्टिक कचरे को अलग कूड़ेदान में डालने की अपील की है ताकि उसका सही निपटान किया जा सके और पर्यावरण को प्लास्टिक से होने वाले खतरे से बचाया जा सके।

इस टेक्नोलॉजी के जमाने में सोशल मीडिया की सहायता से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्लास्टिक का उपयोग कम करने के लिए लोगों को घर से निकलते हुए एक कागज या कपड़े का बैग साथ लेकर चलने के लिए



प्रेरित किया जाता है। सोशल मीडिया पर प्रचलित एक चित्र के अनुसार, "आओ, मिलकर पृथ्वी को प्लास्टिक मुक्त बनाएँ – यदि हम घर से निकलते समय 250 ग्राम का स्मार्ट फोन और 350 ग्राम का पावर बैंक अपनी जेब में लेकर चल सकते हैं तो क्यों न हम 30 ग्राम का एक कागज या कपड़े का बैग अपने साथ लेकर चलें।" इसके अलावा विभिन्न विज्ञापन आदि के माध्यम से भी लोगों को प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि हम सभी अपने पर्यावरण को बचाने में कामयाब हो सकें।

आज के दौर में देखा जाए तो हम सभी कहीं न कहीं डिस्पोसेबल प्लास्टिक का प्रयोग करने के आदी हो चुके हैं। पूरे विश्व में, हर एक मिनट में एक मिलियन प्लास्टिक की पीने के पानी की बोतल खरीदी जाती है तथा एक साल में 5 ट्रिलियन प्लास्टिक बैग का प्रयोग किया जाता है जिन्हें केवल एक बार इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ एक बार इस्तेमाल किए जा सकने वाले इन प्लास्टिक उत्पादों का जीवन कुछ मिनट या घंटों तक ही सीमित होता है किन्तु वे सैकड़ों वर्षों तक पर्यावरण में मौजूद रहते हैं। कुल प्लास्टिक उत्पादों में से 99% से अधिक प्लास्टिक को तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले से उत्पन्न रसायन से तैयार किया जाता है – जो कि ऐसे संसाधन हैं जिनका पुनः इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वर्ष 2050 तक विश्व के कुल तेल भंडार में से 20% का उपभोग प्लास्टिक उद्योग ही कर रहा होगा तथा हमारे समुद्रों में मछली से ज्यादा प्लास्टिक उत्पाद दिखाई देंगे।





काव्य सुधा

एक बेटी की व्यथा



श्री नत्थु अग्रवाल
पिता, नितिन अग्रवाल,
उप प्रबंधक

बेटी बन चहंकी आगन में,
और चिड़िया मैं कहलाई।
महकी रात की रानी बनकर,
मैं रजनीगंधा की नाई।

भूम उठा कहकर सारा घर,
लक्ष्मी ने है जनम लिया।
मिलकर पूरा गांव कह उठा,
पूर्व-जनम कोई पुण्य किया।

भईया, दीदी, मम्मी, पापा,
लिए गोद में फिरते थे।
ताऊ, ताई, चाचा, चाची,
भपटा-भपटी करते थे।

कोई कहता परी था मुझको,
नन्ही कह कोई बुलाता था।
जादू की छड़ी हिला दे मानो,
बिन मांगे मिल जाता था।

अपने आंगन की मैं रजनीगंधा,
जूही की कली कहाती थी।
दादा-दादी की नयन ज्योति,
मम्मी-पापा की थाती थी।

कुल के बागीचे में अपने,
तितली बन मैं उड़ती थी।

पकड़ो-पकड़ो की ध्वनियों में,
देखने को पीछे मुड़ती थी।

एक बेटी का इतना दुलार,
यह उसकी ही अनुकम्पा थी।
आगे था जीवन कांटों का,
अभी पूहुप वह चम्पा थी।

नई सदी ने करवट बदली,
नारी जीवन अभिशप्त हुआ।
घर-घर में पूजी जाती थी,
अब जीना उसका तप्त हुआ।

कुछ दहेज के दानवों ने,
कुछ मिल नर हैवानों ने,
हर रूप से उसके घात किया,
संग उसके घोर बलात किया।

जो सुमन बनी मुस्काती थी,
अधखिली उभर में मार दिया।
जिसके पांवों तले फूल बिछे,
उसके कन्धों पर भार दिया।

नरभक्षी, कामी, पशुओं ने,
उसको वस्तु बना डाला।
संतति के विश्वकर्मा को,
हवश का मार्ग बना डाला।

नया सूरज



श्रीमती ममता
पत्नी श्री विजय कुमार
क्षेत्रीय प्रबंधक

आज एक नया सूरज निकला है
जिसने अंधेरे को परे धकेला है
भले आज तू अकेला है
पर साथ तेरे उम्मीदों का मेला है
आज एक नया सूरज निकला है।

स्व इतिहास कर नवनिर्माण
अटल रह जब तक न निकले प्राण
भूल जा जो पिछला है
आज एक नया सूरज निकला है।

चाहे बाधाएं रोके तेरी राह
रख निरंतर आगे बढ़ने की चाह
अडिग विश्वास के आगे
पिघलती भी शिला है
आज एक नया सूरज निकला है।

बदल तस्वीर बदल तकदीर
भर रंग नए खींच नयी लकीर
रंग बदलेगा अंबर भी जो आज नीला है
आज एक नया सूरज निकला है।

कभी गिरती कभी फिसलती चट्टानों पर चढ़ती है चीटियां
कुछ कर गुजरने की चाह ही तोड़ती है बेड़ियां
बेटो से भला कम कहां होती हैं ये बेटियां
आज की नर्म कोंपलें ही वट वृक्ष अगला है
आज एक नया सूरज निकला है।

बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक, श्री आर.के अरविन्द द्वारा लिए गए विभिन्न वन्यजीवों के छायाचित्र





**राष्ट्रीय
आवास बैंक
NATIONAL
HOUSING BANK**

भारत सरकार के अन्तर्गत एक सांविधिक निकाय
कोर 5 ए, तृतीय-पंचम तल, भारत पर्यावास केंद्र
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003



30 जून, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम

(₹ लाख में)

विवरण	30.06.2019 को समाप्त वर्तमान लेखा वर्ष	30.06.2018 को समाप्त पिछला लेखा वर्ष
	लेखा परीक्षित	लेखा परीक्षित
1. अर्जित ब्याज (क) + (ख) + (ग) (क) अग्रिमों पर ब्याज (ख) निवेशों पर आय (ग) बैंक जमाओं पर ब्याज (घ) अन्य	4,99,407.01 4,74,051.02 20,613.45 4,742.54	4,36,173.96 4,13,175.40 21,868.71 1,129.85
2. अन्य आय	28,147.83	6,391.73
3. कुल आय (1+2)	5,27,554.84	4,42,565.69
4. व्यय किया गया ब्याज	3,39,961.49	3,07,625.39
5. परिचालन व्यय (i) + (ii) (i) कर्मचारियों के लिए भुगतान एवं प्रावधान (ii) अन्य परिचालन व्यय (क) + (ख) + (ग) (क) ब्रोकरेज, गारंटी शुल्क एवं अन्य वित्त प्रभार (ख) उधारों पर स्टांप शुल्क (ग) अन्य व्यय	6,589.07 2,111.89 4,477.18 496.53 410.04 3,570.61	7,216.97 1,968.84 5,248.13 725.77 307.00 4,215.36
6. मुद्रा के उतार-चढ़ाव के कारण (लाभ)/हानि	1,366.42	2,119.29
7. प्रावधान एवं आकस्मिक व्ययों को छोड़कर कुल व्यय (4+5+6)	3,47,916.98	3,16,961.65
8. प्रावधान एवं आकस्मिक व्ययों से पूर्व परिचालन लाभ (3-7)	1,79,637.86	1,25,604.04
9. कर एवं आकस्मिक व्ययों के अलावा अन्य प्रावधान	48,190.76	8,836.08
10. असामान्य मदें	-	-
11. कर पूर्व सामान्य गतिविधियों से लाभ (+) / हानि (-) (8-9-10)	1,31,447.10	1,16,767.96
12. कर व्यय	58,150.00	41,657.12
13. कर के पश्चात् सामान्य गतिविधियों से निवल लाभ (+) / हानि (-) (11-12)	73,297.10	75,110.84
14. असाधारण मदें (कर व्यय का निवल)	-	-
15. अवधि हेतु निवल लाभ (+) / हानि (-) (13-14)	73,297.10	75,110.84
16. चुकता पूंजी (भारत सरकार के संपूर्ण स्वामित्व में)	1,45,000.00	1,45,000.00
17. पुनर्मुल्यांकन आरक्षित निधियों को छोड़कर आरक्षित निधियां (पिछले लेखा वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार)	7,48,092.97	6,74,383.91
18. विश्लेषणात्मक अनुपात: (i) पूंजीगत पर्याप्तता अनुपात (ii) प्रति शेयर आय (ईपीएस)	16.01% लागू नहीं	18.66% लागू नहीं
19. एनपीए अनुपात (क) सकल एनपीए की राशि (ख) निवल एनपीए की राशि (ग) सकल एनपीए का प्रतिशत (घ) निवल एनपीए का प्रतिशत (ङ) आस्तियों पर लाभ (वार्षिक)	418.64 0.00 0.01% 0.00% 1.04%	460.76 0.00 0.01% 0.00% 1.22%

नोट: 1. उपरोक्त परिणाम लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षित एवं 22 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में अनुमोदित किए गए हैं। 2. 1995 के मुकदमा सं. 2 में माननीय विशेष न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को दरकिनार (सेट असाइड) करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), भारत सरकार द्वारा जारी निदेशों के अनुसार, राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) ने भारतीय स्टेट बैंक को 236.78 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। जुलाई, 2016 में, भारतीय स्टेट बैंक ने माननीय विशेष कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें 236.78 करोड़ रुपये पर 19 प्रतिशत की दर से ब्याज दावा किया गया है। रा.आ. बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक के उपर्युक्त दावे से इंकार किया है और आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय सेवाएं विभाग के निदेशों के अनुसार रा.आ. बैंक को भारतीय स्टेट बैंक से 353.78 करोड़ रुपये प्राप्त करने है जिसके लिए रा.आ. बैंक ने जवाबी दावा दायर किया है। 3. 30 जून, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु सीमित समीक्षा परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक (भा. रि.बैंक) द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर अनर्जक आस्तियों एवं मानक आस्तियों, आयकर, आस्थगित कर एवं अन्य सामान्य एवं अनिवार्य प्रावधानों के आकलन पश्चात् आए हैं। 4. जहां आवश्यक था वहां पिछले वर्षों के आंकड़ों को पुनः बर्गीकृत / पुनः व्यवस्थित किया गया है। 5. भारतीय रिजर्व बैंक के 04 अगस्त, 2016 के परिपत्र के अनुसार, बैंक निरंतर प्रोफार्मा आईएनडी एएस विवरणी में तैयार कर रहा है और नियमित रूप से नियामक को प्रस्तुत कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 15 मई, 2019 के अपने पत्र के माध्यम से यह सलाह दी है कि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) द्वारा भारतीय लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है।

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 22 अगस्त, 2019

उपरोक्त परिणाम 30.06.2019 के तुलन पत्र तथा 22.08.2019 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार 30.06.2019 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि लेखा पर आधारित है।

कृते बंसल एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 0001113एन/एन500079

ह/-
एस. के. होता
प्रबंध निदेशक
ह/-
(डॉ. डी. एस. रावत), भागीदार
सदस्यता सं. 083030

कोर 5-ए, भारत पर्यावास केंद्र, 3-5 तल, लोधी रोड नई दिल्ली- 110003
टेली : 011-24649031-35, फ़ैक्स : 011-24646988
वेबसाइट : <http://www.nhb.org.in>



**राष्ट्रीय
आवास बैंक
NATIONAL
HOUSING BANK**

नई दिल्ली (मुख्यालय), मुम्बई, अहमदाबाद, बैंगलूरु, हैदराबाद, कोलकाता